[2020] 14 एस. सी. आर. 571

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

(2020 की सिविल अपील संख्या 3249)

23 सितंबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975: एसएस। 8 ए और 11 ए-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962। 12 , 15 , 17 , 46 और 47-कर्तव्य का आकलन-मैनुअल से शासन के इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थानांतरण-का प्रभाव-प्रकाशन ई-राजपत्र पर अधिसूचना-ई-राजपत्र पर प्रकाशन का समयई-अधिसूचना की प्रवर्तनीयता के लिए प्रारंभिक बिंदु की प्रासंगिकता16 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना (अधिसूचना 5/2019) जारी की। 8 सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम का एअधिसूचना ने एक शुल्क प्रविष्टि की शुरुआत की जिसके द्वारा सभी वस्तुओं का आयात किया जाता है। पाकिस्तान से सीमा शुल्क बढ़ाया गया था-अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी अपलोड के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। ई-राजपत्र पर 16 फरवरी 2019 की देर शाम 20 बजे: 46: 58 घंटे संबंधित आयातक, जिन्होंने माल का आयात किया थापूर्वव्यापी प्रभाव से लागू और संबंधित आयातकके तहत बढ़ी हुई दर के आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे अधिसूचना-आयोजित: राजपत्र अधिसूचनाओं को एनालॉग से डिजिटल में प्रकाशित करने के तरीके में बदलाव के साथ, राजपत्र को इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रकाशित करने का सटीक समय महत्वपूर्ण हो जाता है।- अधिसूचना 5/2019 के संदर्भ में लागू होना चाहिएदिन का वह समय जब इसे ई-राजपत्र-अधिसूचना 5/2019 पर प्रकाशित किया गया था, जो प्रत्यायोजित के अभ्यास के समान है।एस के तहत टैरिफ शुल्क को अधिसूचित और संशोधित करने के लिए आपातकालीन शक्ति के तहत विधायी शक्ति। 8 सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम का ए, संचालित नहीं हो सकता है पूर्वव्यापी रूप से, जब तक कि कानून द्वारा अधिकृत न हो-के युग में राजपत्र अधिसूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रविष्टि बिलों की, अधिसूचना 5/2019 के तहत आयात शुल्क की संशोधित दर घरेलू उपयोग के लिए प्रस्तुत प्रविष्टि बिलों पर लागू होती है। 20 बजे ई-राजपत्र में अधिसूचना अपलोड किए जाने के बाद: 46: 58 16 फरवरी 2019 को घंटे-तत्काल मामले में, एस की दोहरी शर्तें। 15 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का निर्धारण 16 फरवरी 2019 को 20 बजे अधिसूचना 5/2019 जारी करने से पहले किया गया था: 46: 58 घंटे-शुल्क की दर जो लागू थी, एस के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवेश के बिलों की प्रस्तुति के समय और तारीख को स्पष्ट की गई थी। 15 2018 के विनियमों के विनियम 4 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम-एस के तहत पुनर्मूल्यांकन की शक्ति। 17 (4) इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्तव्य का गलत आत्म-मूल्यांकन किया गया था-कर्तव्य था उस तारीख को और उसके बाद के समय

लागू कर्तव्य के संदर्भ में स्व-मूल्यांकन के समय सही ढंग से मूल्यांकन किया गया 5/2019 वाली अधिसूचना के प्रकाशन ने पुनः मूल्यांकन के लिए एक वैध आधार प्रस्तुत नहीं किया-प्रवेश पत्र (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और कागज रहित प्रसंस्करण) विनियम, 2018 -सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-एस. 13 और 8-जानकारी प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण) नियम 2011 - आर. 5 (1)-अधिसूचनाएँ/परिपत्र/सरकारी आदेश। संभावित-आयोजितः विधायिका के प्रतिनिधि द्वारा बनाए गए नियम का पूर्वव्यापी प्रभाव तब तक नहीं होता है जब तक कि वैधानिक प्रावधान जिसके तहत इसे बनाया गया है, उस प्रभाव के लिए विशिष्ट शब्दों के उपयोग या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापीता की अनुमति नहीं देता है।शुल्क की दर बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी करने की शक्ति सौंपना / एस. 8ए के साथ केंद्र सरकार को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ इसका प्रयोग करने का अधिकार वैधानिक रूप से नहीं सौंपा गया है-एक अधिसूचना यू / धारा 8ए (1), भले ही इसका सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन का प्रभाव है, संभावित रूप से प्रभावी होता है-सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 - एस. 8ए-प्रत्यायोजित कानून।

परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचनाएँः ई-अधिसूचना ई-राजपत्र के माध्यम से प्रकाशन-के लिए आधार आयोजितः भारत और ओ. आर. एस. संघ की धारा 8। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ई-राजपत्र-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-के माध्यम से कानूनों के प्रकाशन के लिए एक कानूनी आधार बनाता है। एस. 8. कानूनः प्रत्यायोजित विधान के बीच अंतर संसद और राज्य विधानसभाओं को संभावित और पूर्वव्यापी दोनों प्रभावों के साथ कानून बनाने के लिए पूर्ण शक्तियां सौंपी गई हैं, और अधीनस्थ कानून बनाने के लिए विधायिका के एक प्रतिनिधि को सौंपी गई शक्ति-भारत का संविधान-कला। 245 और 246। विधानमंडलः जब विधायिका किसी विषय पर चुप रहती है-आयोजितः विधायिका हमेशा इस विषय पर सब कुछ नहीं कहती है-जब वह कोई कानून बनाता है, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली हर संभावित घटना विधायक के दिमाग में मौजूद नहीं हो सकती है-विधायी मौन रचनात्मकता के लिए जगह बनाते हैं।विधायी स्थान और मौन, कानून को मजबूत द्वारा आकार दिया जाता हैसामान्य ज्ञान का अनुप्रयोग।सामान्य खंड अधिनियम 1897: एस. 5 (3)-के संचालन में आना एक अधिनियम - धारा 5 (3) यह बहुत स्पष्ट करती है कि यह केवल एक 'केंद्रीय अधिनियम' या 'विनियमन' है जो इसके प्रारंभ से पहले के दिन की समाप्ति पर तुरंत लागू होता है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897: धारा 3 (50)-धाराओं की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना। 8सीमा शुल्क का ए शुल्क अधिनियम-आयोजितः किसी विनियमन के विवरण को पूरा नहीं करता है एस के तहत। 3 (50) सामान्य खंड अधिनियम की-अभिव्यक्ति है विनियमों की विशिष्ट प्रजातियों तक सीमित परिभाषा यह करती है सभी अधीनस्थ विधानों या किसी वैधानिक के अनुसरण में कार्य करने वाले विधानमंडल के प्रतिनिधि द्वारा जारी अधिसूचनाओं तक इसका विस्तार नहीं है। प्राधिकरण-सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 - एस. 8ए-परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचनाएँ।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897: धारा 3 (7)-केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए-आयोजितः नहीं है।

संसद का एक अधिनियम-केंद्र सरकार को विधायिका के एक प्रतिनिधि के रूप में इस तरह की अधिसूचना जारी करने का अधिकार सौंपा गया है-केवल यह तथ्य कि प्रत्यायोजित कानून का एक टुकड़ा विधायी रूप से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, यह नहीं लाता है

एस में परिभाषित "केंद्रीय अधिनियम" वाक्यांश के दायरे में प्रत्यायोजित विधान। 3 (7) सामान्य खंड अधिनियम-सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975। 8ए-परिपत्र/सरकारी आदेश/अधिसूचना कानून-प्रत्यायोजित कानून।

कर/कराधान: कर का अधिरोपण-इसके तीन चरण हैं, अर्थात् दायित्व की घोषणा, मूल्यांकन और तरीके।

पुनर्प्राप्ति।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

1.1 . कानून की व्याख्या करने में, न्यायालय अपने प्रावधानों की शर्तों, उनके अपनाने के अंतर्निहित उद्देश्य से निर्देशित होता है। और वह योजना जो परस्पर संबंधित प्रावधानों और प्रावधान की प्रकृति से उत्पन्न होती है। वर्तमान मामले में अदालत राजकोषीय शुल्क की शर्तों की व्याख्या कर रही है। यहां की अदालत को सीमा शुल्क अधिनियम की योजना और प्रावधानों और सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के साथ उनके संबंधों का अर्थ निकालना होगा। [पैरा 34]

1.2 . भारत संघ इस बात पर जोर देने में पाठ्य रूप से सही है

कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) में तारीख का संदर्भ है न कि समय का। लेकिन इस पंक्ति के लिए दो प्रतिक्रियाएँ हैं

मुद्दे की ओर बढ़ना। पहला, विधायिका हमेशा इस विषय पर सब कुछ नहीं कहती है। जब यह एक कानून बनाता है, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली हर संभावित घटना विधायक के दिमाग में मौजूद नहीं हो सकती है। विधायी मौन के लिए जगह बनाते हैंरचनात्मकता। विधायी स्थानों और मौन के बीच, कानून को सामान्य ज्ञान के मजबूत अनुप्रयोग द्वारा आकार दिया जाता है। दूसरा, भारत में नियामक शासन विकसित हो रहा है क्योंकि नई तकनीक काम करने के पुराने और पुराने तरीकों की जगह ले रही है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की आभासी दुनिया क्षितिज पर नहीं थी जब संसद ने 1962 में सीमा शुल्क अधिनियम लागू किया था। फिर भी संसद ने शासन में प्रौद्योगिकी को अपनाने से आए तेजी से बदलावों का जवाब दिया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 और धारा 46 के प्रावधानों में, सीमा शुल्क स्वचालित ईडीआई प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रविष्टि के बिलों को प्रस्तुत करने के प्रावधान में विधायिका द्वारा आई. सी. टी. आधारित शासन के प्रभाव को मान्यता दी गई है। भारत और ओ. आर. एस. के संघ के मूल्यांकन में शासन के मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक रूपों में स्थानांतरित करके वैधानिक योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद के विचार थे।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कर प्रशासन को उस युग की संस्कृति को पीछे छोड़ना चाहिए जिसमें शुल्क का मूल्यांकन देरी, विवेक, संदेह और कभी-कभी संदिग्ध के साथ किया जाता था। न्यायालय की व्याख्या को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए जो नागरिकों के लिए निश्चितता, उपयोग में आसानी और प्रशासन की दक्षता सुनिश्चित करे। [पैरा 35]

2.1 . सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए (1) के तहत एक अधिसूचना, भले ही इसका प्रभाव पहली अनुसूची में संशोधन का हो।

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, संभावित रूप से प्रभावी होता है। धारा 8ए अधिसूचना को इसके निर्माण से पहले एक ऑपरेशन प्रदान नहीं करती है। कानून की भाषा में, इसका संचालन संभावित है। [पैरा 36]2.2 . सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 (1) (ए), 17,46 (1) और 47 (2) (ए) के प्रावधान एक समग्र योजना का गठन करते हैं।

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक घोषणा की प्रविष्टि के बाद प्रवेश और स्व-मूल्यांकन के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति के लिए निर्धारित तौर-तरीकों के परिणामस्वरूप, घोषणा के लिए ईडीआई प्रणाली द्वारा प्रवेश संख्या का एक बिल उत्पन्न किया जाता है। प्रविष्टि विधेयक (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और कागज रहित प्रसंस्करण) विनियमों का विनियम 4 (2),

3.1 . एक अधिसूचना जो सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ए की उप-धारा (1) के प्रावधानों के संदर्भ में जारी की जाती हैएक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के प्रयोग के समान। ए जारी करने में

धारा 8ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना, केंद्रीय [2020] 14 एस. सी. आर.

सरकार विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में शक्ति का प्रयोग करती है। [पैरा 39]

3.2 . सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 5 (3) यह स्पष्ट करती है कि यह केवल एक 'केंद्रीय अधिनियम' या 'विनियमन' है।

जो अपने प्रारंभ से पहले के दिन की समाप्ति पर तुरंत लागू हो जाता है। द्वारा जारी अधिसूचना

केंद्र सरकार धारा 8ए की उप-धारा (1) के तहत सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (50) के तहत किसी विनियमन के विवरण को पूरा नहीं करती है। यह अभिव्यक्ति विनियमों की विशिष्ट प्रजातियों तक ही सीमित है। परिभाषा सभी के लिए विस्तारित नहीं है।अधीनस्थ विधान या किसी वैधानिक प्राधिकारी के अनुसरण में कार्य करने वाले विधानमंडल के प्रतिनिधि द्वारा जारी अधिसूचनाएँ। [पारस 40,41]

3.3 . "केंद्रीय अधिनियम" अभिव्यक्ति को "अर्थ होगा" और "शामिल होगा" अभिव्यक्तियों का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। इन अभिव्यक्तियों का उपयोग इंगित करता है कि परिभाषा संपूर्ण है। यहाँ तक कि

जैसा कि प्रासंगिक है, 'केंद्रीय अधिनियम' शब्द को संसद के एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अधिसूचना जो इसके तहत जारी की गई हैसीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए की उप-धारा (1) संसद का अधिनियम नहीं है। इस अधिसूचना का प्रभाव सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करने पर है। विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार को सौंपा गया है

ऐसी अधिसूचना जारी करने का अधिकार। यह अधिसूचना को संसद का अधिनियम नहीं बनाता है। [पैरा 42]

3.4 . केवल यह तथ्य कि प्रत्यायोजित विधान का एक टुकड़ा विधायी रूप से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है प्रत्यायोजित विधान को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (7) में परिभाषित "केंद्रीय अधिनियम" वाक्यांश के दायरे में नहीं लाया जाए। [पैरा 43]

3.5 . अधिसूचना 05/2019 केंद्र द्वारा जारी की गई थी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए के तहत आपातकालीन शुल्क बढ़ाने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकरण के तहत सरकार। यह अधिसूचना एक वैधानिक शक्ति के अनुसरण में जारी की गई है। अधिसूचना में शुल्क की दर बढ़ाने का प्रभाव है सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्धारित।

भारत और ओआरएस का वह संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

एक सांविधिक प्राधिकारी के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना को 'केंद्रीय अधिनियम' में परिवर्तित नहीं करता है। [पैरा 46]

4.1 . सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को लागू करते समय, संसद ने इलेक्ट्रॉनिक शासन की व्यवस्था की कल्पना की। द.

अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति की परिकल्पना करना, जैसे कि प्रविष्टि पत्र की प्रस्तुति, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सक्षम ढांचे के परिणामस्वरूप सटीकता प्रदान की गई है, जिसके तहत इन अभिलेखों को बनाए रखा जाता है। धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल की प्रस्तुति इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है और सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण) नियम 2011 के नियम 5 (1) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की आवश्यकताओं के संदर्भ में समय टिकट के साथ दर्ज की जाती है। [पैरा 50]4.3 . सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 8 ई-राजपत्र के माध्यम से कानूनों के प्रकाशन के लिए एक कानूनी आधार बनाती है। 30 सितंबर 2015 को शहरी विकास मंत्रालय ने

एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसने भौतिक मुद्रण की प्रथा को बंद कर दिया और इसे इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र से बदल दिया। [पारस 51,52]

4.4 . राजपत्र के प्रकाशन के तरीके में बदलाव के साथ

एनालॉग से डिजिटल तक अधिसूचनाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में राजपत्र के प्रकाशित होने का सटीक समय महत्वपूर्ण है। अधिसूचना 5/2019, जो प्रत्यायोजित [2020] 14 एस. सी. आर. के अभ्यास के समान है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए के तहत शुल्क को अधिसूचित करने और संशोधित करने की आपातकालीन शक्ति के तहत विधायी शक्ति, पूर्वव्यापी रूप से तब तक काम नहीं कर सकती, जब तक कि कानून द्वारा अधिकृत न हो। राजपत्र अधिसूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और प्रवेश के बिलों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के युग में, अधिसूचना 5/2019 के तहत आयात शुल्क की संशोधित दर ई-राजपत्र में 20 बजे अधिसूचना अपलोड होने के बाद घरेलू उपभोग के लिए प्रस्तुत किए गए प्रवेश के बिलों पर लागू होती है: 46: 58 16 फरवरी 2019 को घंटे। [पैरा 58]

5.1 . सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए केंद्र सरकार को बढ़ाने के लिए आपातकालीन शक्ति प्रदान करती है

"पहली अनुसूची में शामिल किसी भी वस्तु के संबंध में" आयात शुल्क। धारा 8ए के तहत शक्ति का प्रयोग है -

केंद्र सरकार की संतुष्टि पर निर्भर करते हुए कि (i) पहली अनुसूची में किसी भी वस्तु पर शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए; और (ii) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन करने का निर्देश दे सकती है "ताकि ऐसी वस्तु पर अधिरोपित आयात शुल्क में उस हद तक वृद्धि का प्रावधान किया जा सके जो वह आवश्यक समझती है।" धारा 8ए में केंद्र को अधिकृत करने के लिए विधायी इरादे का संकेत देने वाली भाषा नहीं है। सरकार शक्ति के प्रयोग को उसके प्रयोग से पहले की अवधि से संबंधित करे। धारा 8ए (2) के तहत शक्ति का प्रयोग धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) में निहित अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। शक्ति प्रदान करने को स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया है।

निहितार्थ। [पैरा 62]

5.2 . धारा 8ए के तहत शुल्क की दर बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं सौंपा गया है।

केंद्र सरकार को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ इसका प्रयोग करने के लिए अधिकार के वैधानिक प्रत्यायोजन द्वारा। धारा 8ए के तहत शक्ति के प्रयोग के अनुसार शुल्क की दर में वृद्धि केवल संभावित हो सकती है। [पैरा 63]

5.3 . संसद और राज्य विधानसभाओं को संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है।

संविधान। संसद और राज्य विधानसभाओं के पास भारत और ओ. आर. एस. का संघ है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

5.5 . तथ्य यह है कि नियम विधायिका द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में बनाए गए थे या उन्हें होना चाहिएविधायी निकाय के पटल पर रखे जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि विधायिका ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधीनस्थ विधान बनाने को अधिकृत किया था। यह सटीक रूप से वह सिद्धांत है जो यह समझने में लागू होता है कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्ति पूर्वव्यापी है। धारा की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधान

7 , जो धारा 8ए की उप-धारा (2) द्वारा लागू किए गए हैं, वे संसदीय निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए हैं। लेकिन यह केंद्र सरकार को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ धारा 8ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम नहीं बनाता है।

[पैरा 65] [2020] 14 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.1. कर के अधिरोपण में तीन चरण शामिल हैं। सबसे पहले, देयता की घोषणा होती है जो यह निर्धारित करती है कि "कौन से व्यक्ति किस संपत्ति के संबंध में उत्तरदायी हैं"। दूसरा मूल्यांकन का चरण है। देयता, यह अच्छी तरह से तय की गई है, मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि पूर्व-परिकल्पना, जो पहले से ही तय की जा चुकी है। आकलन उस सटीक राशि को निर्दिष्ट करता है जो एक व्यक्ति है।

भुगतान करने योग्य। तीसरा (और अंतिम) वसूली के तरीके हैं यदि कोई व्यक्ति जिस पर कर लगाया जाता है वह स्वेच्छा से भुगतान नहीं करता है। [पैरा 66] 6.2 . वर्तमान मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 की दोहरी शर्तें जारी होने से पहले निर्धारित की गई थीं।

16 फरवरी 2019 को 20 बजे अधिसूचना 5/2019: 46: 58 घंटे। शुल्क की दर धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में घर के उपभोग के लिए प्रवेश के बिलों की प्रस्तुति द्वारा निर्धारित की गई थी।46. स्व-मूल्यांकन शुल्क की दर के आधार पर था जो घर के उपयोग के लिए प्रवेश के बिलों की प्रस्तुति की तारीख और समय पर लागू था। धारा 17 के तहत पुनर्मूल्यांकन की शक्ति के कथित प्रयोग में या धारा 47 के तहत घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के समय इसे बदला नहीं जा सकता था। शुल्क की दर जो थी

लागू होने के समय और तारीख को क्रिस्टलीकृत किया गया था

2018 के विनियमों के विनियम 4 (2) के साथ पठित धारा 15 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रविष्टि बिलों की प्रस्तुति। धारा 17 (4) के तहत पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां

कर्तव्य का गलत आत्म-मूल्यांकन। उस तिथि और उस समय लागू कर्तव्य के संदर्भ में स्व-मूल्यांकन के समय कर्तव्य का सही मूल्यांकन किया गया था। 5/2019 वाली अधिसूचना के बाद के प्रकाशन ने पुनर्मूल्यांकन के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं किया। [पैरा 67]

भारत संघ बनाम। परम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2016) 16 एस. सी. सी. 692 और न्यू बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ बनाम।

भारत संघ (1996) 8 एस. सी. सी. 407 [1996] 3 एस. सी. आर. 322-विशिष्ट।

खानों के मुख्य निरीक्षक बनाम। लाला करम चंद थापर एयर 1961 एससी 838 [1962] 1 एससीआर 9; केआई शेपर्ड बनाम।भारत संघ (1987) 4 एससीसी 431: [1988] 1 एस. सी. आर. 188; हुकुम चंद बनाम भारत संघ (1972) 2 एससीसी 601:

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और

[1973] 1 एससीआर 896; क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,

चित्तूर बनाम। एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट मद्रास (1980) 4 एस. सी. सी. 597 [1981] 1 एस. सी. आर. 627; भारतीय खनिज उद्योग संघ बनाम। भारत संघ (2017) 16 एससीसी 186: [2017] 12 एस. सी. आर. 724; राजस्थान राज्य बनाम बसंत एग्रोटेक

(इंडिया) लिमिटेड (2013) 15 एससीसी 1: [2013] 17 एस. सी. आर. 395; ए. वी. फर्नांडिस बनाम केरल राज्य [1957] एस. सी. आर. 837 और उप सी. टी. ओ. बनाम। शा सुकराज पीराजी [1967] 3 एस. सी. आर. 661-पर निर्भर था।भारत सर्फैक्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ (1989) 4 एससीसी 21: [1989] 3 एससीआर 367; प्रियंका

ओवरसीज प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ 1991 पूरक (1) एस. सी. सी. 102: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 138; धीरज लाल एच वोहरा बनाम।

भारत संघ 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 453: [1992] 3 पूरक। एससीआर 494; डी. सी. एम बनाम भारत संघ 1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 223; राज कुमार यादव बनाम। समीर कुमार महासेठ (2005) 3 एससीसी 601: [2005] 2 एस. सी. आर. 670; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. राम दयाल (1990) 2 एससीसी 680: [1990] 2 एस. सी. आर. 570; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। गीता देवी (2010) 15 एस. सी. सी. 670; अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) प्रस्तावित एल. आर. द्वारा मृत। वी. बीबीजान (2009) 5 एस. सी. सी. 462: [2009] 5 एससीआर 476; पशुपति नाथ सिंह बनाम। हरिहर प्रसाद सिंह [1968] 2 एससीआर 812; वीडियोइलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड v. पंजाब राज्य (1990) 3 एससीसी 87: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 731; टी. एन. विद्युत बोर्ड बनाम स्टेटस स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (2008) 7 एससीसी 353: [2008] 9 एस. सी. आर. 870; कोल्हापुर कैनेसुगर वर्क्स लिमिटेड v. संघ

भारत सरकार (यू. ओ. आई) ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 811: [2000] 1 एस. सी. आर. 518; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम। मैगनम इक्विटी सर्विसेज लिमिटेड (2015) 16 एस. सी. सी. 721; एम. डी. विदेशों में

उद्योग बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू. पी. (ग) 15 अक्टूबर 2019 (दिल्ली उच्च न्यायालय) को निर्णय लिया गया; रुचि सोया इंडस्ट्रीज बनाम। भारत संघ ने 14 जुलाई 2020 (मद्रास उच्च न्यायालय) को 2018 की डब्ल्यू. पी. संख्या 21207 का निर्णय लिया; परम इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. भारत संघ 2002 (150) ई. एल. टी. 3 (कर); पंकज जैन एजेंसियां बनाम भारत संघ (1994) 5 एस. सी. सी. 198: [1994] 1 पूरक। एससीआर 602; और भारत संघ [2020] 14 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. गणेश दास भोजराज (2000) 9 एससीसी 461: [2000] 1

एस. सी. आर. 1081-संदर्भित।

पुनः न्यायालय शुल्क आई. एल. आर. (1923) 46 मद 685 और चट्टूराम बनाम। सी. आई. टी. बिहार (1947) एफ. सी. आर. 116 (66)-संदर्भित।

व्हिटनी वी। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त (1926) एसी

37 संदर्भित किया गया।

हेल्ड (प्रति के. एम. जोसेफ, जे.) [सहमत]:

1. अधिसूचना जो देर शाम 16.02.2019 पर जारी की गई थी, वह धारा 8ए के तहत जारी की गई थी।

प्रशुल्क अधिनियम। यह प्रत्यायोजित विधान की एक प्रजाति है। यह केवल 20 पर प्रभावी प्रकाशन के साथ है: 46: 58 घंटे। 16.02.2019 पर, धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना, आयात की दर में वृद्धि

कर्तव्य, लागू हुआ। [पैरा 30,33]

2.1 . शुल्क अधिनियम की धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना केंद्रीय विधानमंडल, अर्थात् संसद द्वारा नहीं बनाई जाती है। अधिसूचना भी सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित एक विनियमन नहीं है। इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 5 (3) के आधार पर, अधिसूचना को फरवरी, 2019 को आधी रात के तुरंत बाद से प्रभावी माना जाना चाहिए। [पैरा 60]

2.2 . आम तौर पर, कानून अपने अंशों के संदर्भ में एक दिन निर्धारित करने पर नाराज़ होता है। निस्संदेह, केंद्रीय के मामले में

अधिनियम या विनियमन, यह सिद्धांत धारा 5 (3) में सांविधिक रूप से शामिल किया गया है, कि जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक यह अतीत के पहले बिंदु से संविधि पुस्तक में अपनी यात्रा शुरू करता है। पिछली आधी रात का आघात। धारा 5 (3) उस अधिसूचना पर लागू नहीं होती है जो प्रत्यायोजित विधान का एक रूप है। [पैरा

3.1 . विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को प्रत्यायोजित कानून से अलग तरीके से माना जाना चाहिए। एक कानून यदि संसद द्वारा बनाया जाता हैसीमा शुल्क-शुल्क अधिनियम में शुल्क की दर में परिवर्तन सहित

इसमें एक ऐसी प्रक्रिया शामिल होगी जिसमें एक निश्चित स्तर का प्रचार शामिल होता है।

[पैरा 75] भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

3.2 . संसद में एक प्रक्रिया और समय लगता है।

जो विशेष रूप से इस प्रकार के प्रत्यायोजित विधान के मामले में जो होता है, उसके विपरीत है, जो इन मामलों में प्रस्तावित किया जाता है, अर्थात् धारा 8ए के तहत कार्यपालिका द्वारा जारी एक अधिसूचना। यह इस आधार पर है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जनता के लिए जाना जाता है और केवल राष्ट्रपति की सहमति पर्याप्त होगी औरप्रत्यायोजित किसी भी विधान के प्रभावी होने से पहले उसे प्रकाशन द्वारा ज्ञात करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। प्रत्यायोजित विधान के मामले में प्रकाशन एक तर्क पर आधारित होता है। [पैरा 75]

4. सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में, और

योजना, जिसमें आयात शुल्क के मामले में, घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करना, स्व-निर्धारण और उसी के आधार पर शुल्क का भुगतान करना और उस विशेष समय के संदर्भ में दर स्पष्ट रूप से तय की जा रही है जब प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है और एक मानित प्रस्तुति और यहां तक कि एक मानित मूल्यांकन भी होता है, जो अन्यथा क्रम में होता है, और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ शुल्क की दर में वृद्धि के लिए शक्ति प्रदान नहीं करती है, अधिसूचना को इसके प्रकाशन से पहले लागू होने के रूप में माना जाना चाहिए जो 20 पर है: 46: 58 घंटे। 16.02.2019 पर। इसका मतलब यह होगा कि अधिसूचना का उपयोग शुल्क की दर को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर, वास्तव में, कई घंटे पहले प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया था, स्व-मूल्यांकन किया गया था और इससे भी अधिक, स्व-मूल्यांकन 2018 विनियमों के विनियमन 4 (2) के तहत पूरा किया गया था। पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। व्याख्या

प्रकाशन के समय के आधार पर एक दृष्टिकोण के अनुरूप है जो निहित अधिकारों के लिए सम्मान प्रदान करता है। [पैरा 78] 5. एक बार जब यह पाया जाता है कि प्रकाशन पर अधिसूचना इसके प्रकाशन के समय से प्रभावी होगी तो इसके संबंध में

प्रविष्टियों के बिल जो 2018 विनियमों की धारा 4 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अर्थ के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे प्रकाशन से पहले, उनके संबंध में शुल्क की दर केवल शुल्क की दर होगी जो प्रवेश बिल (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और कागज रहित प्रसंस्करण) विनियम, 2018 के विनियम 4 (2) के तहत मानित प्रस्तुति के समय प्रचलित थी।

6. जबकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 (4) में "अन्यथा" अभिव्यक्ति उन स्थितियों का ध्यान रखने में सक्षम हो सकती है जो पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों में शामिल नहीं हैं। , माल का सत्यापन, परीक्षण, सत्यापन, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह अधिकारी को शुल्क की दर को बदलने के लिए सशक्त करेगा जो प्रवेश पत्र की उचित प्रस्तुति के बाद स्व-मूल्यांकन के समय प्रचलित है। यदि यह अन्यथा है, तो विभाग बिना किसी कानूनी औचित्य के विनियमन 4 (2) के तहत मूल्यांकन के मानित समापन के आधार पर निष्कर्षित मूल्यांकन के मामलों को फिर से खोलने के लिए खुला रहेगा। यह स्पष्ट रूप से अवैध होने की अनुमति नहीं होगी। [पैरा 80]

7. अपनी प्रकृति से, प्रत्यायोजित विधान चरित्र में विधायी है, लेकिन यदि यह अर्थ के भीतर एक केंद्रीय अधिनियम होना है

इंग्लैंड में विधान, कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग है। तथ्य यह है कि धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग कर रही है या इसे उसी तरीके से पढ़ना पड़ सकता है जैसे कि यह अधिनियम का एक हिस्सा है, न्यायालय को यह पता लगाने से विचलित नहीं करेगा कि

विधायी शक्ति का प्रयोग करने का लेखक कौन है, अर्थात्, क्या यह विधायिका द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा शक्ति का प्रयोग है। इस प्रश्न का उत्तर देने पर, कि विधायी प्रयास का लेखक कार्यपालिका है, यह प्रश्न आवश्यक रूप से उत्पन्न होगा कि क्याप्रकाशन। सीमा शुल्क अधिनियम, शुल्क अधिनियम और 2018 विनियमों की योजना में, जिस समय धारा 8ए के तहत अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, वह वास्तव में प्रासंगिक होगी। [पैरा 85]

एम/एस। भारत सर्फैक्टंट्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ 1989 (4) एससीसी 21: [1989] 3 एससीआर 367; प्रियंका ओवरसीज (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ 1991 सप्लीमेंट। (1) एससीसी 102: [1990] 3 पूरक। एससीआर 138; धीरज लाल एच. वोहरा बनाम। भारत संघ 1993 सप्लीमेंट। (3) एससीसी 453: [1992] 3 पूरक। एससीआर 494; डी. सी. एम. लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ 1995 पूरक। (3) एससीसी 223; प्रस्तावित एलआर द्वारा अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत)। वी. बीबीजान और अन्य 2009 (5) एस. सी. सी. 462: [2009] 5 एस. सी. आर. 476; और आंध्र प्रदेश सरकार और एक अन्य v. हिन्दुस्तान मशीन

टूल्स लिमिटेड 1975 (2) एस. सी. सी. 274: [1975] एससीआर 394 -

प्रतिष्ठित।

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम। न्यू टोबैको कंपनी

और अन्य (1998) 144 सी. टी. आर. (एस. सी.) 618-ने अच्छा कानून नहीं माना।

भारत संघ और अन्य बनाम। गणेश दास भोजराज 2000 (9) एससीसी 461: [2000] 1 एस. सी. आर. 1081-लागू।

आई. टी. सी. भद्राचलम पेपरबोर्ड और एक अन्य वी. मंडल राजस्व अधिकारी और अन्य (1996) 6 एस. सी. सी. 634: [1996] 5 पूरक। एससीआर 643; बी. के. श्रीनिवासन बनाम कर्नाटक राज्य (1987) 1 एससीसी 658: [1987] 1 एस. सी. आर. 1054 और एम/एस. पंकज जैन एजेंसियां बनाम। भारत संघ और

अन्य (1994) 5 एस. सी. सी. 198: [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 602-निर्भर।

एशिया टोबैको कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1985) 155 आई. टी. आर. 568 (मैड); पुनः: न्यायालय शुल्क ए. आई. आर. 1924 मद्रास 257; जसबिर सिंह बनाम। भारत संघ

(1995) आई. एल. आर. 2 दिल्ली 399; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। राम दयाल और अन्य (1990) 2 एससीसी

680 : [1990] 2 एस. सी. आर. 570; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। पोरसेल्वी और एक और 1997 (1) एस. सी. सी. 66: [1996] 8 पूरक। एस. सी. आर. 929; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। सुनीता राठी और अन्य 1998 (1) एससीसी

कंपनी लिमिटेड v. गीता देवी और अन्य 2010 (15) एस. सी. सी. 670; राज कुमार यादव बनाम। समीर कुमार महासेठ 2005 (3) एससीसी 601: [2005] 2 एस. सी. आर. 670; विक्रम सिंह उर्फ विक्की और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य 2015 (9) एस. सी. सी. 502: [2015] 10 एस. सी. आर. 816; द वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड और एक अन्य वी। पंजाब राज्य और एक अन्य 1990 (3) एससीसी 87: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 731; तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और एक अन्य v. स्टेटस स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और एक अन्य 2008 (7) एस. सी. सी. 353: [2008] 9 एस. सी. आर. 870-संदर्भित।

जॉनसन बनाम। सार्जेंट एंड संस 1917 1 के. बी. 101; लेस्टर वी। माला [1808] 15 वेस। 248 ; री. रेलवे स्लीपर्स सप्लाई कं. (1885) 29 सीएच. डी. 204 ; और रे में। उत्तर (1895) 2 क्यू. बी. 264-संदर्भित।

[2020] 14 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

डॉ. धनंजय के फैसले में

चंद्रचूड़, जे. [अपने और इंदु मल्होत्रा के लिए,(2016) 16 एस. सी. सी. 692

पैरा 11 (

प्रतिष्ठित

[1989] 3 एससीआर 367

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 138

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1992] 3 पूरक। एससीआर 494

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 223

पैरा 25

[2005] 2 एससीआर 670

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[1990] 2 एससीआर 570

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

(2010) 15 एस. सी. सी. 670

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[2009] 5 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[1968] 2 एससीआर 812

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1989] 2 पूरक। एससीआर 731

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[2008] 9 एससीआर 870

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 एससीआर 518

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

(2015) 16 एस. सी. सी. 721

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

(2016) 16 एस. सी. सी. 692

पैरा 59

संदर्भित किया गया है

[1994] 1 पूरक। एससीआर 602

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

[2000] 1 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

[1962] 1 एस. सी. आर 9

उस पर भरोसा करें

पैरा 64

[1988] 1 एससीआर 188

उस पर भरोसा करें

पैरा 64

[1996] 3 एससीआर 322

प्रतिष्ठित

पैरा 64

[1973] 1 एससीआर 896

उस पर भरोसा करें

पैरा 64

[1981] 1 एससीआर 627

उस पर भरोसा करें

पैरा 65

[2017] 12 एससीआर 724

उस पर भरोसा करें

पैरा 65

[2013] 17 एससीआर 395

उस पर भरोसा करें

पैरा 65

[1967] 3 एससीआर 661

उस पर भरोसा करें

पैरा 66 भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

के. एम. जोसेफ के निर्णय में, जे.

[1996] 5 पूरक। एससीआर 643

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[1987] 1 एससीआर 1054

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[1994] 1 पूरक। एससीआर 602

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

(1998) 144 सीटीआर (एससी) 618

अच्छा कानून नहीं है

पैरा 34

[2000] 1 एससीआर 1081

लागू किया गया

पैरा 36

[1990] 2 एससीआर 570

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[1996] 8 पूरक। एससीआर 929

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

[1997] 6 पूरक। एससीआर 200

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

(2010) 15 एस. सी. सी. 670

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

[1989] 3 एससीआर 367

प्रतिष्ठित

पैरा 81

[1990] 3 पूरक। एससीआर 138

पैरा 81

प्रतिष्ठित

[1992] 3 पूरक। एससीआर 494

प्रतिष्ठित

पैरा 81

(1995) पूरक। 3 एससीसी 223

पैरा 81

प्रतिष्ठित

[2005] 2 एससीआर 670

पैरा 82

संदर्भित किया गया है

[2009] 5 एससीआर 476

प्रतिष्ठित

पैरा 82

[1968] 2 एससीआर 812

संदर्भित किया गया है

पैरा 83

[2015] 10 एससीआर 816

संदर्भित किया गया है

पैरा 84

[1975] एससीआर 394

प्रतिष्ठित

पैरा 84

[1989] 2 पूरक। एससीआर 731

संदर्भित किया गया है

पैरा 85

[2008] 9 एससीआर 870

पैरा 85

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 3249

2020 का

उच्च न्यायालय के 26.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18460/2019 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का।

के साथ

सिविल अपील संख्या 2020 की 3250,2020 की 3251,2020 की 3252,3253

2020 का 3254,2020 का 3255,2020 का 3256,2020 का 3257,2020 का 3258,2020 का 3259,2020 का 3260,2020 का 3261 2020 का 3262 [2020] 14 एस. सी. आर. का 3263।

2020 , 3264 2020 का 3265,2020 का 3266,2020 का 3267,2020 का 3268,2020 का 3269,2020 का 3270,2020 का 3271,2020 का 3272,2020 का 3272,2020 का 3273 ओ: 2020 , 3274 2020 का 3275,2020 का 3276,2020 का 3277,2020 का 3278 और

2020 का 3279। के. एम. नटराज, संजय जैन, ए. एस. जी., पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, के. के. त्यागी, सर्वम रितम खरे, श्रीमती बी. सुनीता राव, मेरुसागर सामंत्रे बी. कृष्ण प्रसाद, सुश्री अंजना गुसैन, अनंत अग्रवाल, सुश्री श्वेता रानी, देवाशीष भरुका, रवि भरुका, श्रीमती जया भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री सिष्टी अग्रवाल, सौरभ कपूर

परमात्मा सिंह, मयंक जैन, मधुर जैन, अदिति त्रिरपाठी, सर्वश्री सिंह, सर्वम रितम खरे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

ए.

पुलवामाक परिणाम

बी.

पृष्ठभूमि.

सी.

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ

उच्च न्यायालय का फैसला

डी.

अपीलों में प्रस्तुतियाँ

ई.

सीमा शुल्क की धारा 15 के तहत दर का निर्धारण

एफ.

अधिनियम 1962

जी.

पूर्ववर्ती

'दिन' और 'तिथि' की व्याख्या

एच.

I सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए के तहत अधिसूचनाजे.

सामान्य खंड अधिनियम

के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

ई-राजपत्र में जारी अधिसूचनाओं का प्रभाव

एल.

एम रेट्रोस्पेक्टिविटीएन सारांश

1. छुट्टी दे दी गई।

ए. पुलवामाक परिणाम

2. 14 फरवरी 2019 को भारत और ओ. आर. एस. संघ ने पुलवाम में एक आतंकवादी हमला किया था।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

16 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ए के तहत एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना ने एक टैरिफ प्रविष्टि पेश की जिसके द्वारा इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में उत्पन्न होने या निर्यात होने वाले सभी सामानों पर 200% का बढ़ा हुआ सीमा शुल्क लगाया गया था। ई-राजपत्र पर अधिसूचना अपलोड करने का सटीक समय 20 था: 46: 58 घंटे। अटारी में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन आयातकों पर शुल्क की बढ़ी हुई दर को लागू करने की मांग की, जिन्होंने ई-राजपत्र में बढ़ी हुई दर को अधिसूचित करने से पहले ही घर के उपभोग के लिए प्रवेश के बिल प्रस्तुत कर दिए थे। उनकी कार्रवाई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। द.

आयात की खेपों में सूखे खजूर से लेकर सीमेंट तक विभिन्न प्रकार के सामान शामिल थे।

3. 26 अगस्त 2019 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं के एक समूह को अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि आयातक, जिन्होंने पाकिस्तान से माल का आयात किया था, उन्होंने अपने प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए थे और अधिसूचना से पहले "स्व-मूल्यांकन" की प्रक्रिया पूरी कर ली थी

शुल्क की दर को 200 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए जारी और अपलोड किया गया, शुल्क की बढ़ी हुई दर को आकर्षित नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयातक उस समय लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे जब

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के बिल दायर किए गए थे। 1 भारत संघ को रिहा करने का आदेश दिया गया था

माल पर शुल्क की दर बढ़ाने की अधिसूचना लागू किए बिना 'घोषित और मूल्यांकन' शुल्क के भुगतान पर सात दिनों के भीतर माल इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई।

4. भारत संघ अपील में है।

5. उच्च न्यायालय के फैसले का शीर्षक रसरस्ना फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ है। कालानुक्रमिक रूप से, पहली याचिका

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध

संविधान जी. एस. चठा राइस मिल्स के मामले में है। चूँकि कानून के जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे अपीलों के समूह के लिए सामान्य हैं, वे

एक साथ सुना गया है।

बी पृष्ठभूमि

6. प्रथम प्रतिवादी अमृतसर में स्थित एक साझेदारी फर्म है जो अन्य बातों के साथ-साथ सीमेंट के आयात में लगी हुई है। यह एक आयात किया

1 " सीमा शुल्क अधिनियम "[2020] 14 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 फरवरी 2019 के एक चालान के तहत पाकिस्तान से सीमेंट की चौदह सौ बोरियों की खेप। पंजीकरण संख्या टी. एल. वी.-189 (कार्गो) वाले एक ट्रक ने शनिवार, 16 फरवरी 2019 को पाकिस्तान कस्टम के कार्गो मैनिफेस्ट के साथ प्रवेश संख्या 47195 के तहत 'शून्य रेखा' को पार किया।

अधिसूचना 1/17-अनुसूची III क्रम संख्या 3)। देय शुल्क का अनुमान 73,342/- रुपये लगाया गया था। अधिसूचना 50/2017-क्यूस (क्रम संख्या 129), में उत्पन्न होने वाली निर्दिष्ट वस्तुओं पर शुल्क की एक अधिमान्य दर निर्धारित की गई है।पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य।

16 फरवरी 2019 को राजस्व विभाग में वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना 5/2019 जारी की गई थी। 3 इस अधिसूचना द्वारा, धारा XXI के अध्याय 98 में निम्नलिखित शब्दों में एक नई शुल्क प्रविष्टि शुरू की गई थी:

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

" 9806 00 00 | में उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएँ या

200 %

_ "

आई.

इस्लामी से निर्यात किया गया

पाकिस्तान गणराज्य

अधिसूचना में तारीख (16 फरवरी) का संदर्भ है।

2019) और समय (20:46:58) जिस पर इसे अपलोड किया गया था और भारत सरकार के ई-राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिसूचना द्वारा लाए गए शुल्क की दर में वृद्धि के आधार पर, सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन वस्तुओं को जारी करने से इनकार कर दिया जिनका पहले मूल्यांकन किया गया था। का बिल 2 " सीमा शुल्क अधिनियम "

3 " सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम "भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रविष्टि को 20 फरवरी 2019 को 18 बजे वापस बुलाया गया और पुनर्मूल्यांकन किया गया: 14 घंटे

200 प्रतिशत सीमा शुल्क और 28 प्रतिशत आई. जी. एस. टी. लगाकर, शुल्क को 73,342/- रुपये से बढ़ाकर <आई. डी. 1/- कर दिया गया।

7. सीमा शुल्क अधिकारियों की कार्रवाई से व्यथित, पहले प्रतिवादी ने अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की (i)

(ii) अधिसूचना (ID2) दिनांक 16 फरवरी 2019 के शुल्क के लिए प्रवेश के बिल का मूल्यांकन; और सी. डब्ल्यू. सी. को एक निरोध ज्ञापन जारी करने और माल को जारी करने के निर्देश के लिए।

सी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ

8. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं के समूह में इसी तरह के अन्य आयातकों के मामले शामिल थे। उच्च न्यायालय के फैसले से प्राप्त रिट याचिकाओं से संबंधित तथ्यों का सारांश नीचे दिया गया है:

((i)

सामान का आयात व्यापार के सामान्य क्रम में किया जाता था

पाकिस्तान;

((ii) माल 18 से पहले अमृतसर में अटारी सीमा के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था: 00 16 फरवरी 2019 को घंटे;

(iii) आयातकों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के तहत प्रवेश के बिल काम के घंटे बंद होने से पहले दाखिल किए थे।

घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी;

((iv) माल का मूल्य और विवरण घोषित किया गया था।(v) आयातकों ने प्रचलित अधिसूचनाओं के संदर्भ में माल का स्व-मूल्यांकन किया था और इसमें प्रवेश पत्र दाखिल किए थे।

ईडीआई प्रणाली;

(vi) घोषणाएं सीमा शुल्क विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन थीं जो उन पर विवाद नहीं करती थीं और शुल्क उत्पन्न करती थीं।

भुगतान टीआर-6 चालान;

(vii) चूंकि 16 फरवरी 2019 को शनिवार था, इसलिए सीमा शुल्क कार्यालय 18 के बाद बंद कर दिया गया था: 00 घंटे और सोमवार, 18 फरवरी 2019 को खुलने वाला था;(viii) कुछ आयातकों ने 16 फरवरी 2019 को टीआर-6 चालान के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया, जबकि अन्य के मामले में,

शुल्क का भुगतान चल रहा था;

(ix) अधिसूचना 5/2019 20 बजे जारी की गई थी: 46: 58 16 फरवरी 2019 को एक [2020] 14 एस. सी. आर. के रूप में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद।

जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर शुल्क की दर को इस तथ्य के बावजूद 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था कि अब तक कुछ उत्पादों को छूट दी गई थी।

सीमा शुल्क से; और

(x)

सीमा शुल्क अधिकारियों ने माल को छोड़ने से इनकार कर दिया

प्रवेश के बिलों के आधार पर जिनका पूर्व-मौजूदा दर पर स्व-मूल्यांकन किया गया था और उन्हें वापस लेने और माल का पुनः मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़े थे, जिसके तहत शुल्क की बढ़ी हुई दर लागू होती है।

अधिसूचना 5/2019।

जिसके आधार पर माल की आपूर्ति की गई थी; और (v) अधिसूचना का उद्देश्य पाकिस्तान से आयात को हतोत्साहित करना था और उन भारतीय आयातकों को दंडित करना नहीं था जिन्होंने ऑर्डर दिए थे और भारत में माल का आयात किया था, उस नीति पर भरोसा करते हुए जो दिन के अंत में अधिसूचना जारी होने से पहले लागू थी। कानून के मुद्दों पर, यह आग्रह किया गया कि घर के उपयोग के लिए प्रवेश के बिलों की प्रस्तुति के बाद, स्व-मूल्यांकन और शुल्क भुगतान चालान किए गए थे। उत्पन्न होने पर, यह सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए शुल्क की बढ़ी हुई दर को लागू करने के लिए खुला नहीं था जो बाद में 20 से लागू हुई: 46 16 फरवरी 2019 को घंटे। यह आग्रह किया गया था कि अधिसूचना 5/2019 के आवेदन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा क्योंकि अधिसूचना जारी होने से पहले सीमा शुल्क के स्वचालित मंच पर घर के उपयोग के लिए प्रवेश के बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए थे और उनका स्व-मूल्यांकन किया गया था।

10. दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क

उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के तहत शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख है। निवेदन यह था कि अधिसूचना 5/2019 के तहत शुल्क की संशोधित दर 16 फरवरी 2019 को लागू हुई; इसलिए, आयातक संशोधित दर के आधार पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। निवेदन यह था कि सीमा शुल्क अधिकारी धारा 17 (4) के तहत प्रवेश पत्रों का पुनर्मूल्यांकन करने के हकदार थे।

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

D. उच्च न्यायालय का निर्णय

11. उच्च न्यायालय ने धारा 8ए के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद

11 सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 और धारा 12,15,17,46 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा में कहा गया है:

कर्तव्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि है

((i)

प्रविष्टि बिल की प्रस्तुति, जो इस मामले के तथ्यों में, वाहन के प्रवेश की तारीख से मेल खाती है

भारत में माल ले जाना;

((ii) प्रवेश पत्र पहले 16 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किए गए थे।

अधिसूचना जारी करना 5/2019;

(iii) धारा 15 की दोहरी आवश्यकताएँ, अर्थात् प्रवेश पत्र दाखिल करना और वाहन का प्रवेश अधिसूचना 5/2019 के प्रकाशन से पहले पूरा किया गया था;

((iv) शुल्क की संशोधित दर लागू नहीं थी।

(v) धारा 47 के तहत सीमा शुल्क की मंजूरी का अभाव था

लागू दर पर असर;

(vi) अधिसूचना 5/2019 कार्य घंटों के बाद जारी की गई है, यह अगले दिन से लागू होगी जैसा कि भारत संघ बनाम परम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4 में इस न्यायालय के फैसले में कहा गया है।

और

(vii) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8 ए के तहत एक अधिसूचना,

1975 पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता है।

12. भारत संघ अपील में है।

अपीलों में ई-प्रस्तुतियाँ

13. मौखिक प्रस्तुतियाँ देने के अलावा, भारत के अतिरिक्त आई. टी. ओ. जनरल श्री के. एम. नटराज ने लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं। अपीलों में उठाए गए मुद्दे के वर्णन के साथ उनकी प्रस्तुतियाँ, एच है:

..... क्या सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन उस समय से प्रभावी होता है जब इसे राजपत्र में अपलोड/अधिसूचित किया जाता है या दिन/तिथि के पहले क्षण से प्रभावी होता है

जिस पर इसे राजपत्र में जारी/प्रकाशित किया गया था।

6) 16 एससीसी 692 [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. एस. जी. की प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है:

ए (आई) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 के तहत, धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मामले में आयातित वस्तुओं की शुल्क दर और मूल्यांकन के निर्धारण की तारीख वह तारीख है जिस पर वस्तुओं के संबंध में प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है। "तारीख पर" अभिव्यक्ति 24 घंटे की पूरी अवधि को समझती है, इस मामले में 16 फरवरी 2019 की आधी रात से शुरू होती है;((ख)

धारा 15 समय का कोई संदर्भ नहीं देती है और इसलिए,

ई-राजपत्र में अपलोड या प्रकाशित, घरेलू उपभोग के लिए स्वीकृत आयातित वस्तुओं पर देय शुल्क की दर, कानूनी कल्पना, प्रस्तुति की तारीख पर प्रचलित दर

प्रविष्टि का बिल;

((iii) धारा 15 की व्याख्या शाब्दिक निर्माण के नियम के आलोक में की जानी चाहिए, और कानून को वैसे ही लागू किया जाना चाहिए जैसे वह है; और

(iv) यह मामला संभावित या पूर्वव्यापी के बारे में नहीं है।

जारी किए जाने पर अधिसूचना का अनुप्रयोग। बल्कि, यह संसद का सरल इरादा है कि वह सचेत रूप से उस तारीख को शुल्क की दर (जैसा लागू हो) के निर्धारण की तारीख के रूप में जारी की जाए, जिसे इस अदालत को बरकरार रखना चाहिए।

बी (आई) उपरोक्त (ए) से स्वतंत्र, सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए (1) के तहत एक अधिसूचना पहली अनुसूची में संशोधन का प्रभाव रखती है और यह एक विधायी अधिनियम है जो

दिन की शुरुआत;

((ii) अनुसूची अधिनियम का एक हिस्सा है, और इसलिए एक संशोधन है।

इसके लिए अधिनियम में एक संशोधन है;

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए की उप-धारा (2) धारा 8ए (1) के तहत जारी अधिसूचना पर धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधानों को लागू करती है।

(iv) पहली अनुसूची में संशोधन करने वाली धारा 8ए (1) के तहत एक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए और

इसके अनुमोदन और संशोधन के अधीन; और

(v) धारा 8ए के तहत शक्तियों के प्रयोग पर अनुसूची में एक संशोधन, भारत और ओआरएस अधिनियम का एक संशोधन है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जो संसदीय प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरती है

मंजूरी और इसकी मंजूरी के अधीन है।

उपरोक्त (बी) को ध्यान में रखते हुए, चूंकि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की अनुसूची अधिनियम का एक हिस्सा है, इसलिए सामान्य खंड अधिनियम 18975 के प्रावधान एक संशोधन की ओर आकर्षित होते हैं।

धारा 8ए (1) के तहत प्रभावी;

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (7) 'केंद्रीय अधिनियम' शब्द को संसद के एक अधिनियम के रूप में परिभाषित करती है, जबकि धारा 3 (13) 'प्रारंभ' शब्द को उस दिन के रूप में परिभाषित करती है।

जो कोई अधिनियम या विनियमन लागू होता है; सामान्य खंड अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत, एक केंद्रीय अधिनियम या विनियमन, जब तक कि इसके विपरीत व्यक्त नहीं किया जाता है, पूर्ववर्ती दिन की समाप्ति पर तुरंत लागू हो जाता है।

इसकी शुरुआत; और

' 'शुरुआत' केवल उस दिन से हो सकती है जो अधिसूचना जारी होने से पहले दिन की आधी रात से 24 घंटे की पूरी अवधि लेता है।

धारा 15 की दोहरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है क्योंकि

अधिसूचना जारी की गई और राजपत्र में अपलोड की गई

16 फरवरी 2019; और

धारा 46 के तहत घर के उपभोग के लिए प्रवेश के बिल 16 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किए गए थे।

इस दलील का आधार है कि शुल्क की दर निर्धारित की गई है

अधिसूचना द्वारा 5/2019 लागू होता है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, श्री पी. एस. नरसिम्हा ने सीखा

इनसेल ने प्रस्तुत किया कि

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारित दरों पर लगाया जाता है।

घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी गई; औरआयातकों ने 16 फरवरी 2019 को दर्ज की गई वस्तुओं की दोहरी आवश्यकताओं और प्रवेश पत्र को पूरा किया।

उपखंड अधिनियम "[2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20 से पहले दायर किया गया है: 46 घंटे जब अधिसूचना 5/2019 जारी की गई थी। प्रवेश के बिलों का मूल्यांकन सीमा शुल्क के लिए उस दर पर किया जाना था जो सीमा शुल्क से पहले मौजूद थी।

अधिसूचना का प्रकाशन।

बी (आई) अधिसूचना 5/2019 20 बजे प्रकाशित की गई है: 46: 58 16 फरवरी 2019 को इसे ईडीआई पोर्टल पर कभी अपडेट नहीं किया गया था।(ii) अधिसूचना 5/2019 केवल 20 के बाद प्रस्तुत किए गए घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के बिलों पर लागू होगी: 46: 58 16 फरवरी 2019 को या ऑनलाइन ईडीआई पोर्टल में संशोधन पर

आइसगेट;

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए (1) के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना में पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है।

चरित्र; और

((iv) अधीनस्थ विधान तब तक पूर्वव्यापी नहीं है जब तक कि वह क़ानून जिसके तहत इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से तैयार नहीं किया गया है।

निहितार्थ, आयात पूर्वव्यापीता। अधीनस्थ विधान को हमेशा 'केंद्रीय अधिनियम' की व्याख्या के लिए 'विधानमंडल अधिनियम' के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि सामान्य द्वारा परिभाषित किया गया है। खंड अधिनियम।

C (i) डिजिटल इंडिया एक नया दृष्टिकोण और विचार है जिसमें भारत है।

विकसित हो रहा है, और हम शासन के एक ऐसे चरण में हैं जिसमें हर एक दिन कई वाणिज्यिक लेनदेन होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण) नियम, 2011 का नियम 5 (1) टाइमस्टैम्प के रखरखाव को अनिवार्य करता है।

किसी भी सरकारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए;

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 और 47 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पेपरलेस) पारित किया है।

प्रसंस्करण) विनियम 20186;

(iii) विनियम 4 (2) के तहत, प्रवेश पत्र दाखिल किया गया माना जाता है और सीमा शुल्क पर इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा के प्रवेश के बाद स्व-मूल्यांकन पूरा किया जाता है।

स्वचालित प्रणाली, एक प्रविष्टि बिल भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम और स्वयं द्वारा उत्पन्न किया जाता है

विनियम 2018 "भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रविष्टि बिल की मूल्यांकन की गई प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकृत व्यक्ति को प्रेषित की जा सकती है;

(iv) धारा 15 (1) (ए) के प्रावधानों के संदर्भ में, जहां धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए माल दर्ज किया जाता है, शुल्क की दर उस तारीख से लागू दर है जिस दिन धारा 46 के तहत ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है। द.

2018 के विनियम धारा 46 के अनुसार बनाए गए हैं और इसमें एक काल्पनिक धारणा है जो यह निर्धारित करती है कि कब प्रविष्टि और स्व-मूल्यांकन के बिल की प्रस्तुति की जाएगी।

पूर्ण;

(v) एक बार प्रवेश पत्र दाखिल होने और स्व-मूल्यांकन पूरा होने के बाद, 20 बजे अधिसूचना 5/2019 जारी की जाएगी: 46: 58 वर्तमान बैच के लिए घंटों का कोई उपयोग नहीं होगा।

मामलों की; और

(vi) एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद, धारा 17 (4) के तहत पुनः मूल्यांकन केवल उन उदाहरणों में किया जा सकता है जब उचित अधिकारी द्वारा माल के सत्यापन, परीक्षा या परीक्षण पर मूल्यांकन "सही तरीके से नहीं किया गया हो"। इनमें से कोई नहीं।

वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ लागू होती हैं।

D अधिसूचना का उद्देश्य पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना है, इसका संभावित प्रभाव है: उद्देश्य और उद्देश्य उन भारतीय आयातकों को दंडित करना नहीं है जिन्होंने अधिसूचना जारी होने से पहले अपना आयात पूरा कर लिया था, घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के बिल प्रस्तुत किए थे और सीमा शुल्क अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में स्व-मूल्यांकन पूरा कर लिया था। श्री पी. एस. नरसिम्हा द्वारा जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया था, उनका समर्थन श्री देवाशीष भरुका, सुश्री अंजना गुसैन, श्री अनंत अग्रवाल, सुश्री सिश्ती अग्रवाल, श्री परमात्मा सिंह और श्री सौरभ कपूर सहित उत्तरदाताओं की ओर से पेश अन्य विद्वान वकीलों ने किया है।

15. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर नीचे विचार किया गया है।

एफ की धारा 15 के तहत दर का निर्धारण

सीमा शुल्क अधिनियम 1962

16. सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय V में सीमा शुल्क लगाने और उससे छूट का प्रावधान है। धारा 12 (1), जो प्रभार का प्रावधान है, आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान करती है [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा निर्दिष्ट दरों पर भारत में या भारत से निर्यात किया जाता है। धारा 15 (1) नीचे दी गई है:

" 15. शुल्क की दर और शुल्क मूल्यांकन के निर्धारण की तिथि

आयातित वस्तुएँ। — (1) शुल्क की दर और प्रशुल्क मूल्यांकन, यदि किसी भी आयातित माल पर लागू होने वाली दर और

लागू मूल्यांकन,

(क) घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मामले में

(ख) धारा के तहत गोदाम से हटाए गए माल के मामले में 68 , जिस तारीख को घर में उपयोग के लिए प्रवेश का बिल आएगा

ऐसी वस्तुओं का सम्मान उस धारा के तहत प्रस्तुत किया गया है]; (ग) किसी अन्य वस्तु के मामले में, शुल्क के भुगतान की तारीख को:

बशर्ते कि यदि प्रविष्टि का बिल तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो

पोत के अंदर प्रवेश या विमान के आगमन यावाहन जिसके द्वारा माल का आयात किया जाता है, प्रवेश का बिल होगा

ऐसी प्रविष्टि की तारीख को प्रस्तुत किया गया माना जाता है या आगमन, जैसा भी मामला हो।

इस धारा के प्रावधान सामान और सामान पर लागू नहीं होंगे ।डाक द्वारा आयातित "।

(जोर दिया गया)

17. धारा 12 निर्दिष्ट करती है कि आयातित वस्तुओं पर शुल्क की दरें

और निर्यात वे हैं जो सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य कानून में प्रदान किए गए हैं। धारा 12 यह इंगित नहीं करती है कि उन अधिनियमों के तहत कर्तव्य कब अस्तित्व में आएंगे या लागू होंगे। धारा 15 उस तारीख को निर्दिष्ट करती है जिसके संदर्भ में शुल्क की दर और शुल्क मूल्यांकन आयातित माल निर्धारित किया जाता है। धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में अलग-अलग प्रावधान हैं जो इन पर लागू होते हैं:

((i)

धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुएँ;

धारा 68 के तहत गोदाम से हटाए गए माल; और

((ख)

अन्य सामान।

(iii)

जहाँ धारा के तहत घरेलू उपभोग के लिए सामान दर्ज किया जाता है।

46 , शुल्क और प्रशुल्क मूल्यांकन की दर भारत और ओ. आर. एस. संघ में "दर और मूल्यांकन" होनी चाहिए।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उस धारा के तहत ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्रविष्टि का बिल "उस तारीख को" प्रस्तुत किया जाता है। शुल्क की दर के संबंध में, धारा 15 (1) के खंड (ए) का प्रभाव यह है कि वह दर जो उस तारीख को लागू होती है जिस दिन धारा 46 (घरेलू उपभोग के लिए दर्ज किए गए माल के मामले में) के तहत प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है, आयातित माल पर लागू होती है। जब कर्तव्य उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों के तहत लागू होते हैं

विशेष अधिनियम की शर्तों पर निर्भर और परिभाषित।

18. सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय IX में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

भंडारण। धारा 68, जो उस अध्याय के तहत आती है, यह निर्धारित करती है कि जिन वस्तुओं को भंडारित किया गया है, उन्हें घर के लिए साफ़ किया जा सकता है।

उपभोग यदि:

घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अ)

ख)

आयात शुल्क, ब्याज, जुर्माना और जुर्माना, जैसा भी लागू हो,

भुगतान किया गया; और

घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी का आदेश दिया गया है।

(ग)

उचित अधिकारी द्वारा।

बशर्ते कि खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश भी किया जा सकता है।

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से

उचित चयन मानदंडों के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन।

धारा 15 (1) की धारा 68, खंड (बी) के तहत गोदाम से साफ किए गए सामानों के लिए यह प्रावधान है कि शुल्क और मूल्यांकन की दर वे हैं जो उस तारीख को "लागू" हैं जिस दिन घर के लिए प्रवेश का बिल होता है।

वस्तुओं का आयात किया जाता है। धारा 46 (3) के प्रावधान के तहत, जिस विमान या वाहन द्वारा माल को भारत में आयात के लिए भेजा गया है, उसके अपेक्षित आगमन से तीस दिन से अधिक पहले किसी भी समय प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए,धारा 15 (1) के प्रावधान में कहा गया है कि यदि पोत के अंदर प्रवेश करने या विमान या वाहन के आगमन की तारीख से पहले प्रवेश का बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा माल आयात किया जाता है, तो प्रवेश का बिल है -

माना जाता है कि प्रवेश की तारीख या [2020] 14 एस. सी. आर. पर प्रस्तुत किया गया था।

माल का आगमन। इसलिए जहां प्रवेश का बिल अंदर प्रवेश करने या विमान या वाहन के आगमन की तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया है, वहां भी शुल्क की दर अंदर प्रवेश करने या विमान या वाहन के आगमन की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। यह परंतुक के तहत काल्पनिक कल्पना का एक परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश पत्र की प्रस्तुति, जब माल के आगमन से पहले दायर की जाती है, तो इसे अंदर प्रवेश करने या विमान या वाहन के आगमन की तारीख पर माना जाता है। इसलिए, धारा 15 (1) के प्रावधानों में दोहरी या (अदालत के समक्ष वकील के रूप में वर्णित) दोहरी आवश्यकताएं निहित हैं (i) प्रवेश पत्र की प्रस्तुति; और (ii) पोत के अंदर प्रवेश या, जैसा भी मामला हो, विमान या वाहन का आगमन। 19. धारा 17 कर्तव्य के निर्धारण का प्रावधान करती है। धारा 46 में आयात पर माल के प्रवेश का प्रावधान है। के दोनों प्रावधान

धारा 17 और धारा 46 में अधिनियम 8 द्वारा विधायी परिवर्तन किए गए हैं।

2011 और 2018 के वित्त अधिनियम द्वारा। 2011 के अधिनियम 8 द्वारा, धारा 17 को प्रतिस्थापित किया गया था और धारा 46 में संशोधन किया गया था ताकि

घरेलू उपभोग या भंडारण के लिए प्रविष्टि के बिल के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुति। धारा 46 इस प्रकार प्रदान करती है:

" 46. आयात पर माल का प्रवेश। — (1) आयातक

पारगमन के लिए अभिप्रेत वस्तुओं के अलावा कोई भी वस्तु या

हस्तांतरण, प्रस्तुत करके उसमें प्रवेश करेगा

[इलेक्ट्रॉनिक रूप से] [सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर]

उचित अधिकारी घर के उपयोग के लिए प्रवेश का बिल या ऐसे रूप और तरीके से भंडारण जो निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि [सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली, एक प्रविष्टि को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है किसी भी अन्य तरीके से: बशर्ते कि यदि आयातक उचित अधिकारी के समक्ष घोषणा करता है और उसकी सदस्यता लेता है, तो

इस प्रभाव से कि वह इस उप-धारा के तहत आवश्यक माल के सभी विवरण प्रस्तुत करने में पूरी जानकारी के अभाव में असमर्थ है, उचित अधिकारी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने तक,

उसे उसके प्रवेश से पहले (क) सीमा शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में माल की जांच करने के लिए, या (ख) धारा 57 के तहत नियुक्त सार्वजनिक गोदाम में माल को भंडारण के बिना जमा करने की अनुमति दें।

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(2) उचित अधिकारी द्वारा अन्यथा अनुमति के अनुसार बचाएँ, का एक बिल

(3) आयातक उप-धारा के तहत प्रवेश पत्र प्रस्तुत करेगा।(1) अगले दिन के अंत से पहले (दिन को छोड़कर)

अवकाश) जिस पर विमान या पोत या वाहन ले जाता है

माल एक सीमा शुल्क स्टेशन पर आता है जहाँ ऐसे माल को रखा जाना है।

घरेलू उपभोग या भंडारण के लिए मंजूरी: बशर्ते कि ए

प्रविष्टि पत्र किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है जो तीस से अधिक न हो।

विमान या पोत या वाहन के अपेक्षित आगमन से कुछ दिन पहले

जिनके द्वारा माल को भारत में आयात के लिए भेजा गया है:

बशर्ते कि जहां प्रवेश पत्र इसके भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो

इस प्रकार निर्दिष्ट समय और उचित अधिकारी संतुष्ट है कियदि इस तरह की देरी का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो आयातक भुगतान करेगा।

प्रविष्टि के बिल को देर से प्रस्तुत करने के लिए ऐसे शुल्क जो हो सकते हैं

निर्धारित किया गया।

इस तरह की सामग्री की सच्चाई के रूप में एक घोषणा की सदस्यता लें प्रविष्टि का बिल और ऐसी घोषणा के समर्थन में,

उचित अधिकारी चालान, यदि कोई हो, [और ऐसे अन्य दस्तावेज]

आयातित वस्तुओं से संबंधित जो विहित किया जाए]।

(क) उसमें दी गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता;(ख) इसका समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता और वैधता;

इस अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत माल बलपूर्वक "।

(जोर दिया गया)

धारा 46 की उप-धारा (1) माल के आयातक से अपेक्षा करती है कि -

घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करके एक प्रविष्टि या

आवास "सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से" रोपर अधिकारी को "ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जा सके"। 'इलेक्ट्रॉनिक रूप से' शब्द को 2011 के अधिनियम 8 द्वारा लागू किया गया था।

8 अप्रैल 2011। प्रविष्टि विधेयक प्रस्तुत करने का प्रावधान [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर और 'निर्धारित रूप और तरीके से' 2018 के वित्त अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। उप के अंतर्गत

धारा 46 की धारा (3), उप-धारा (1) के तहत प्रविष्टि का बिल उस दिन के अंत से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस दिन

माल ले जाने वाला विमान, पोत या वाहन एक सीमा शुल्क स्टेशन पर पहुंचता है जहां माल को घरेलू उपभोग के लिए साफ़ किया जाना है या

भंडारण (छुट्टियों को बाहर रखा गया है)। उप-धारा का पहला परंतुक

(3) जिस विमान, पोत या वाहन द्वारा माल को आयात के लिए भेजा गया है, उसके अपेक्षित आगमन से तीस दिन से अधिक समय पहले आगमन से पहले प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। दूसरे परंतुक के तहत यदि पर्याप्त कारण के बिना निर्दिष्ट समय के भीतर प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता

है, तो आयातक को शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। प्रविष्टि के बिल को देर से प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित।

20. धारा 17 कर्तव्य के निर्धारण के लिए प्रावधान करती है:

" कर्तव्य का मूल्यांकन।

17. शुल्क का आकलन (1) धारा 46 के तहत किसी भी आयातित माल में प्रवेश करने वाला आयातक या किसी भी निर्यात माल में प्रवेश करने वाला निर्यातक।धारा 50 के तहत, धारा 85 में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर,

ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क, यदि कोई हो, का स्व-आकलन करें। (2) उचित अधिकारी धारा के तहत की गई प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है।

46 या धारा 50 और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं का स्व-मूल्यांकन और इस उद्देश्य के लिए किसी भी आयातित वस्तु या निर्यात वस्तु या उसके ऐसे हिस्से की जांच या परीक्षण करना जो आवश्यक हो।

बशर्ते कि सत्यापन के लिए मामलों का चयन मुख्य रूप से उचित चयन के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर होगा।

मानदंड।

(3) उप-धारा (2) के तहत सत्यापन के प्रयोजनों के लिए,

उचित अधिकारी आयातक, निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति से कोई दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसके द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं पर देय शुल्क का पता लगाया जा सकता है और उसके बाद, आयातक, निर्यातक या

ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करेगा या ऐसा प्रस्तुत करेगा

जानकारी दी।

(4) जहां यह सत्यापन, परीक्षा या परीक्षण पर पाया जाता है

माल का या अन्यथा कि स्व-मूल्यांकन नहीं है

सही ढंग से किया गया, उचित अधिकारी भारत और ओ. आर. एस. के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कर सकता है।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क का आकलन करें।(5) जहां उप-धारा (4) के तहत किया गया कोई पुनर्मूल्यांकन है -

आयातक या निर्यातक द्वारा किए गए स्व-मूल्यांकन के विपरीत

और उन मामलों के अलावा जहां आयातक या निर्यातक, के रूप में

मामला हो सकता है, उक्त की उनकी स्वीकृति की पुष्टि करता है

पुनर्मूल्यांकन पर आदेश, तारीख से पंद्रह दिनों के भीतरप्रविष्टि के बिल या शिपिंग बिल का पुनर्मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो

हो सकता है।

स्पष्टीकरण। - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि

ऐसे मामलों में जहां एक आयातक ने किसी भी आयातित वस्तु में प्रवेश किया हैधारा 46 या किसी निर्यातक ने इसके तहत कोई निर्यात माल दर्ज किया है।

वित्त विधेयक, 2011 को प्राप्त होने की तारीख से पहले की धारा 50 राष्ट्रपति की सहमति, ऐसी आयातित वस्तुएँ या निर्यात वस्तुएँ

धारा 17 के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहेगा क्योंकि यह

उस तारीख से तुरंत पहले खड़ा था जिस दिन ऐसी सहमति दी जाती है

प्राप्त किया "।

(जोर दिया गया)

2011 के संशोधन अधिनियम 8 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले, धारा 17

(i) वस्तुओं की जांच और परीक्षण के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ; और (ii)

सिमेंट। धारा 17, जैसा कि यह प्रतिस्थापन से पहले थी, में थी

पंखों की शर्तें:

" 17. कर्तव्य का मूल्यांकन। -(1) किसी आयातक द्वारा धारा के तहत किसी भी आयातित वस्तु को दर्ज करने के बाद

46 या किसी निर्यातक ने धारा 50 के तहत कोई निर्यात माल दर्ज किया है।

आयातित माल या निर्यात माल, जैसा भी मामला हो, या

उसका ऐसा भाग जो आवश्यक हो, बिना किसी अनुचित विलम्ब के,

उचित अधिकारी द्वारा जाँच और परीक्षण किया जाए। (2) इस तरह की जांच और परीक्षण के बाद, शुल्क, यदि कोई हो, पर लगाया जा सकता है।

धारा 85 में अन्यथा उपबंधित किए गए माल को छोड़कर,

मूल्यांकन किया गया।

(3) उप-धारा (2) के तहत शुल्क का आकलन करने के उद्देश्य से,

उचित अधिकारी को आयातक, निर्यातक या किसी अन्य की आवश्यकता हो सकती है।कोई भी अनुबंध प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, दलाल का नोट, बीमा पॉलिसी,

सूची या अन्य दस्तावेज जिसके द्वारा [2020] 14 एस. सी. आर. पर देय शुल्क।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयातित माल या निर्यात माल, जैसा भी मामला हो, का पता लगाया जा सकता है, और इस तरह के निर्धारण के लिए आवश्यक कोई भी जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है जिसका उत्पादन या प्रस्तुत करना उसकी शक्ति में है, और

उस पर आयातक, निर्यातक या ऐसा अन्य व्यक्ति उत्पादन करेगा।

ऐसा दस्तावेज और ऐसी जानकारी प्रदान करें।

(4) इस धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आयातित माल या निर्यात माल, परीक्षा या परीक्षण से पहले हो सकता है।

उसके संबंध में प्रविष्टि में दिए गए विवरणों और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और उप-धारा (3) के तहत दी गई जानकारी के आधार पर उचित अधिकारी द्वारा ड्यूटी के लिए मूल्यांकन की अनुमति दी जाएगी; लेकिन अगर यह माल की जांच या परीक्षण पर बाद में पाया जाता है या अन्यथा कि ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज में कोई बयान या इस तरह से दी गई कोई जानकारी मूल्यांकन से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में सही नहीं है, तो माल, इस अधिनियम के तहत की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

कर्तव्य के लिए फिर से मूल्यांकन किया जाए।

(5) जहां उप-धारा (2) के तहत किया गया कोई निर्धारण आयातक या निर्यातक के मूल्यांकन के संबंध में दावे के विपरीत है।

इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त माल, वर्गीकरण, छूट या शुल्क की रियायतें, और उन मामलों के अलावा अन्य मामलों में जहां आयातक या निर्यातक,मामला हो सकता है, लिखित रूप में उक्त मूल्यांकन की स्वीकृति की पुष्टि करता है, उचित अधिकारी पंद्रह के भीतर एक बोलने का आदेश पारित करेगा।

प्रवेश के बिल या शिपिंग के मूल्यांकन की तारीख से दिन

बिल, जैसा भी मामला हो "।2011 के संशोधन ने महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन किए हैं।

धारा 17 के तहत कर्तव्य के निर्धारण के लिए प्रक्रिया और तौर-तरीकों में। धारा 17 की उप-धारा 1 के तहत आयात में प्रवेश करने वाला आयातक

धारा 46 के तहत माल को शुल्क का 'स्व-आकलन' करना पड़ता है (धारा 85 के प्रावधानों में अन्यथा परिकल्पित को छोड़कर)। उप-धारा (2) के तहत, उचित अधिकारी धारा 46 के तहत की गई प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है और उप-धारा (1) के तहत किया गया स्व-मूल्यांकन और माल की जांच या परीक्षण कर सकता है। सत्यापन के लिए वस्तुओं का चयन मुख्य रूप से उचित चयन मानदंडों के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए। उप-धारा (4) के तहत, जहां यह माल के सत्यापन, परीक्षण या परीक्षण पर पाया जाता है या अन्यथा कि स्व-मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया है, उचित अधिकारी को पुनर्मूल्यांकन की शक्ति सौंपी जाती है। उप.

धारा (5) में पुनर्मूल्यांकन पर बोलने का आदेश पारित करने की अपेक्षा की गई है।

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

21. धारा 47 में घर के लिए माल की निकासी का प्रावधान है।

एमपशन:

" घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी।

(1) जहाँ उचित अधिकारी का समाधान हो कि कोई भी माल

घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश निषिद्ध वस्तुएं नहीं हैं।

और आयातक ने उस पर निर्धारित आयात शुल्क, यदि कोई हो, और इस अधिनियम के तहत देय किसी भी शुल्क का भुगतान कर दिया है

उसी तरह, उचित अधिकारी अनुमति देने का आदेश दे सकता है

घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी:

बशर्ते कि ऐसा आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है

(ए) में प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को आत्म मूल्यांकन का मामला; या

(बी) उस तारीख से एक दिन के भीतर (छुट्टियों को छोड़कर) जिस दिन उचित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या अनंतिम के मामले में कर्तव्य के भुगतान के लिए उसे प्रवेश पत्र वापस किया जाता है।

मूल्यांकन; या

(ग) उप-धारा (1) के परंतुक के तहत आस्थगित भुगतान के मामले में, ऐसी नियत तारीख से जो बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

इस संबंध में,

और यदि वह इस प्रकार निर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस शुल्क पर ब्याज का भुगतान करेगा जो भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है।

भुगतान, ऐसी दर पर, दस प्रतिशत से कम नहीं। लेकिन छत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं। प्रति वर्ष, जैसा कि केंद्र द्वारा तय किया जा सकता है

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा।

(जोर दिया गया)

धारा 47 की उप-धारा (2) आयातक से आयात का भुगतान करने की अपेक्षा करती है।

" स्वयं [2020] 14 एस. सी. आर. के मामले में प्रविष्टि पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को।

मूल्यांकन "। वैकल्पिक रूप से, जहां निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन या अनंतिम मूल्यांकन के मामले में शुल्क के भुगतान के लिए आयातक को प्रवेश का बिल वापस किया जाता है, तो आयात शुल्क का भुगतान छुट्टियों को छोड़कर एक दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

आयात पर माल के प्रवेश के लिए धारा 46 और मूल्यांकन के लिए धारा 17 में निहित प्रावधान

धारा 46, धारा 17 के प्रावधानों में आयातक द्वारा शुल्क के स्व-मूल्यांकन का प्रावधान है।धारा 46 (1) में कहा गया है कि प्रवेश पत्र को प्रपत्र में और 'निर्धारित' तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति 'निर्धारित' है

धारा 2 (32) में परिभाषित किया गया अर्थ अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रविष्टि विधेयक (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा औरकागज रहित प्रसंस्करण) विनियम 2018 धारा 46 और 47 और धारा 157 द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति के अनुसरण में बनाए गए हैं।

जिसमें विनियम बनाने की सामान्य शक्ति होती है। धारा 157 (2) (ए) को वित्त अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 13) द्वारा संशोधित किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश पत्र देने या प्रस्तुत करने के रूप और तरीके पर विनियम बनाने की शक्ति दी जा सके। 2018 के विनियमों के विनियम 2 (सी) में अभिव्यक्ति बिल ऑफ एंट्री को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" (ग) "बिल ऑफ एंट्री" का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा स्वीकार की गई और एक विशिष्ट संख्या उत्पन्न की गई और उस विशेष बिल को सौंपी गई।

भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज द्वारा प्रविष्टि

प्रणाली, और इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या प्रिंट-आउट शामिल हैं "

विनियमन 2 (डी) इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है।

घोषणा:

" (घ) "इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा" का अर्थ है भारतीय सीमा शुल्क में दर्ज की गई आयातित वस्तुओं से संबंधित विवरण।

इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम "यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विनियमन 2 (ई) के तहत, "आईसीईजीएटीई" सीमा शुल्क स्वचालित है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की प्रणाली। विनियमन 3 में अधिकृत व्यक्ति (विनियमन 2 (बी) 'में परिभाषित), जिसमें आयातक भी शामिल है, को डिजिटल हस्ताक्षर चिपकाकर इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और सहायक दस्तावेज दर्ज करने की आवश्यकता होती है। नियम 3 इस प्रकार है:

" 3. अधिकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत में प्रवेश करेगा।

घोषणा और स्वयं सहायक दस्तावेजों को चिपकाकर

डिजिटल हस्ताक्षर करें और उन्हें सीमा शुल्क स्वचालित पर दर्ज करें प्रणाली और उसे इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा भी मिल सकती है

समर्थन के साथ सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर बनाया गया

सेवा केंद्र में सेवाओं का लाभ उठाकर दस्तावेज।"

विनियम 4 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -" 4. (1) अधिकृत व्यक्ति इससे पहले प्रविष्टि का बिल दाखिल करेगा

अगले दिन के अंत में (छुट्टियों को छोड़कर)

जिसे माल ले जाने वाला विमान या पोत या वाहन पहुँचता है

एक सीमा शुल्क स्टेशन पर जहां इस तरह के सामान को साफ़ किया जाना है

घरेलू उपभोग या भंडारण।

(2) यह माना जाएगा कि प्रवेश पत्र दाखिल किया गया है औरस्व-मूल्यांकन पूरा किया जाता है जब प्रवेश के बाद

और प्रवेश पत्र की स्व-मूल्यांकन प्रति हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकृत व्यक्ति को प्रेषित किया गया या

सेवा केंद्र में मुद्रित।

(3) जहाँ निर्दिष्ट समय के भीतर प्रवेश पत्र दाखिल नहीं किया जाता है।उप-विनियम (1) और सीमा शुल्क का उचित अधिकारी संतुष्ट है।

कि इस तरह की देरी का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, आयातक

बिल की देर से प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

. '99 की दर से प्रविष्टि

(जोर दिया गया)

(ख) "अधिकृत व्यक्ति" से एक आयातक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास सीमा शुल्क दलाल अनुज्ञप्ति विनियम, 2013 या इसी तरह के मामलों से संबंधित किसी अन्य विनियम के तहत वैध अनुज्ञप्ति है और इसमें सीमा शुल्क दलाल का एक कर्मचारी भी शामिल है जिसे इस अधिनियम के तहत फॉर्म जी में एक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है। सीमा शुल्क दलाल अनुज्ञप्ति विनियम, 2013 या इसी तरह के मामलों से संबंधित कोई अन्य विनियम; [2020] 14 एस. सी. आर.

22. 2018 के विनियमों में केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए स्वचालित मंच पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में घोषणा प्रस्तुत करने और प्रविष्टि बिल तैयार करने का प्रावधान किया गया है कर और सीमा शुल्क। विनियम 4 का उप-विनियम (2) एक कानूनी कल्पना का प्रतीक है। विनियम 4 (2) में कहा गया है कि सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली (या) पर इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा के प्रवेश के बाद प्रवेश पत्र दाखिल किया गया माना जाता है और स्व-मूल्यांकन पूरा किया जाता है।

एक सेवा केंद्र के माध्यम से डेटा प्रविष्टि द्वारा) भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ("ईडीआई") प्रणाली द्वारा प्रवेश संख्या का एक बिल उत्पन्न किया जाता है। प्रविष्टि बिल की स्व-मूल्यांकन प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो सकती है।

डीमिंग फिक्शन के तहत अधिकृत व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है जो हैविनियमन 4 (2) द्वारा बनाया गया। इसलिए, प्रविष्टि बिल को दाखिल किया गया माना जाता है और विनियमन की आवश्यकताओं के अनुसार स्व-मूल्यांकन पूरा किया जाता है।

23. धारा 15 (1) (ए) के प्रावधानों के संदर्भ में, धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मामले में, प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तिथि शुल्क और प्रशुल्क मूल्यांकन की दर निर्धारित करती है। धारा 47 (2) (ए) के तहत आयातक भुगतान करने के लिए बाध्य है।

पूर्ण। एक बार जब प्रवेश पत्र को विनियमन 4 (2) के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया माना जाता है, तो धारा 15 (1) (ए) के तहत लागू दर और मूल्यांकन स्पष्ट हो जाता है। धारा 17 (4) उचित अधिकारी को पुनर्मूल्यांकन की शक्ति प्रदान करती है जहां यह सत्यापन, परीक्षा या परीक्षण पर पाया जाता है।माल का परीक्षण या अन्यथा-कि स्व-मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों ने शुल्क की दर बढ़ाने वाली बाद की अधिसूचना के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग करने की मांग की। तथ्य यह है कि स्व-मूल्यांकन शुल्क की दर के आधार पर किया गया था जो प्रवेश पत्र की प्रस्तुति के समय प्रचलित थी। यह विवाद का विषय नहीं है और न ही हो सकता है। अधिसूचना 5/2019, जिसने सीमा शुल्क की पहली अनुसूची में एक नई शुल्क प्रविष्टि-980,60,000 की शुरुआत की

इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं को शामिल करने वाला शुल्क अधिनियम उस समय लागू नहीं था जब स्व-मूल्यांकन किया गया था।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

24. धारा 15 (1) (ए) के तहत शुल्क की दर उस पर लागू दर है।

प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुति की तारीख जहां धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए माल दर्ज किया जाता है। विद्वान ए. एस. जी. का निवेदन है कि "तिथि पर" अभिव्यक्ति को विधायिका द्वारा खंड (ए)

और (बी) में और धारा 15 (1) के परंतुक में अपनाया जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि धारा 15 (1) में समय का कोई संदर्भ नहीं है, बल्कि केवल समय की तारीख का संदर्भ है।

प्रविष्टि बिल की प्रस्तुति और एक बार 16 फरवरी 2019 को शुल्क की दर बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, जो प्रस्तुत करने की तारीख से लागू शुल्क है। धारा 15 (1) (ए) में दो अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है (i) "लागू" दर और मूल्यांकन; और (ii) धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की "तारीख को"। धारा 15 (1) (ए) के प्रावधानों को धारा 46 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो पूर्व प्रावधान में संदर्भित हैं। धारा 46 ने एक ऐसी व्यवस्था को शामिल किया है जिसमें विधेयक प्रस्तुत करना शामिल है -

निर्धारित तरीके से सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में घर की खपत या भंडारण के लिए प्रविष्टि। 2018 के विनियम उस तरीके को निर्धारित करते हैं जिसमें प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाना है। विनियम 4 (2) में दीमिंग फिक्शन निर्दिष्ट करता है कि प्रवेश पत्र और 'स्व-मूल्यांकन' की प्रस्तुति कब पूरी होती है। एक बार विनियमन 4 (2) के तहत काल्पनिक धारणा अस्तित्व में आने के बाद धारा 15 (1) (ए) के तहत शुल्क की दर स्पष्ट हो जाती है। शुल्क की दर निर्धारित करते समय विनियमों को धारा 15 (1) (ए) और धारा 46 में निहित वैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

जी पूर्ववर्ती25. इस स्तर पर पूर्ववर्ती का विश्लेषण करना आवश्यक है

विषय। भारत सर्फैक्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ

8

(" भारत सर्फैक्टेंट्स), याचिकाकर्ताओं द्वारा खाद्य तेल के आयात पर 150 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगाया गया था, इस आधार पर कि आयात आंतरिक प्रवेश की तारीख को किया गया था, जो 31 जुलाई 1981 था। जहाज 11 जुलाई 1981 को बॉम्बे बंदरगाह पर आया और पंजीकृत हुआ, लेकिन बर्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण माल को उतारा नहीं जा सका। जहाज बॉम्बे से रवाना हुआ और कराची की ओर बढ़ा और जुलाई 1981 के अंत में लौट आया। 11 जुलाई 1981 को सीमा शुल्क की दर 12.5 प्रतिशत थी और आयातक का तर्क था कि लेकिन इस तथ्य के लिए कि जहाज एक बर्थ सुरक्षित करने में असमर्थ था, उसने माल की डिलीवरी की होगी। संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश

8 (1989) 4 एससीसी 21 [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. एस. पाठक ने आयातक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वस्तुओं का आयात 11 जुलाई 1981 को हुआ माना जाना चाहिए जब

जहाज मूल रूप से बॉम्बे बंदरगाह पर आया और खुद को पंजीकृत किया। संविधानपीठ ने कहा:

" 14 ..... धारा 15 के प्रावधान अपने आप में स्पष्ट हैं। जिस तारीख को धारा 46 के तहत प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है, वह तारीख, घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मामले में, शुल्क की दर और शुल्क मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख होती है। जहाँ प्रवेश पत्र पोत के प्रवेश की तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ प्रवेश पत्र पर प्रस्तुत किया गया माना जाता है

इस तरह की प्रविष्टि की तिथि "।

संविधान पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क रजिस्टर में पोत के प्रवेश की तारीख 31 जुलाई 1981 बताई गई थी और आयात शुल्क और प्रशुल्क मूल्यांकन की दर वही होगी जो उस दिन लागू थी। प्रियंका ओवरसीज प्राइवेट के मामले में इस अदालत के फैसले में भारत सर्फैक्टेंट्स के फैसले का उल्लेख किया गया था। लिमिटेड बनाम। भारत संघ '। न्यायमूर्ति एन. एम. कासलीवाल ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से कहा:

" 34 ..... आयातित वस्तुओं पर शुल्क और प्रशुल्क मूल्यांकन की दर समय-समय पर बदली जा सकती है और इस प्रकार विधायिका ने धारा 15 के तहत स्पष्ट रूप से अपना इरादा व्यक्त किया है कि किस पर

शुल्क की दर और प्रशुल्क मूल्यांकन की तारीख निर्धारित की जानी है।

बिल दाखिल करने के बीच में कई आकस्मिकताएँ हो सकती हैं

गोदाम से माल का प्रवेश और वास्तविक निष्कासन जिसके लिए कभी-कभी माल का आयातक स्वयं जिम्मेदार हो सकता है, कुछ मामलों में जिम्मेदारी सीमा शुल्क अधिकारियों पर हो सकती है और दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे आकस्मिकताएं भी हो सकती हैं। किसी भी मामले में विधायिका का इरादा स्पष्ट होने के कारण, शुल्क की दर लागू की जानी चाहिए, जो धारा के तहत गोदाम से माल को वास्तविक रूप से हटाने की तारीख से लागू हो सकती है।

15 (1) (ख) सीमा शुल्क अधिनियम "।

उपरोक्त टिप्पणियाँ, गोदाम से माल के वास्तविक निष्कासन की तारीख का उल्लेख करते हुए, प्रावधानों के संदर्भ में की गई थीं।

धारा 15 (1) (बी)। धीरज लाल एच. वोहरा बनाम भारत संघ मामले में एक बाद के फैसले में, न्यायमूर्ति के. रामास्वामी ने तीन न्यायाधीशों की ओर से बात की। पीठ ने टिप्पणी की:

1991 पूरक (1) एस. सी. सी 102

10 1993 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 453 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 3. इन प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी भी आयातित पर लागू शुल्क की दर की गणना करने के लिए नियत तिथि धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज किए गए माल के मामले में माल की दर और मूल्यांकन लागू होगा, वह तारीख जिस पर उस धारा के तहत ऐसे माल के संबंध में प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है और धारा 68 के तहत गोदाम से माल को हटाने के मामले में, वह तारीख जिस पर माल को वास्तव में गोदाम से हटा दिया जाता है। परंतुक के संचालन से यदि प्रवेश का बिल प्रवेश की तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया है, तो प्रवेश का बिल "इस तरह की प्रविष्टि की तारीख को" प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, लेकिन इसके अधीन होगा

अधिनियम की धारा 46 और 31 (1) का प्रवर्तन।

उस स्थिति में जहाज 20 फरवरी 1989 को मद्रास बंदरगाह पर आया था और अपने माल को छोड़ने के लिए तैयार था। हालांकि आयात मैनिफेस्ट वितरित किया गया था, लेकिन लगातार हड़ताल के परिणामस्वरूप कार्गो को नियंत्रित नहीं किया जा सका। घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के लिए प्रविष्टि बिल 27 फरवरी 1989 को प्रस्तुत किया गया था। जहाज बंदरगाह में आया और 2 मार्च 1989 को खड़ा किया गया, जिस तारीख को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। 1 मार्च 1989 से शुल्क की दर बढ़ा दी गई थी। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि जहाज 20 फरवरी 1989 को भारतीय क्षेत्रीय जल में प्रवेश कर गया था, जब वह माल का निर्वहन करने के लिए तैयार था, तो शुल्क की दर वह होनी चाहिए जो उस तारीख को प्रचलित थी:

अधिनियम की धारा 46 और 31 के साथ पठित धारा 15 (1) के प्रयोजन के लिए माल प्रासंगिक नहीं है। संबंधित पूर्व प्रविष्टियाँ 27 फरवरी, 1989 को माल की निकासी के लिए प्रवेश पत्र की प्रस्तुति और 28 फरवरी, 1989 को मूल्यांकन अनुभाग में उनकी रसीद भी अप्रासंगिक हैं। इसलिए सीमा शुल्क की दर तय करने की प्रासंगिक तिथि 2 मार्च, 1989 है। उस तारीख को जो दर लागू थी, वह शुल्क होगा जिसके लिए आयातित माल शुल्क के लिए उत्तरदायी होगा और सीमा शुल्क की दर के अनुसार उसके भुगतान पर माल का भुगतान किया जाएगा।

2 मार्च, 1989 तक प्रचलित।

डी. सी. एम. बनाम डी. सी. एम. मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों वाली पीठ का एक और निर्णय। भारत संघ 1 1 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

1 1 1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 223 [2020] 14 एस. सी. आर.

" 7 ..... धारा 15,46 और 68 के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि वे आयातक को या तो घर के उपभोग के लिए सीधे प्रवेश पत्र दाखिल करने का विकल्प प्रदान करते हैं (जिस स्थिति में उसे उस तारीख के संदर्भ में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है) या भंडारण के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करने का विकल्प प्रदान करते हैं। बाद के मामले में, माल को केवल भंडारित किया जाता है। आयात शुल्क उस दर पर और गोदाम से निकासी की तारीख पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाएगा, जिसके लिए आयातक को घर के उपभोग के लिए नए सिरे से प्रवेश पत्र दाखिल करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करने की तारीख है जो धारा 15 के खंड (ए) और (बी) में शुल्क की दर निर्धारित करती है। चूंकि मामला आयातक के विकल्प पर छोड़ दिया गया है और क्योंकि अधिनियम द्वारा एक समान सिद्धांत अपनाया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम भेदभाव की किसी भी वैध शिकायत के लिए कोई जगह नहीं देखते हैं। ऐसा कोई अनुमान भी नहीं है कि शुल्क की दर हमेशा बढ़ती है। यह भी जा सकता है

जिस स्थिति में, आयातक को लाभ होगा।

26. धारा 46 के तहत घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र की प्रस्तुति इसलिए एक निश्चित घटना है जिसके संदर्भ मेंआयात के लिए देय सीमा शुल्क निर्धारित किया जाता है। जिस दिन घर के उपयोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस दिन लागू शुल्क शुल्क होता है।

जो धारा 15 (1) (ए) के तहत लागू होता है। यह इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए है कि प्रवेश पत्र की प्रस्तुति से पहले क्षेत्रीय जल में पोत का प्रवेश शुल्क की दर तय करने के लिए नहीं किया गया है, जहां शुल्क की दर में बदलाव हुआ है।

एच 'दिन' और 'तिथि' की व्याख्या करना

27. इस न्यायालय के पूर्ववर्तियों में "दिन" और "तिथि" अभिव्यक्तियों का अलग-अलग संदर्भों में अर्थ लगाया गया है। अंतर्निहित विशेषता निर्णयों में से यह है कि उन अभिव्यक्तियों की सामग्री संदर्भ पर आधारित है। राज कुमार यादव बनाम समीर कुमार महासेठ 1 2 में

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 द्वारा प्रदान की गई सीमा चुनाव की तारीख से 45 वें दिन समाप्त हो गई। प्रावधान की व्याख्या करते हुए, मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

" 6 ..... अधिनियम में "दिन" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे उसका सामान्य अर्थ देना होगा जैसा कि कानून में समझा गया है। वह शब्द।

12 (2005) 3 एस. सी. सी. 601 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार "दिन" आधी रात को शुरू होता है और एक दिन को कवर करता है।इसके बाद 24 घंटे की अवधि, संदर्भ में इसके विपरीत कुछ भी होने के अभाव में।

इसलिए, उस मामले में चुनाव याचिका 27 और 28 अगस्त 2003 के बीच आधी रात तक पेश की जा सकती थी। अदालत ने

यह मत व्यक्त किया कि क़ानून द्वारा निर्धारित सीमा को उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा कम या हटाया नहीं जा सकता है, जो इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।

28. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राम दयाल 1 3 ("राम।

दयाल), इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया कि वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी 31 अगस्त 1984 तक थी और इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। पॉलिसी को नवीनीकृत करने के बजाय, 28 सितंबर 1984 से एक नई बीमा पॉलिसी ली गई, जिस तारीख को दुर्घटना हुई थी। यह न्यायालयपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों द्वारा समर्थित किया गया था, कि बीमा कवर दिन की शुरुआत से शुरू हुआ और यह निष्कर्ष निकाला कि:

" 4 ..... जब कोई पॉलिसी किसी विशेष तिथि पर ली जाती है, तो उसकी प्रभावशीलता उस तारीख के प्रारंभ से होती है और इसलिए, उच्च न्यायालय, हमारी राय में, यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि बीमाकर्ता अधिनियम के संदर्भ में स्वामी के दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायी था।

पुरस्कार "।

29. दूसरी ओर, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी 1 4 में, कवर नोट 9 जून 1989 को 4 बजे जारी किया गया था: 40 जबकि दुर्घटना 11 बजे हुई: 30 मैं उसी दिन हूँ। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने राम दयाल (उपरोक्त) में निर्णय को अलग करते हुए कहा कि जब कवर नोट में नीति जारी करने की तारीख 9 जून 1989 और समय 4 बताया गया है: 40 पी. एम. "इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जारी करने की प्रभावी तारीख और जारी करने का समय कवर नोट पर उल्लिखित है।" चूंकि कवर नोट में तारीख और समय दोनों का उल्लेख किया गया है, इसलिए अदालत ने माना कि यह सिद्धांत कि बीमा कवर पिछले दिन की आधी रात तक का होगा, तथ्यात्मक स्थिति को कवर नहीं करेगा।

30. अहमदसाहब में अब्दुल मुल्ला (2) प्रस्तावित एलआरएस द्वारा मृत।

बनाम बीबीजन 1 5, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 54 में अभिव्यक्ति "तिथि" (जो निर्धारित करती है)

(1990) 2 एससीसी 680(2010) 15 एस. सी. सी. 670

(2009) 5 एससीसी 462 [2020] 14 एस. सी. आर.

विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट के लिए सीमा की अवधि) कैलेंडर में एक विशिष्ट तिथि का संकेत है। अदालत ने कहा:

रन "एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जहां ऐसी कोई तारीख तय नहीं है। इसे अलग तरह से कहने के लिए, जब तारीख तय की जाती है तो इसका मतलब है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक निश्चित तारीख तय की जाती है। यहां तक कि दूसरे भाग में भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि "जब वादी को पता चलता है कि प्रदर्शन से इनकार कर दिया गया है"। यहाँ फिर से, एक निश्चित समय होता है, जब वादी इनकार को नोटिस करता है। इस अर्थ में दोनों भाग निश्चित तिथियों का उल्लेख करते हैं। इसलिए, इरादे का पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं है।अन्य परिस्थितियाँ।

31. अनुच्छेद 54 में 'तिथि' अभिव्यक्ति को कैलेंडर में एक निर्दिष्ट तिथि का सूचक माना गया था। पशुपति नाथ सिंह बनाम हरिहर में

प्रसाद सिंह, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने "तारीख पर" शब्दों का अर्थ निकाला। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) (ए) में जांच के लिए निर्धारित किया गया है। उन शब्दों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने माना कि योग्यता

उम्मीदवार का अस्तित्व जांच के दिन के शुरुआती क्षण से होना चाहिए:

“ 13. यह हमें लगता है कि अभिव्यक्ति "के लिए निर्धारित तिथि पर

धारा 36 (2) (ए) में "जांच" का अर्थ है "उस पूरे दिन जिस दिन नामांकन की जांच होनी है"। दूसरे शब्दों में, योग्यता जांच के दिन के शुरुआती क्षण से मौजूद होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाएगा कि इस तारीख को निर्वाचन अधिकारी को आपत्तियों का फैसला करना होता है और नामांकन पत्रों की जांच के बाद अन्य उम्मीदवारों द्वारा आपत्तियां दर्ज करानी होती हैं और अधिनियम की धारा 36 (2) और अन्य प्रावधानों के आलोक में। जांच की तारीख पर अन्य उम्मीदवारों को किसी विशेष नामांकन पत्र की जांच शुरू होने से पहले सभी संभावित आपत्तियों को उठाने की स्थिति में होना चाहिए।

32. मद्रास उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ

शुल्क 1 7 इस दिलचस्प मुद्दे से निपटता है कि क्या कानून दिन के अंशों की अवहेलना करता है। 5 मई 1922 को फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसके द्वारा मूल पक्ष के पुराने नियमों के परिशिष्ट-II के तहत मुकदमों की स्थापना के संबंध में देय शुल्क की तालिका में संशोधन किया गया था। 30 रुपये के निश्चित शुल्क के बजाय, यह प्रावधान किया गया था कि

16 (1968) 2 एससीआर 812

17 1 7 आई. एल. आर. (1923) 46 मध्य 685 भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कार्यालय का समय समाप्त होते ही शाम करीब 5 बजे अधिसूचना उच्च न्यायालय में पहुंच गई। विशेष पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में मुकदमों पर संस्थान शुल्क में वृद्धि करने वाले नियम उन मुकदमों पर नए पैमाने को लागू करेंगे जो उस दिन पहले ही स्थापित किए जा चुके थे। मुख्य न्यायाधीश श्वाबे ने बहुमत की ओर से कहा कि "जिस दिन राजपत्र वास्तव में प्रकाशित किया गया था, वह पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार है।" मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 'से' अभिव्यक्ति के उपयोग का दो अर्थों में से एक हो सकता है, अर्थात् उस दिन और उसके बाद, जिसमें नामित तिथि शामिल है, या केवल उसके बाद, जिसमें नामित तिथि शामिल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि यह आवश्यक है किवास्तविक आधार पर पहुंचने के लिए प्रत्येक मामले के संदर्भ और परिस्थितियों को देखें। यह कहने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने पृष्ठ 688 पर निम्नलिखित उद्धरण में सिद्धांतों को रेखांकित किया:

" (1) कि, यदि नामित तिथि एक परिभाषित सीमित अवधि की शुरुआत है, कि, जहां एक टर्मिनस एड क्वेम के साथ-साथ एक टर्मिनस ए क्वो है, तो प्रथम दृष्टया पहले दिन को बाहर रखा जाता है; (2) कि, यदि नामित तिथि एक अनिश्चित अवधि की शुरुआत है तो प्रथम दृष्टया पहला दिन शामिल किया जाता है। मैं प्रथम दृष्टया कहता हूं क्योंकि

मेरे विचार में अपवाद होने चाहिए।

उनके विचार में, "एक नामित तिथि से" अभिव्यक्ति का अर्थ "उस दिन और उसके बाद" था। अतः वह तिथि जिस पर अधिसूचना प्रकाशित की गई थी आधिकारिक राजपत्र में 5 मई 1922 को दाखिल किए गए सभी वादपत्रों पर लागू होने के लिए आयोजित किया गया था।

न्यायमूर्ति कॉट्स ट्रॉटर, एक अलग मार्ग का अनुसरण करते हुए, मुख्य न्यायाधीश के समान निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसे उन्होंने निम्नलिखित में निर्धारित किया:

पृष्ठ 691 पर टिप्पणियाँ:

" तय किए गए मामलों से मुझे जो पता चलता है वह यह है: कि जैसा कि कानून सामान्य रूप से एक दिन के अंशों की उपेक्षा करता है, आपको या तो उस पूरे दिन को बाहर करना चाहिए या शामिल करना चाहिए जिसके साथ एक दिया गया क़ानून या नियम या विनियमन संबंधित है। और बहिष्करण या समावेशन, मुझे लगता है, दो अन्य नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। यदि आप उस समय का निर्धारण कर रहे हैं जिस पर चीजों की एक निश्चित स्थिति को अस्तित्व में लाया जाना है, [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चीज़ों की वह स्थिति उस दिन से पहले दिन की आधी रात को अस्तित्व में आती है जिस दिन या जिस दिन या जिस दिन से या किस दिन से

और जिसके बाद नई स्थिति शुरू होती है। ऐसे मामलों में मूर्ति या नियम का संबंध केवल कानून की एक नई स्थिति के अंत को तय करने से है, जिसे अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए अधिनियमित किया गया है, दूसरे शब्दों में, जब तक कि विधायिका के एक नए अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, जहां संक्षेप में, आपके पास एक अंत है लेकिन कोई अंत नहीं है।

उनके विचार में, पृष्ठ 693 पर:

" जहाँ कोई क़ानून केवल किसी स्थिति के अंत को तय करता है,

जिसकी अनिश्चित काल तक चलने की परिकल्पना की गई है, सामान्य कानून नियम यह प्राप्त करता है कि आपको एक दिन के अंशों की उपेक्षा करनी चाहिए और क़ानून या विनियमन या आदेश नियम के पहले क्षण से प्रभावी हो जाता है।जिस दिन इसे अधिनियमित या पारित किया जाता है, अर्थात उस दिन की आधी रात से, जिस दिन इसे प्रख्यापित किया जाता है। जहाँ दूसरी ओर, एक क़ानून एक टर्मिनस ए क्वो और एक टर्मिनस एड क्वेम दोनों द्वारा चिह्नित अवधि का परिसीमन करता है, वहाँ पूर्व को बाहर रखा जाना है और

उत्तरार्द्ध को गणना में शामिल किया जाना है।

4 मई की मध्यरात्रि से। इसलिए 5 मई को दायर किए गए सभी वाद-पत्र बढ़े हुए शुल्क के लिए उत्तरदायी थे। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति कुमारस्वामी शास्त्री द्वारा दी गई दृढ़ता से तर्कपूर्ण और वाक्पटु असहमति पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने नोट किया कि यदि मामले का निर्णय किया जाना था

नतीजतन, "यह हमें किसी विशेष मामले में यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि क्या भाग को छोड़ दिया जाना है या रखा जाना है"। न्यायमूर्ति कुमारस्वामी शास्त्री ने कहा कि ऐसा कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि 'से' अभिव्यक्ति के उपयोग में पहला दिन शामिल हो। न ही क्राउन के प्रस्तुत करने में सिद्धांत रूप में कोई आधार था कि पहले दिन का बहिष्कार जहां "से" शब्द का उपयोग किया जाता है, केवल उस स्थिति में होना चाहिए जहां दो अंतिम शब्द हैं। विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि समता और अच्छाई के नियम विवेक सिविल कोर्ट एक्ट द्वारा उन मामलों को नियंत्रित करने के लिए है जो हिंदू और मुस्लिम कानूनों द्वारा शासित नहीं हैं। एक शक्तिशाली असहमति की आवाज उठाते हुए, जस्टिस

कुमारस्वामी शास्त्री ने पृष्ठ 704 पर कहा:

ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" मुझे नहीं लगता कि कराधान द्वारा धन जुटाने के उद्देश्य से कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सिद्धांतों या जिन उपकरणों का सहारा लिया जाता है, उनका यह निर्धारित करने में हमारे साथ कोई महत्व होना चाहिए कि प्रकाशन की तारीख को शामिल किया जाना है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि उच्च न्यायालय सरकार के कर संग्रह तंत्र का हिस्सा है या उसे इसके परिणामों से कोई चिंता है।शासन के निर्माण पर उनके निर्णय की सरकार। नियम, मुझे लगता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पारित किया गया था

उन्हें नियंत्रित करने के लिए सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग

न्याय का प्रशासन और शुल्क इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि न्यायाधीशों की राय में यह उचित और उचित था कि वादियों को उन लाभों के लिए अधिक भुगतान करना चाहिए जो वे न्याय का सहारा लेकर प्राप्त करते हैं।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता "।

विद्वान न्यायाधीश के विचार में, अधिसूचना को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में शाम 5 बजे कार्यालय में बंद करने वाले वादियों में से एक के समक्ष दायर किया गया था या उन्होंने या कार्यालय ने प्रकाशन के बारे में दावा किया था, "वही किया जो पुराने के तहत पूरी तरह से मान्य था और उन्होंने अपने दावे की परवाह किए बिना 30 रुपये की टिकट के साथ वादी को प्रस्तुत किया"। इसे नागरिकों के दृष्टिकोण से देखते हुए, न्यायाधीश ने पृष्ठ 704 पर टिप्पणी की:

" एक व्यक्ति जो एक शिकायत दायर करता है जिस पर ठीक से मुहर लगी होती है और जो प्रस्तुत करने के समय क्रम में होती है, वह अपनी शिकायत को प्रस्तुत करने पर स्वीकार करने का हकदार होता है, हालांकि सुविधा के रूप में कार्यालय दलीलें प्राप्त करता है और दिन के अंत में या बाद में उन्हें स्वीकार करता है। मुझे लगता है कि यह निर्देश देने में बहुत कम न्याय या समानता है कि जिन व्यक्तियों ने वह किया है जो उस समय पूरी तरह से एक कानूनी और वैध कार्य था, उन्हें अदालत शुल्क का भुगतान करना चाहिए-जो कि बहुत अधिक है क्योंकि दिन के अंत में एक अधिसूचना प्राप्त हुई थी जिससे अधिसूचना की तारीख से अधिक शुल्क लिया जा सकता है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अगर उन लोगों ने रुपये के बजाय ध्यान दिया था। 30 उन्हें कम से कम 150 रुपये का भुगतान करना पड़ता था और अधिकतम जो उनके दावे के मूल्य के अनुसार होता, हो सकता है कि उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ समझौता किया हो या अपने दावों के निपटारे के लिए मध्यस्थता जैसी अन्य कार्यवाही का सहारा लिया हो। मुझे उन लोगों पर आरोप लगाने को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, जिन्होंने अधिसूचना की जानकारी के बिना उस दिन अपनी दलीलें दायर कीं।

उच्च शुल्क के संबंध में शाम 5 बजे उच्च न्यायालय पहुंचे

दिन के दौरान दायर किए गए पर्चे "।

33. संघ की ओर से श्री नटराज ने कहा कि संसद ने बिना कोई संदर्भ दिए "तारीख को" वाक्यांश का उपयोग किया है।

और सीमा। कानून में एक सामान्य स्थिति निर्धारित नहीं की गई है जो विषय, संदर्भ और क़ानून से अलग है। कानून की व्याख्या करने में, न्यायालय अपने प्रावधानों की शर्तों, अंतर्निहित उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है।उनका अपनाना और वह योजना जो परस्पर संबंधित प्रावधानों और प्रावधान की प्रकृति से उत्पन्न होती है। वर्तमान मामले में अदालत है

उपभोग। खंड (बी) के तहत, जहां धारा 68 के तहत गोदाम से माल को मंजूरी दी जाती है, वह तारीख है जिस पर उस धारा के तहत घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है जो दर और मूल्यांकन का निर्धारण करता है। 35. श्री नटराज पाठ की दृष्टि से सही हैं जब वे इस बात पर जोर देते हैं कि धारा 15 (1) में तारीख का संदर्भ है न कि समय का। लेकिन इस मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण पर दो प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले, विधायिका करती है

हमेशा इस विषय पर सब कुछ नहीं कहते हैं। जब यह एक कानून बनाता है, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली हर संभावित घटना विधायक के दिमाग में मौजूद नहीं हो सकती है। विधायी मौन के लिए जगह बनाते हैंरचनात्मकता। विधायी स्थानों और मौन के बीच, कानून को सामान्य ज्ञान के मजबूत अनुप्रयोग द्वारा आकार दिया जाता है। दूसरा, भारत में विनियामक शासन विकसित हो रहा है क्योंकि नई तकनीक भारत और ओआरएस के संघ की जगह ले रही है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जो प्रौद्योगिकी को अपनाने से लाए गए हैं शासन। धारा 17 और धारा 46 के प्रावधानों में, प्रभाव

सीमा शुल्क स्वचालित ईडीआई प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रविष्टि के बिलों की प्रस्तुति के प्रावधान में आई. सी. टी. आधारित शासन को विधायिका द्वारा मान्यता दी गई है। परिशुद्धता, पारदर्शिता और निर्बाध प्रशासन एक ऐसी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं जो अपनाती है।

दक्षता की खोज में प्रौद्योगिकी। जैसा कि हम इस निर्णय में बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, प्रौद्योगिकी ने प्रशासकों और प्रशासकों दोनों को सक्षम बनाया है।

36. व्याख्या के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें संघ की ओर से श्री नटराज द्वारा आग्रह किए गए निवेदन का मूल्यांकन करना चाहिए कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए के तहत शुल्क की दर

बढ़ाने वाली अधिसूचना जारी होने पर, जिस तारीख को अधिसूचना जारी की गई थी, वह प्रवेश के सभी बिलों पर लागू दर को नियंत्रित करेगी, जिसमें वे भी शामिल हैं जो बढ़ी हुई दर से पहले प्रस्तुत किए गए थे।सूचित किया गया था। निवेदन कई कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बात के लिए, यह "लागू" अभिव्यक्ति के महत्व को याद करता है जो धारा 15 (1) के प्रारंभिक भाग में प्रयुक्त किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए (1) के तहत एक अधिसूचना, भले ही

यह पहली अनुसूची में संशोधन का प्रभाव डालता है, संभावित रूप से प्रभावी होता है। धारा 8ए अधिसूचना को इसके निर्माण से पहले एक ऑपरेशन प्रदान नहीं करती है। कानून की भाषा में, इसका संचालन संभावित है। ए. एस. जी. के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि धारा 8ए के तहत अधिसूचना इसके निर्माण से पहले प्रभावी होगी, जिसे संसद ने भाषा या इरादे से शामिल नहीं किया है। यदि, जैसा कि हम मानते हैं, अधिसूचना भविष्य के लिए इसे अपनाने के बिंदु से शुरू होती है, तो यह उस शुल्क की दर को स्थानांतरित करने के लिए काम नहीं कर सकती है जो धारा 46 के तहत घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर लागू होती है।

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुति के लिए धारा 46 में निहित प्रावधानों को देखते हुए संघ की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस प्रावधान को बनाते समय, विशेष रूप से 2011 के अधिनियम 8 द्वारा और बाद में 2018 के वित्त अधिनियम द्वारा एक संशोधन के माध्यम से, संसद ने "ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जाए" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। 2018 के विनियमों के विनियम 4 (2) में प्रावधान है कि कब प्रवेश पत्र दाखिल किया गया है और स्व-मूल्यांकन पूरा किया गया है। कानूनी कल्पना जो विनियमन में सन्निहित है

4 (2) यह धारा 46 के सक्षमकारी प्रावधानों से निकलती है। प्रावधान धारा 15 (1) (ए), 17,46 (1) और 47 (2) (ए) एक समग्र योजना का गठन करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक के लिए निर्धारित तौर-तरीकों के परिणामस्वरूप

सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक घोषणा के प्रवेश के बाद प्रवेश और स्व-मूल्यांकन के बिल की प्रस्तुति,

घोषणा के लिए प्रविष्टि संख्या ई. डी. आई. प्रणाली द्वारा उत्पन्न की जाती है।

धारा 15 (1) (क) की भाषा की व्याख्या करने के लिए क़ानून जिस तरीके से एएसजी द्वारा इसकी व्याख्या करने की मांग की जाती है। प्रस्तुतिकरणए. एस. जी., सीधे शब्दों में कहें तो यह है कि क्योंकि

अधिसूचना 5/2019 16 फरवरी 2019 को जारी की गई थी, इसलिए अदालत को ई-राजपत्र पर अपलोड किए जाने के समय की परवाह किए बिना इसे अस्तित्व में माना जाना चाहिए।

16 फरवरी 2019 को आधी रात या 0000 बजे। इस व्याख्या का परिणाम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए (1) की भाषा के साथ हिंसा करना और सीमा शुल्क अधिनियम में प्रावधानों को अपनाने के अंतर्निहित अर्थ, इरादे और उद्देश्य की अवहेलना करना होगा।

प्रविष्टि के बिल की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और स्व-मूल्यांकन को पूरा करने के संबंध में।

I सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए के तहत अधिसूचना

37. एएसजी की प्रस्तुतियों का दूसरा और वैकल्पिक अंग यह मानता है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए (1) के तहत एक अधिसूचना एक विधायी अधिनियम है। भारत में आयातित वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों पर लागू शुल्क की दरें सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्धारित की गई हैं। धारा 8ए (1) के तहत एक अधिसूचना पहली अनुसूची में संशोधन करती है। अतः प्रस्तुतिकरण यह है कि अनुसूची अधिनियम का एक भाग होने के कारण, अधिसूचना द्वारा इसमें किया गया कोई भी संशोधन एक

अधिनियम में संशोधन। ए. एस. जी. इस कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. के फैसलों पर निर्भर करता है।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य 1.8 और टी. एन. इलेक्ट्रिसिटी

बोर्ड बनाम। स्टेटस स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड "इस सिद्धांत के समर्थन में कि अधीनस्थ विधान वैध रूप से एक विधायी के अनुसरण में बनाया गया है।प्रावधान को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि यह अधिनियम का एक हिस्सा हो। इसलिए, उदाहरण के लिए, एक वैधानिक प्रावधान के अनुसरण में की गई अधिसूचना के तहत दी गई छूट का अर्थ इस तरह लगाया जाना चाहिए जैसे कि यह

कानून।

38. प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के लिए, यह आवश्यक है

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का विज्ञापन करना शुरू करें। धारा 8ए के तहत, एक आपातकालीन शक्ति केंद्र सरकार को बढ़ाने के लिए निहित है

पहली अनुसूची में शामिल किसी वस्तु पर अधिरोपित आयात शुल्क जहां यह संतुष्ट होता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं। धारा 8ए निम्नलिखित शब्दों में है:

जहाँ प्रथम में शामिल किसी लेख के संबंध मेंअनुसूची, केंद्र सरकार संतुष्ट है कि

धारा 12 के तहत उस पर देय आयात शुल्क

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) को बढ़ाया जाना चाहिए औरकि परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो इसे लेना आवश्यक बनाती हैं

तत्काल कार्रवाई, यह अधिकारी में अधिसूचना द्वारा हो सकता है राजपत्र, उस अनुसूची में संशोधन करने का निर्देश दें

ताकि देय आयात शुल्क में वृद्धि का प्रावधान किया जा सके।

ऐसे अनुच्छेद पर उस हद तक जो वह आवश्यक समझता है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार कोई भी जारी नहीं करेगी

आयात की दर को प्रतिस्थापित करने के लिए इस उप-धारा के तहत अधिसूचना पूर्व अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के संबंध में कर्तव्य

इससे पहले उस सरकार द्वारा इस उप-धारा के तहत जारी किया गया

पहले की अधिसूचना को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित किया गया है।

उप-धारा (2) के तहत।(2) धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधान

जैसा कि वे किसी भी अधिसूचना बढ़ाने वाले शुल्क के संबंध में लागू होते हैं धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत जारी किया गया।"

(जोर दिया गया)

18 (1990) 3 एससीसी 87 19 (2008) 7 एससीसी 353 [2020] 14 एस. सी. आर.

जबकि धारा 8ए एक आपातकालीन शक्ति है, धारा 11ए सशक्त बनाती है

केंद्र सरकार जनहित में पहली अनुसूची में संशोधन करेगी:

" (1) जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि यह आवश्यक है लोक हित में ऐसा करने के लिए, यह आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा

राजपत्र, पहली अनुसूची में संशोधन:

बशर्ते कि ऐसा संशोधन किसी भी मामले में परिवर्तन या प्रभाव नहीं डालेगा

जिस प्रकार माल के संबंध में उस अनुसूची में निर्दिष्ट दरेंमाल पर किस सीमा शुल्क के तहत शुल्क लगाया जाएगा

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)।"

धारा 8ए की उप-धारा (2) निर्दिष्ट करती है कि उप-धारा के प्रावधान

धारा 7 की धारा (3) और (4) उस अधिसूचना पर लागू होगी जिसमें

धारा 8ए की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया है। उप-धाराएँ (3) और

(4) धारा 7 निम्नलिखित शब्दों में है:

" (3) उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक अधिसूचना, जहां तक वह है इस तरह के शुल्क की वृद्धि से संबंधित, प्रत्येक के सामने रखा जाएगा

संसद का सदन यदि इसके बाद जितनी जल्दी हो सके बैठ रहा है।

इसकी पुन: सभा के सात दिन, और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के लिए संसद की मंजूरी की मांग करेगा

शुरू होने वाले पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर एक प्रस्ताव पेश किया गया

जिस दिन अधिसूचना इस प्रकार रखी जाती है

लोक सभा आ यदि संसद कोनो व्यवस्था करैत अछिअधिसूचना में संशोधन या निर्देश देता है कि अधिसूचना

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई भी उप-धारा (2) के तहत जारी अधिसूचना, जिसमें ऐसी कोई भी अधिसूचना शामिल है।

उप-धारा (3) के तहत अनुमोदित या संशोधित अधिसूचना,

केंद्र सरकार द्वारा किसी भी समय अधिसूचना द्वारा रद्द किया गया

आधिकारिक राजपत्र में "।

(जोर दिया गया)

धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार है -

लोक सभा के समक्ष रखी जाने वाली अधिसूचना के लिए पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर संसद की मंजूरी लेना आवश्यक है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जहां संसद का सत्र चल रहा है, वहां अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए और यदि नहीं, तो विधानमंडल के फिर से इकट्ठा होने के सात दिनों के भीतर। निर्दिष्ट अवधि के भीतर संसद की मंजूरी लेनी होती है। यदि संसद निर्देश देती है तो अधिसूचना का प्रभाव समाप्त हो जाएगा या संशोधनों के साथ प्रभावी नहीं होगी। धारा 11ए के तहत जारी की गई अधिसूचना के मामले में, उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार को उस तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पेश किए गए प्रस्ताव द्वारा अधिसूचना के लिए संसद की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन अधिसूचना लोक सभा के समक्ष रखी गई है। धारा 11ए की उप-धारा (2) में केवल यह कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है तो अधिसूचना या तो प्रभावी नहीं होगी या संशोधित रूप में प्रभावी नहीं होगी।

39. एक अधिसूचना जो धारा 8ए की उप-धारा (1) के प्रावधानों के संदर्भ में जारी की जाती है, एक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के प्रयोग के समान है। केंद्र सरकार को शुल्क की दर बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, जहां यह संतुष्ट हो कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु पर सीमा शुल्क की दर बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। अधिसूचना का प्रभाव सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है। में।

धारा 8ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करते हुए केंद्र सरकार विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में शक्ति का प्रयोग करती है। मुद्दा यह है अब विचार करने के लिए यह है कि क्या अधिसूचना जो जारी की गई थी

20 पर धारा 8ए (1) के तहत केंद्र सरकार: 46: 58 16 फरवरी 2019 को घंटे उस दिन 0000 बजे से शुरू हुए। एएसजी ने अपने निवेदन के समर्थन में सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा किया।

" (3) जब तक इसके विपरीत व्यक्त नहीं किया जाता है, तब तक एक केंद्रीय अधिनियम या विनियमन को तुरंत लागू होने के रूप में माना जाएगाइसके प्रारंभ से पहले के दिन की समाप्ति। ”

उपरोक्त प्रावधान "केंद्रीय अधिनियम" या "विनियमन" पर लागू होता है। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान यह बहुत स्पष्ट करता है कि यह केवल एक

' केंद्रीय अधिनियम 'या' विनियमन 'जो इसके प्रारंभ से पहले के दिन की समाप्ति पर तुरंत लागू होता है।

अभिव्यक्ति "केंद्रीय अधिनियम" और "विनियमन" को क़ानून द्वारा परिभाषित किया गया है। "केंद्रीय अधिनियम" शब्द को धारा 3 (7) में निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

शर्तें:

" (7) " केंद्रीय अधिनियम का अर्थ होगा संसद का एक अधिनियम, और

शामिल करें

(क) अधिराज्य विधानमंडल या भारतीय विधानमंडल का एक अधिनियम

संविधान के प्रारंभ से पहले पारित किया गया, और

((ख) परिषद के गवर्नर जनरल या विधानमंडल में कार्य करने वाले गवर्नर जनरल द्वारा इस तरह के प्रारंभ से पहले बनाया गया एक अधिनियम।

क्षमता; "

धारा 3 (50) में "विनियमन" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" (50) " विनियमन का अर्थ होगा संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियमन और इसमें एक विनियमन शामिल होगा। राष्ट्रपति द्वारा उसके अनुच्छेद 243 और भारत सरकार अधिनियम, 1870 या भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियमन के तहत या

भारत सरकार अधिनियम, 1935;

धारा 3 (13) में "आरंभ" पद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

निम्नलिखित है:

" (13) " किसी अधिनियम या विनियम के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली शुरुआत का अर्थ वह दिन होगा जिस दिन अधिनियम या विनियम

लागू होता है "।

"प्रारंभ" अभिव्यक्ति की परिभाषा "केंद्रीय अधिनियम" या "विनियमन" से भी संबंधित है।

41. धारा 8ए की उप धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (50) के तहत एक विनियमन के विवरण को पूरा नहीं करती है। यह अभिव्यक्ति विनियमों की विशिष्ट प्रजातियों तक ही सीमित है। यह परिभाषा सभी अधीनस्थ विधानों या किसी

वैधानिक प्राधिकरण के अनुसरण में कार्य करने वाले विधानमंडल के प्रतिनिधि द्वारा जारी अधिसूचनाओं तक विस्तारित नहीं है।

42. अभिव्यक्ति "केंद्रीय अधिनियम" का उपयोग करके परिभाषित किया गया है

अभिव्यक्तियों "का अर्थ होगा" और "शामिल होगा"। इन अभिव्यक्तियों का उपयोग इंगित करता है कि परिभाषा संपूर्ण है। जहाँ तक प्रासंगिक है,

अभिव्यक्ति 'केंद्रीय अधिनियम' को संसद के एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अधिसूचना जो भारत और ओ. आर. एस. संघ की धारा 8ए की उप-धारा (1) के तहत जारी की गई है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम संसद का अधिनियम नहीं है। इस अधिसूचना से पहली अनुसूची में संशोधन का प्रभाव पड़ता है। विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने का अधिकार सौंपा गया है। यह अधिसूचना को संसद का अधिनियम नहीं बनाता है।

43. उपरोक्त विश्लेषण दो परिभाषाओं-"केंद्रीय अधिनियम" और "विनियमन"-के पाठ्य पठन पर आधारित है। विषय पर पूर्ववर्ती विश्लेषण की पुष्टि करता है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि प्रत्यायोजित कानून का एक टुकड़ा विधायी रूप से प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, प्रत्यायोजित कानून नहीं लाता है

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (7) में परिभाषित "केंद्रीय अधिनियम" वाक्यांश के दायरे में।

44. कोल्हापुर में कैनेसुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम. भारत संघ

(यू. ओ. आई.) 20, इस न्यायालय की संविधान पीठ को यह निर्णय लेना था कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 10 और 10-ए को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (7) में परिभाषित 'केंद्रीय अधिनियम' माना जा सकता है। न्यायालय के इस निर्णय पर, हालांकि बाद में इसके लिए सवाल उठाया गया

निरसन की व्याख्या 'चूक के माध्यम से' [जिसका कोई असर नहीं है]

हाथ में मुद्दे पर], सामान्य खंड अधिनियम के भीतर "केंद्रीय अधिनियम" की व्याख्या के लिए हमला नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति डी. पी. के माध्यम से बोलते हुएमहापात्रा, इस न्यायालय ने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या उपरोक्त नियमों ने निम्नलिखित शब्दों में नकारात्मक रूप से 'केंद्रीय अधिनियम' का गठन किया है:

" 32. जब उस अधिनियम में केंद्रीय अधिनियम या विनियमन या नियम शब्द का उपयोग किया जाता है तो क़ानून में उस शब्द की परिभाषा के लिए संदर्भ दिया जाना चाहिए। परिभाषा से अलग किसी भी शब्द

को अर्थ देना संभव नहीं है और न ही इसकी अनुमति है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रत्येक शब्द का एक अलग और अलग अर्थ है। इसलिए, जब विचार करने का प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम का कोई विशेष प्रावधान किसी मामले में लागू होता है, तो उस प्रावधान की स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को इसका सही अर्थ और महत्व दिया जाना चाहिए। पूर्ण पीठ ने एक 'नियम' की तुलना 'क़ानून' से की है। हमारे सुविचारित विचार में अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों को देखते हुए यह अस्वीकार्य है। जब विधानमंडल ने स्पष्ट और स्पष्ट भाषा में 'केंद्रीय अधिनियम' या 'विनियमन' के निरसन के मामलों में धारा 6 के प्रावधान का विस्तार किया है, तो 'नियम' के निरसन के मामले में प्रावधान को लागू करना संभव नहीं है। स्थिति अलग नहीं होगी, भले ही

20 एयर 2000 एससी 811।

[2020] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम एक अधिनियम के तहत निहित शक्ति के आधार पर तैयार किया गया है; यह एक 'नियम' बना हुआ है और परिभाषा से अपना रंग लेता है।

अधिनियम (सामान्य खंड अधिनियम) में शब्द का।

45. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम मैगनम

इक्विटी सर्विसेज लिमिटेड 2 1, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या सामान्य खंड अधिनियम की व्याख्या पर लागू होता हैएस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम, 1992। न्यायालय ने कहा कि विनियमन एस. ई. बी. आई. द्वारा एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। धारा 31 नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखने की अपेक्षा करती है। न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

“ 12. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के आवेदन पर आधारित है, जिसमें धारा 13 (2) के तहत कहा गया है कि बहुवचन में एकवचन शामिल है। तथापि, धारा 13 पर विचार करने से पहले, हमें यह निर्धारित करना होगा कि क्या सामान्य खंड अधिनियम स्वयं एस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर और उप-ब्रोकर) विनियम, 1992 पर लागू होता है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों पर लागू होता है। इसके अलावा, "केंद्रीय अधिनियम" शब्द को उप-धारा (7) के तहत संसद के एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसमें (क) अधिराज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम या

भारतीय विधानमंडल की शुरुआत से पहले पारित किया गया

संविधान, और (ख) विधानिक क्षमता में कार्य करने वाले गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल द्वारा ऐसे प्रारंभ से पहले बनाया गया एक अधिनियम। एस. ई. बी. आई. (स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स) विनियम, 1992 एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 30 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किए जाते हैं। संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना हैः

" 31. संसद के समक्ष रखे जाने वाले नियम और विनियम। — इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को बनाए जाने के तुरंत बाद प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संसद, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक सत्रों में हो सकती है।

21 (2015) 16 एस. सी. सी. 721 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

क्रमिक सत्र, और यदि, उपरोक्त सत्र या क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या विनियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा या

नियम "।

13. इस प्रकार सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के आलोक में, जिसके तहत उक्त विनियम जारी किए गए हैं, बाद वाले केंद्रीय अधिनियम के समान नहीं हैं जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के परिभाषा खंड की उप-धारा (7) के तहत परिभाषित किया गया है। ”

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (7) में निहित 'केंद्रीय अधिनियम' की परिभाषा के भीतर नहीं माना गया था।

46. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए के तहत आपातकालीन शुल्क बढ़ाने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकरण के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना 05/2019 जारी की गई थी। यह अधिसूचना एक वैधानिक शक्ति के अनुसरण में जारी की गई है। अधिसूचना का प्रभाव पड़ता है

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्धारित शुल्क की दर को बढ़ाना। यह उस अधिसूचना को 'केंद्रीय अधिनियम' में परिवर्तित नहीं करता है जो एक सांविधिक प्राधिकरण के अनुसरण में जारी की गई है।

के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

47. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू करते समय, संसद ने इलेक्ट्रॉनिक शासन की व्यवस्था की कल्पना की। यह कानून

यह मान्यता है कि सूचना प्रौद्योगिकी एक सुविधाजनक साधन है

ई-कॉमर्स के लिए एक कुशल ढांचा तैयार करना। संसदीय हस्तक्षेप के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए, कानून के अधिनियमन के अंतर्निहित उद्देश्यों और कारणों का विवरण कानून के लिए तर्क प्रदान करता है:

" नई संचार प्रणालियों और डिजिटल प्रौद्योगिकी ने हमारे जीने के तरीके में नाटकीय बदलाव किए हैं। लोगों के व्यापार करने के तरीके में एक क्रांति आ रही है। व्यवसाय और उपभोक्ता तेजी से कंप्यूटर का उपयोग बनाने, प्रसारित करने और स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। पारंपरिक कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दस्तावेज़। इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत जानकारी में कई हैं

लाभ। यह सस्ता है, भंडारण करने में आसान है, पुनः प्राप्त करने में आसान है और संचार करने में तेज है। यद्यपि लोग इन लाभों से अवगत हैं, वे उचित कानूनी ढांचे की कमी के कारण व्यवसाय करने या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी लेनदेन को समाप्त करने के लिए अनिच्छुक हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और इलेक्ट्रॉनिक सरकार को सुविधाजनक बनाने के रास्ते में दो प्रमुख बाधाएं हैं -

कानूनी मान्यता के लिए लेखन और हस्ताक्षर की आवश्यकताएँ। वर्तमान में कई कानूनी प्रावधान कागज आधारित का अस्तित्व मानते हैं।

अभिलेख और दस्तावेज और अभिलेख जिन पर हस्ताक्षर होने चाहिए। साक्षय का कानून पारंपरिक रूप से कागज पर आधारित है।

अभिलेख और मौखिक गवाही। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कागज-आधारित लेन-देन की आवश्यकता को समाप्त करता है, इसलिए ई-वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, कानूनी परिवर्तनों की आवश्यकता एक तत्काल आवश्यकता बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में ई-वाणिज्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

तेजी से बढ़ रहा है और कई देशों ने पारंपरिक कागज आधारित वाणिज्य से ई-वाणिज्य की ओर रुख किया है।

व्यापार "।

48. संसद ने ई-वाणिज्य की सुविधा के लिए मौजूदा कानून में उपयुक्त संशोधन लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया, विशेष रूप से भारत के 1996 में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के मॉडल कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के हस्ताक्षरकर्ता होने के आलोक में। इसलिए इसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। यह, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण से संकेत मिलता है, "अनुबंधों के समापन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से अधिकारों और दायित्वों के निर्माण को सक्षम करेगा"। संसद

इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए सरकारी कार्यालयों और एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों के उपयोग और स्वीकृति की परिकल्पना की गई।

शासन और "सरकारी कार्यालयों के साथ नागरिकों की बातचीत को परेशानी मुक्त बनाना"।

2000 के अधिनियम 21 की विधायी संख्या के साथ, यह कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। कानून का लंबा शीर्षक प्रदान करता है कि यह है:

" इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम, जिसे आमतौर पर "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य" के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारत और ओ. आर. एस. को सुविधाजनक बनाने के लिए संचार और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के विकल्पों का उपयोग शामिल है।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872, बैंकर पुस्तक साक्षय अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करना और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए।धारा 2 (टी) 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है:

" (टी) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि।

या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत, प्राप्त या भेजी गई ध्वनि या सूक्ष्म

फिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न माइक्रो फिशे "

अध्याय III विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए समर्पित है।

इसके मुख्य प्रावधान वे हैं जो निम्नलिखित के लिए प्रावधान करते हैं:

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कानूनी मान्यता (धारा 4);

((i) ((ii) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता (धारा 5);

((iii) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग

सरकार और उसकी एजेंसियां (धारा 6);

(iv) सरकार द्वारा सेवा प्रदाताओं को कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं की स्थापना, रखरखाव और उन्नयन के लिए प्राधिकरण (धारा 6ए);

और

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण (धारा 7)।

(v)

धारा 6 की उप-धारा 1 में उठाए गए मुद्दों पर असर पड़ता है।

मामला:

" 6. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग

सरकार और उसकी अभिकरण-(1) जहां कोई कानून (क) किसी विशेष तरीके से उपयुक्त सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण के साथ किसी भी प्रपत्र, आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज को दाखिल करने का प्रावधान करता है;

(ख) किसी विशेष तरीके से किसी भी नाम से लाइसेंस, परमिट, मंजूरी या अनुमोदन जारी करना या प्रदान करना;

(ग) एक विशेष तरीके से धन की प्राप्ति या भुगतान, तब, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसी आवश्यकता को पूरा किया गया माना जाएगा यदि ऐसी फाइलिंग, जारी करना, अनुदान, रसीद या भुगतान, जैसा भी मामला हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र के माध्यम से किया जाता है जो

उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। "[2020] 14 एस. सी. आर.

धारा 6ए में विचार किया गया है कि "इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से जनता को सेवाओं के कुशल वितरण" के लिए, सरकार एक

सेवा प्रदाता कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं को स्थापित करने, बनाए रखने और उन्नत करने और अन्य सेवाओं को करने के लिए। धारा 7 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेखों के प्रतिधारण के लिए कानूनी सहायता प्रदान करती है। जहाँ एक कानून की आवश्यकता होती है

दस्तावेज़, जानकारी या रिकॉर्ड जिन्हें संरक्षित किया जाना है, शर्तों की पूर्ति के अधीन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित करके आवश्यकता को पूरा किया जाता है। धारा 7 (1) (सी) द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि वे विवरण जो मूल, गंतव्य की पहचान की सुविधा प्रदान करते हैं,

प्रेषण या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राप्ति की तारीख और समय हैंइलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राप्ति या प्रेषण की तारीख और समय इस दृष्टिकोण से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं।

49. अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण के लिए नियम बनाए। इन नियमों के तहत, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण) नियम 2011 कहा जाता है, सरकारी अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के निर्माण की समय सीमा बनाए रखनी चाहिए। नियम 5 (1) में ऐसी आवश्यकता को निम्नलिखित शब्दों में शामिल किया गया है:

" 5. इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक के भंडार का निर्माण

सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अभिलेख।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भंडारलाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र, अनुमोदन या अनुमोदन, जैसा भी मामला हो, इन व्यक्तियों के निर्माण की नियत समय-सीमा के साथ ऑनलाइन।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख "।

नियम 6 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भंडार में परिवर्तन करने के लिए नियम एक प्रक्रिया प्रदान करते हैं। नियम 6 (2) इंगित करता है कि परिवर्तन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी होना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मूल निर्माण और संशोधन के परिवर्तन और समय टिकट पर हस्ताक्षर करें। नियम 6 (2) इस प्रकार है:

(2) के भंडार में किसी भी अभिलेख में किया गया कोई परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऐसे भंडार से रिकॉर्ड के किसी भी जोड़ या विलोपन पर भारत संघ और ओआरएस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वह व्यक्ति जो इस तरह के परिवर्तन करने के लिए अधिकृत है

मूल निर्माण और संशोधन समय की समय-सीमाएँ " डिजिटल हस्ताक्षर में तारीख सहित प्रासंगिक जानकारी होती है।

और उनमें समय निर्मित होता है। डिजिटल हस्ताक्षर (अंतिम इकाई) नियमों के तहत 2015 , डिजिटल हस्ताक्षर के लिए समय टिकट के प्रावधान नियम 4 (4) के तहत कानूनी व्यवस्था में और नियम 4 (7) में दीर्घकालिक वैध डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में बनाए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 13 में शामिल हैं:

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण और प्राप्ति के समय और स्थान के लिए प्रावधान। वह इस प्रकार है:

" 13. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान।

जब यह नियंत्रण के बाहर एक कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता हैप्रवर्तक।

(2) प्रवर्तक और प्रवर्तक के बीच सहमति के अनुसार बचत करें

प्राप्तकर्ता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राप्ति का समय होगा निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है, अर्थात्:

(क) यदि प्राप्तकर्ता ने इसके लिए एक कंप्यूटर संसाधन नामित किया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने का उद्देश्य,

(i) रसीद उस समय होती है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दर्ज होता है।

नामित कंप्यूटर संसाधन; या

((ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी कंप्यूटर संसाधन को भेजा जाता है।

पता जो निर्दिष्ट कंप्यूटर संसाधन नहीं है, रसीद

यह उस समय होता है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पुनर्प्राप्त किया जाता हैप्राप्तकर्ता;

(ख) यदि प्राप्तकर्ता ने कंप्यूटर संसाधन को निर्दिष्ट नहीं किया है

निर्दिष्ट समय के साथ, यदि कोई हो, तो रसीद तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक

रिकॉर्ड प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है।

(जोर दिया गया)

रिकॉर्ड का प्रेषण तब होता है जब यह कंप्यूटर में प्रवेश करता है।

प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर संसाधन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राप्ति का समय धारा 13 की उप-धारा 2 के प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब प्राप्तकर्ता ने एक कंप्यूटर संसाधन नामित किया है, तो रसीद

यह तब होता है जब रिकॉर्ड इस प्रकार निर्दिष्ट कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है।

अन्यथा, जहां कोई कंप्यूटर संसाधन निर्दिष्ट नहीं है, रिकॉर्ड की रसीद तब होती है जब इसे प्राप्तकर्ता द्वारा पुनर्प्राप्त किया जाता है। इन प्रावधानों को कानून में शामिल किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड के प्रेषण और प्राप्ति को समय और स्थान दोनों के संदर्भ में सटीकता के साथ परिभाषित किया जा सके।

50. उपरोक्त संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीमा शुल्क की दर उस तारीख को निर्धारित की जाती है जिस दिन घर के लिए प्रवेश का बिल होता है

उपभोग प्रस्तुत किया गया है (धारा 15)। प्रविष्टि बिल की प्रस्तुति इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जानी चाहिए (धारा 46 को 2018 विनियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए)। प्रस्तुति को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर किया जाना आवश्यक है। घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति और स्व-मूल्यांकन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण" और "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राप्ति के समय" को मान्यता देता है। अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति की परिकल्पना करने वाली कानूनी व्यवस्था, जैसे कि प्रविष्टि पत्र की प्रस्तुति, को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सक्षम ढांचे के परिणामस्वरूप सटीकता प्रदान की गई है, जिसके तहत इन अभिलेखों को बनाए रखा जाता है। धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल की प्रस्तुति इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है और सूचना प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण) नियम 2011 के नियम 5 (1) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की आवश्यकताओं के संदर्भ में समय टिकट के साथ दर्ज की जाती है।

एल ई-राजपत्र में जारी अधिसूचनाओं का प्रभाव 51. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 8 एक

ई-राजपत्र के माध्यम से कानूनों के प्रकाशन के लिए कानूनी आधार। वह इस प्रकार है:

" धारा 8-इलेक्ट्रॉनिक में नियम, विनियमन आदि का प्रकाशन।

राजपत्रजहां कोई कानून यह प्रावधान करता है कि कोई नियम, विनियमन, आदेश, उप-कानून, अधिसूचना या कोई अन्य मामला आधिकारिक में प्रकाशित किया जाएगा।

यदि ऐसा नियम, विनियम, आदेश, उपनियम, अधिसूचना या कोई अन्य अन्य मामला आधिकारिक राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में प्रकाशित होता है:

बशर्ते कि जहां कोई नियम, विनियम, आदेश, कानून द्वारा, अधिसूचना या कोई अन्य मामला आधिकारिक राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशन की तारीख को निम्नलिखित तिथि माना जाएगा:

राजपत्र जो पहली बार किसी भी रूप में प्रकाशित हुआ था। भारत और ओआरएस का संघ।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

52. 30 सितंबर 2015 को शहरी विकास मंत्रालय ने

नं. संख्या वाला एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया। ओ-17022/1/2015-पी. एस. पी.-1 जिसने भौतिक मुद्रण की प्रथा को बंद कर दिया और इसके स्थान परइलेक्ट्रॉनिक राजपत्र। अधिसूचना, प्रासंगिक भाग में, इस प्रकार है:

" सूचना की धारा 8 के प्रावधानों के अनुपालन में

कानूनी मामलों का विभाग विशेष ई पर स्विच करेगा भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन

01.10.2015 से प्रभावी आधिकारिक वेबसाइट और इसे समाप्त करने के लिए

राजपत्र अधिसूचना का भौतिक मुद्रण। तारीख

प्रकाशन आधिकारिक रूप से ई-प्रकाशन की तारीख होगी।राजपत्र के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र के माध्यम से वेबसाइट

अधिसूचना "।

(जोर दिया गया)

53. अब तक इस न्यायालय को इस प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ा है कि

क्या राजपत्र अधिसूचनाओं के लिए एनालॉग से डिजिटल में बदलाव का यह पता लगाने के लिए कोई असर पड़ता है कि वे कब लागू होते हैं। द.

अधिसूचनाओं की प्रवर्तनीयता के प्रारंभिक बिंदु से संबंधित निर्णय उन सभी परिस्थितियों से संबंधित थे जिनमें इस तरह का प्रकाशन भौतिक राजपत्र में हुआ था। अब हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में बदलाव ने इस स्थिति में बदलाव लाया है या नहीं।

54. उच्च न्यायालयों ने इस संबंध में मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया है।

सोने के सिक्कों सहित सोने का आयात। सोने के सिक्कों का अब स्वतंत्र रूप से आयात नहीं किया जा सकता था और उस ओर से जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार उन्हें आयात करना पड़ता था। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि इन अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई प्रतिबंधात्मक व्यवस्था उनके लिए लागू नहीं थी क्योंकि अधिसूचनाएं, उन्होंने तर्क दिया, केवल 28 अगस्त, 2017 को लागू हुईं, जब उन्हें आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा आयातित सोने के सिक्के 25 अगस्त, 2017 को भेजे गए थे। चूंकि अधिसूचनाएँ तीन दिन बाद लागू हुईं, उन्होंने तर्क दिया कि ये उनके लिए लागू नहीं थीं। अधिसूचनाओं को राजपत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिसूचित किया गया था।22 डब्ल्यू. पी. (ग) 15 अक्टूबर 2019 को निर्णय लिया गया (दिल्ली उच्च न्यायालय)

[2020] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस विचार को बरकरार रखा कि

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 8 के साथ-साथ कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.9.2015 पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए अधिसूचनाएं लागू नहीं थीं। इसमें कहा गया:

" 32. राजपत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रति पर अनुमोदन,

जिससे आक्षेपित अधिसूचना संख्या। 24 और 25, दिनांक 25 तारीख अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया गया था, जिसे धारा 8 के साथ जोड़ा गया था

आई. टी. अधिनियम और दिनांक 30 सितंबर, 2015 के ओ. एम. में कहा गया है, शहरी विकास मंत्रालय, यह स्पष्ट करता है कि

आक्षेपित अधिसूचना संख्या। 24 और 25, दिनांक 25 अगस्त, 2017

10 बजे या उसके बाद: 47 28 अगस्त, 2017 को अपराह्न। 33. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णायक रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि

निर्णयों का कैटेना-जिसमें हार्ला बनाम शामिल है। राजस्थान राज्य (1952)

(1) एस. सी. आर. 110], बी. के. श्रीनिवासन बनाम कर्नाटक राज्य [ए. आई. आर. 1987

एस. सी. 1059] और यू. ओ. आई., v. परम इंडस्ट्रीज [(2016) 16 एससीसी 692]

कि, अधिसूचनाएँ उनके प्रकाशन पर लागू होंगी

आधिकारिक राजपत्र में, अर्थात वर्तमान मामले में, प्रभाव से

तारीख और समय से जब वे इलेक्ट्रॉनिक थे राजपत्र में मुद्रित, जो 10 बजे या उसके बाद था: 47 अपराह्न में

28 अगस्त, 2017 "।

(जोर दिया गया)

56. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने प्रकाशन के समय को माना

अधिसूचनाओं की प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक मार्कर। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में अधिसूचना की प्रवर्तनीयता के लिए प्रारंभिक बिंदु निर्धारित करने के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रुचि सोया इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ में विचार किया गया था। 23 याचिकाकर्ता ने 18 जनवरी 2008 को अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ 9,500 मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात के लिए एक अनुबंध किया। सबसे पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा 6 फरवरी 2018 को दुबई से 4000 मीट्रिक टन की खेप भेजी गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रवेश के दो बिल दायर किए

2000 1 मार्च 2018 को मीट्रिक टन कच्चा तेल। उस दिन उनका आकलन किया गया और उन पर 30 प्रतिशत सीमा शुल्क और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया गया। उसी तारीख को, एक अधिसूचना ने मूल सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत कर दिया। याचिकाकर्ता ने 2 मार्च 2018 को शेष 2000 टन के लिए प्रवेश के चार बिल दायर किए और तर्क दिया कि संशोधित दर लागू नहीं थी

23 2019 का डब्ल्यू. पी. सं. 4533 और 4534 28 सितंबर 2019 (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय) को तय किया गया।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

क्योंकि अधिसूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी6 मार्च 2018 को। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से सहमति व्यक्त की और कहा कि संशोधित अधिसूचना तभी लागू होगी जब इसे सक्षम अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और आधिकारिक राजपत्र में अपलोड और प्रकाशित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के फैसले के पृष्ठ 41 का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

..... अधिसूचना. 6.3.2018 पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र अधिसूचना के भौतिक मुद्रण से बचने के लिए इसे विशेष रूप से प्रकाशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड, ताकि बड़े पैमाने पर जनता को ज्ञान का श्रेय दिया जा सके। अधिसूचना पर राकेश सुकुल ने 6.3.2018 पर हस्ताक्षर किए थे।

19 : 15 : 13 + 05'30 ' . कब अधिसूचना पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है

और केवल जब अधिसूचना अपलोड की गई और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई, तो उसे जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

57. मद्रास उच्च न्यायालय ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ 24 में इसी तरह की स्थिति पर विचार किया और कहा कि

ऊपर उल्लिखित ए. पी. उच्च न्यायालय अपने समक्ष के मामले पर लागू था। नतीजतन, इसने उन्हीं शर्तों पर रिट याचिका को अनुमति दी और प्रतिवादी को आई. जी. एस. टी. के साथ याचिकाकर्ता से एकत्र किए गए बढ़े हुए शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया।

58. राजपत्र अधिसूचनाओं को एनालॉग से डिजिटल में प्रकाशित करने के तरीके में बदलाव के साथ, राजपत्र के प्रकाशित होने का सटीक समय

इलेक्ट्रॉनिक मोड महत्वपूर्ण है। अधिसूचना 5/2019, जो सीमा शुल्क की धारा 8ए के तहत शुल्क को अधिसूचित और संशोधित करने की आपातकालीन शक्ति के तहत प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के प्रयोग के समान है।टैरिफ अधिनियम, 1975, पूर्वव्यापी रूप से तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि क़ानून द्वारा अधिकृत न हो। राजपत्र अधिसूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और प्रवेश के बिलों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के युग में, अधिसूचना 5/2019 के तहत आयात शुल्क की संशोधित दर ई-राजपत्र में 20 बजे अधिसूचना अपलोड होने के बाद घरेलू उपभोग के लिए प्रस्तुत किए गए प्रवेश के बिलों पर लागू होती है: 46: 58 16 फरवरी 2019 को घंटे।

59. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले ने परम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। संघ का

इंडिया 25, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय के निर्णय द्वारा की गई थी

24 2018 की डब्ल्यू. पी. संख्या 21207 ने 14 जुलाई 2020 (मद्रास उच्च न्यायालय) को निर्णय लिया। 25 2002 (150) ई. एल. टी. 3 (कर)

इंडिया बनाम परम इंडस्ट्रीज लिमिटेड "[" परम इंडस्ट्रीज "] उस मामले में, उत्तरदाता खाद्य तेल के आयात और निर्यात के व्यवसाय में थे। उत्तरदाताओं ने आरबीडी पामोलिन का आयात किया जिसे इसके मूल्य के 85 प्रतिशत के आयात शुल्क के भुगतान के बाद मंजूरी दे दी गई। आयात शुल्क का भुगतान एक अधिसूचना के अनुसार किया गया था जो उस तारीख तक अस्तित्व में थी। शुल्क के भुगतान के बाद गोदाम से बड़ी मात्रा में सामान हटा लिया गया था। हालाँकि, आयातक को सूचित किया गया था कि 3 अगस्त 2001 की एक अधिसूचना द्वारा (संयोग से यह प्रवेश बिल दाखिल करने और माल को मंजूरी देने की तारीख भी थी) शुल्क मूल्य 372 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया था और आयातक शुल्क में अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जो पहले की अधिसूचना के आधार पर भुगतान किया गया था। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर मांग का विरोध किया कि आयात शुल्क बढ़ाने की अधिसूचना 3 अगस्त 2001 को लागू नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि अधिसूचना 3 अगस्त 2001 को प्रकाशित नहीं की गई थी और अगले सप्ताहांत के बाद यानी 6 अगस्त को ही राजपत्रित की गई होगी। 2001 या उसके बाद; अधिसूचना वाला राजपत्र केवल 6 अगस्त 2001 से बिक्री के लिए पेश किया गया था; और यह कि वेबसाइट पर अधिसूचना का केवल प्रकाशन और सहायक नियंत्रक, भारत सरकार (प्रेस) को एक पत्र जारी करना 3 अगस्त 2001 को अधिसूचना के संचालन और प्रवर्तनीय होने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस अदालत ने अपील में कहा कि उच्च न्यायालय के अनुसार अधिसूचना को लागू करने के लिए दो शर्तें अनिवार्य थीं

(i) आधिकारिक राजपत्र में उचित प्रकाशन; और

(ii) बोर्ड के प्रचार और जनसंपर्क निदेशालय द्वारा इसके जारी होने की तारीख को बिक्री के लिए अधिसूचना की पेशकश करना,

नई दिल्ली।

इस अदालत ने कहा कि उनके मामले में दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई क्योंकि अधिसूचना केवल 6 अगस्त 2001 को बिक्री के लिए पेश की गई थी। क्योंकि यह 3 अगस्त 2001 की देर शाम को प्रकाशित हुआ था और अगले दो दिन छुट्टियाँ थीं।

60. परम इंडस्ट्रीज में इस न्यायालय का निर्णय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 (2) की व्याख्या पर था। हालाँकि, प्रथम दृष्टया, यह निर्णय सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा पहले स्पष्ट किए गए सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है। पंकज जैन एजेंसी बनाम संघ मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में।

26 (2016) 16 एस. सी. सी. 692 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

भारत के 27 ["पंकज जैन"] न्यायालय ने उस तारीख के निर्धारण पर विचार किया जब छूट से संबंधित अधिसूचना लागू होगी। इस तरह की अधिसूचनाओं के प्रकाशन का तरीका सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत अलग से निर्धारित किया गया है। न्यायालय ने कहा:

धारा 25 (1) द्वारा विहित का अनुपालन किया गया। अधिसूचना इसे आधिकारिक राजपत्र में 13-2-1986 पर प्रकाशित किया गया था। के बारे में

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन का प्रभाव, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

[श्रीनिवासन मामला (1987) 1 एस. सी. सी. 658,672 ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1059,

1067] पी. पर आकाशवाणी। 1067 : एससीसी पीपी। 672-73 , पैरा 15]:

" जहाँ मूल क़ानून चुप है, लेकिन अधीनस्थ विधान

स्वयं प्रकाशन का तरीका निर्धारित करता है, इस तरह का एक तरीका

यदि उचित हो तो प्रकाशन पर्याप्त हो सकता है। यदि अधीनस्थ कानून प्रकाशन के तरीके को निर्धारित नहीं करता है या यदि

अधीनस्थ विधान स्पष्ट रूप से अनुचित निर्धारित करता हैप्रकाशन का तरीका, यह केवल तभी प्रभावी होगा जब यह

प्रथागत रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारी के माध्यम से प्रकाशित

चैनल, अर्थात्, आधिकारिक राजपत्र या कुछ अन्य

प्रकाशन का उचित तरीका "।

18. इसलिए हम इस तर्क में कोई सार नहीं देखते हैं कि

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के बावजूद वहाँ था

फिर भी कानून को ज्ञात करने में विफलता और इसलिए,

अधिसूचना ने संचालन के तत्वों को प्राप्त नहीं किया और

प्रवर्तनीयता "।

(जोर दिया गया)

पंकज जैन में मान्यता प्राप्त सिद्धांतों को फिर से दोहराया गया और

भारत संघ बनाम गणेश दास भोजराज 28 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुष्टि की गई जो एक

1998 के अधिनियम 21 द्वारा इसके संशोधन से पहले धारा 25 के तहत अधिसूचना, जिसमें धारा 25 (4) और 'बिक्री के लिए पेशकश' की आवश्यकता शामिल की गई थी। न्यायालय ने अलग से नोट किया कि नई शुरू की गई आवश्यकता

' 'बिक्री की पेशकश' का संभावित अनुप्रयोग था। हालाँकि, पूर्व-संशोधित अधिनियम द्वारा शासित अधिसूचना से संबंधित तथ्यात्मक परिदृश्य में, इसने इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि प्रकाशन की कोई भी अतिरिक्त आवश्यकता केवल क़ानून द्वारा ही पेश की जा सकती है और न्यायालय प्रवर्तनीयता निर्धारित करने के लिए लागू वैधानिक योजना से बाध्य है। इसमें उल्लेख किया गया है: 27 (1994) 5 एससीसी 198

28 (2000) 9 एससीसी 461।

[2020] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

“ 11. हमारे विचार में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पंकज जैन एजेंसी के मामले में

[(1994) 5 एस. सी. सी. 198] न्यायालय ने सीधे इसी तरह के विवाद पर विचार किया।

और मेयर हंस के मामले में निर्णय पर भरोसा करने के बाद

जॉर्ज [ए. आई. आर 1965 एस. सी. 722: (1965) 1 क्रि एल. जे.641 (1965) 1 एस. सी. आर. 123] ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह है फैसला

आई. टी. सी. लिमिटेड [(1996) 5 एस. सी. सी. 538] और अन्य मामलों में इसका अनुसरण किया गया।

इसलिए, इस बात से सहमत होना मुश्किल है कि पंकज जैन में निर्णय

एजेंसी का मामला [(1994) 5 एस. सी. सी. 198] निर्णय लेने में सहायक नहीं था।

न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रश्न। सीमा शुल्क की धारा 25

अधिनियम केंद्र सरकार को दोनों में से किसी को भी छूट देने का अधिकार देता है।पूरी तरह से या ऐसी शर्तों के अधीन, पूरे या

सीमा शुल्क का कोई भी भाग जो उस पर एक द्वारा अधिरोपित किया जाए

संचालन में अधिसूचना, की एकमात्र आवश्यकताखंड आधिकारिक राजपत्र में इसका प्रकाशन है और नहीं

आगे के प्रकाशन पर विचार किया जा रहा है। अतिरिक्त आवश्यकता है

संसद का प्रत्येक सदन निर्धारित तीस दिनों की अवधि के लिएउसमें। इसलिए, हमारे विचार में मेयर हंस जॉर्ज [ए. आई. आर. 1965]

एससी 722: (1965) 1 क्राई एलजे 641: (1965) 1 एस. सी. आर. 123] जो

पंकज जैन एजेंसी मामले में अनुसरण किया गया [(1994) 5 एस. सी. सी. 198]

कानून और अधिसूचना की सही व्याख्या का प्रतिनिधित्व करता है

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत आएगा

भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते ही संचालन

धारा 25 के तहत निर्धारित आवश्यकता, सामान्य मोडइस तरह की अधिसूचना को लागू करने के लिए तब से पालन किया गया

इस देश में वर्षों का आधिकारिक राजपत्र में इसका प्रकाशन है

और बिछाकर उसी से अलग होने का कोई कारण नहीं है अतिरिक्त आवश्यकता को कम करें "।

(जोर दिया गया)

61. परम इंडस्ट्रीज, जितना उसने लगाया था एक अतिरिक्त

'बिक्री के लिए पेशकश' का पुनर्निर्धारण, निर्धारित वैधानिक के बाहर

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 (2) के तहत नहीं, इसके विपरीत प्रतीत होता है।

-मौजूदा सिद्धांत। यह कहने के बाद, हम भारत और ओ. आर. एस. के संघ पर शासन नहीं करना चाहते हैं।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

परम इंडस्ट्रीज की वैधता या उस पर निर्भर निर्णयों पर इसके परिणामी प्रभाव। वर्तमान निर्णय में परम इंडस्ट्रीज में तर्क का सहारा लेना आवश्यक नहीं है। यह है स्थिति

हाथ से, एक ऐसे परिदृश्य पर काम करता है जो इलेक्ट्रॉनिक युग में नियामक व्यवस्था द्वारा काफी बदल गया है, जहां दोनों-ई-राजपत्र में अधिसूचनाओं को अपलोड करना और प्रविष्टि के बिलों को दाखिल करना-इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, अधिसूचना 5/2019 को ई-राजपत्र में एक विशिष्ट समय और तिथि पर अपलोड किया गया था और यह उन प्रवेश पत्रों पर लागू नहीं हो सकता है जो इससे पहले सीमा शुल्क स्वचालित ईडीआई प्रणाली पर प्रस्तुत किए गए थे, जो

विनियमन 4 (2) में निर्धारित कानूनी कल्पना को आकर्षित करते हैं।2018 नियम। इसलिए परम इंडस्ट्रीज का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

एम रेट्रोस्पेक्टिविटी

62. सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 8ए केंद्र सरकार को "पहली अनुसूची में शामिल किसी भी वस्तु के संबंध में" आयात शुल्क बढ़ाने की आपातकालीन शक्ति प्रदान करती है। 16 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने

राजस्व ने एक विशिष्ट शुल्क मद-980,60,000-को शामिल किया।

पाकिस्तान "जिसके लिए 200 प्रतिशत शुल्क की दर निर्धारित की गई है। धारा 8ए के तहत शक्ति का प्रयोग इस बात पर निर्भर है किकेंद्र सरकार को संतोष है कि (i) पहली अनुसूची में किसी भी वस्तु पर शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए; और (ii) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं। द सेंट्रल

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन करने का निर्देश दे सकती है "ताकि ऐसी वस्तु पर अधिरोपित आयात शुल्क में उस हद तक वृद्धि का प्रावधान किया जा सके जो वह आवश्यक समझती है।" धारा 8ए में केंद्र सरकार को शक्ति के प्रयोग को उसके प्रयोग से पहले की अवधि से संबंधित करने के लिए अधिकृत करने के विधायी इरादे का संकेत देने वाली भाषा नहीं है। धारा 8ए (2) के तहत शक्ति का प्रयोग धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) में निहित अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। शक्ति प्रदान करने को पूर्वव्यापी भी नहीं बनाया गया है

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा।63. धारा 8ए केंद्र सरकार को आपात स्थितियों में पहली अनुसूची में किसी वस्तु पर शुल्क की दर बढ़ाने में सक्षम बनाती है। 16 फरवरी 2019 की अधिसूचना में पूरी तरह से एक नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। इस तरह की कवायद को धारा [2020] 14 एस. सी. आर. के प्रावधानों से संबंधित माना जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11 ए. धारा 11 ए केंद्र सरकार को जनहित में पहली अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरी ओर धारा 8ए पहली अनुसूची में निहित एक वस्तु पर शुल्क में वृद्धि पर विचार करती है। अधिसूचना 5/2019 प्रदान करने के लिए एक नई टैरिफ प्रविष्टि पेश करती है पाकिस्तान में उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर 200% के शुल्क के लिए। हालाँकि, मामले के इस पहलू को इस कारण से आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि न तो उच्च न्यायालय के समक्ष, और न ही इस न्यायालय के समक्ष, प्रस्तुतियों के दौरान दबाए गए अधिसूचना के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। कानूनी स्थिति जिस पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि

64. संसद और राज्य विधानसभाओं को संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है।संसद और राज्य विधानसभाओं के पास संवैधानिक आवश्यकताओं के उचित पालन के अधीन, संभावित और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। वैधानिक शक्ति प्रदान करने के अनुसार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अलग है।

विधायिका के एक अधिनियम से। प्रशासनिक अधिसूचनाएँ, तब भी जब वे एक सक्षम वैधानिक ढांचे के अनुसरण में जारी की जाती हैं, क़ानून के अधीन होती हैं। प्रत्यायोजित विधान अपने चरित्र को तब भी नहीं खोता है जब इसका वही बल और प्रभाव होता है जैसे कि इसमें निहित है

कानून। यह कानून की एक तय स्थिति है। एक निर्णय में जो 1961 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा मुख्य निरीक्षक में दिया गया था

खान बनाम लाला करम चंद थापर 2 9, कानून के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया था:

" 20. वास्तविक स्थिति यह प्रतीत होती है कि नियम और विनियम नियमों और विनियमों के रूप में अपना चरित्र नहीं खोते हैं, भले ही

वे उसी प्रभाव के होने चाहिए जैसे कि अधिनियम में निहित हैं। वे अधिनियम के अधीनस्थ नियम बने हुए हैं, और हालांकि निर्माण के उद्देश्य सहित कुछ उद्देश्यों के लिए, उन्हें होना चाहिए

ऐसा माना जाता है जैसे कि अधिनियम में निहित है, उनकी वास्तविक प्रकृति अधीनस्थ है

शासन खोया नहीं है "।

के. आई. शेपर्ड बनाम भारत संघ 3 0 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि धारा 45 के तहत एक योजना तैयार करने की शक्ति

आकाशवाणी 1961 एससी 838

30 30 (1987) 4 एस. सी. सी. 431 भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 चरित्र में विधायी नहीं था बल्कि एक प्रशासनिक कार्य था। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 9 ..... लेकिन क्या योजना बनाने की प्रक्रिया विधायी है? रिजर्व बैंक को कुछ स्थितियों में स्थगन के आदेश के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया गया है

और अधिस्थगन की अवधि के दौरान बैंकिंग कंपनी के पुनर्निर्माण या एकीकरण का प्रस्ताव करना। के लिए एक योजना

विचार किए गए उद्देश्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उनके समक्ष रखा जाना चाहिए।मंजूरी के लिए केंद्र सरकार। कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश देने के लिए शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है जिसे आमतौर पर हेनरी VIII खंड के रूप में जाना जाता है।

धारा 45 (11) के अनुसार योजनाओं की प्रतियां और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऐसे आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने चाहिए। हमें नहीं लगता कि यह आवश्यकता योजनाओं के संबंध में अभ्यास को एक विधायी प्रक्रिया बनाती है। 99 "

उपरोक्त निर्णय को न्यू बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 3 1 ["न्यू बैंक ऑफ इंडिया"] में अलग किया गया था, जहां अदालत ने कहा था कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 के तहत बनाई गई एक योजना लागू होती है।

एक विधायी होने के एक अलग आधार पर और एक प्रशासनिक कार्य नहीं। अदालत ने माना कि निर्णय के लिए प्रस्तुत मुख्य मुद्दों पर उसके निष्कर्षों को देखते हुए यह प्रश्न बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं था। फिर भी, इसने इस प्रश्न पर विचार किया और संसद को सौंपे गए अधिकार पर जोर दिया कि वह 30 दिनों के भीतर किसी भी मुद्दे पर सहमत/संशोधित/पहुंचने पर विचार करे। योजना के संबंध में निर्णय, उसके बाद ही योजना प्रभावी होने वाली थी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत केवल 'बिछाने' की आवश्यकता से गुणात्मक रूप से अलग ये आवश्यकताएं अदालत के विचार में महत्वपूर्ण थीं कि 1980 के तहत एक योजना

अधिनियम का एक विधायी चरित्र है। श्री नटराज ने उप-धारा (3) के प्रावधानों पर भरोसा रखते हुए इसी तरह के तर्क पर जोर देने की कोशिश की और

(4) धारा 7 की जो धारा 8ए की उप-धारा (2) के कारण लागू की गई है। हालाँकि, एक अनिवार्य शर्त के अभाव में

अधिसूचना लागू होने से पहले संसदीय मंजूरी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय बहुत कम आधार प्रदान करता है। वर्तमान निर्णय के उद्देश्य के लिए जिस बिंदु पर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए के तहत केंद्र सरकार को शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए संसद ने स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से ऐसा नहीं किया है

निहितार्थ ने संकेत दिया कि एक बार जारी की गई अधिसूचना में बल होगा और

समय पर पूर्ववर्ती प्रभाव। सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधान उस शक्ति पर विधायी निरीक्षण और पर्यवेक्षण करते हैं जो धारा 8ए के तहत केंद्र सरकार को सौंपी गई है। हालाँकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि धारा 8ए के तहत एक अधिसूचना का पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट रूप से, धारा 8ए के तहत शुल्क की दर बढ़ाने वाली अधिसूचना का संभावित प्रभाव पड़ता है।

विधायिका के प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया नियम नहीं है

पूर्वव्यापी प्रभाव जब तक कि वैधानिक प्रावधान जिसके तहत इसे तैयार किया गया है, उस प्रभाव के लिए विशिष्ट शब्दों के उपयोग से पूर्वव्यापीता की अनुमति नहीं देता है। या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। हुकुम चंद बनाम भारत संघ में 3 2 32, ए

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि:

" 8 ..... नियम बनाने की शक्ति का विस्तार और विस्तार होगा

अनुभाग की भाषा पर निर्भर करता है और उसके द्वारा शासित होता है। यदि ए.

विशेष नियम के दायरे और दायरे में नहीं आना था

धारा, केंद्र सरकार के पास ऐसी घटना में कोई नहीं होगा

उस नियम को बनाने की शक्ति। इसी तरह, अगर वहाँ कुछ भी नहीं था

केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए धारा 40 का प्रावधान

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, पूर्वव्यापी रूप से एक नियम बनाने के लिए,

इसने किसी भी नियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया। अंतर्निहित सिद्धांतयह है कि संप्रभु विधानमंडल के विपरीत जिसके पास शक्ति है

पूर्वव्यापी संचालन के साथ कानून बनाना, अधिकार निहित

अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति के साथ कार्य करना पड़ता हैअपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर और इसका उल्लंघन नहीं कर सकते

एक ही। अधीनस्थ विधान के बीच प्रारंभिक अंतर

निकाय बनाना अपनी प्रत्यायोजित शर्तों से बंधा होता है याव्युत्पन्न प्राधिकारी और वह न्यायालय, एक सामान्य नियम के रूप में,

इस प्रकार बनाए गए नियमों को तब तक प्रभावी नहीं करेगा जब तक कि वे संतुष्ट न हों।कि सभी शर्तें नियमों की वैधता के लिए पूर्ववर्ती हैं

पूरा किया गया है।"

(जोर दिया गया)

65. पूर्ण शक्ति के बीच का अंतर जिसे सौंपा गया है

संसद और राज्य विधानसभाओं को दोनों के साथ कानून बनाने के लिए

32 (1972) 2 एस. सी. सी. 601 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संभावित और पूर्वव्यापी प्रभाव, और अधीनस्थ कानून बनाने के लिए विधायिका के एक प्रतिनिधि को सौंपी गई शक्ति को इस न्यायालय की पूर्ववर्ती की एक सुसंगत पंक्ति में बनाए रखा गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चित्तूर बनाम। एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट मद्रास (पी) 33 3 3, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से अपनी विशिष्ट वाक्पटुता के साथ कहा:

" 4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधानमंडल के पास कानूनों को लागू करने के मामले में एक पूर्ण शक्ति है और वह स्वयं पूर्वव्यापी कानून बना सकता है।बेशक, संवैधानिक सीमाओं के अधीन। लेकिन यह तुच्छ है।

कानून कि एक प्रतिनिधि उसी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि प्रतिनिधि मंडल के व्यक्त शब्दों से या सम्मोहक निहितार्थ द्वारा इसका विशेष सम्मान नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में धारा 4 (1) के तहत शक्ति किसी भी विकल्प का संकेत नहीं देती है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह तथ्य कि नियम विधायिका द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में बनाए गए थे या उन्हें करना होगाविधायी निकाय के पटल पर रखे जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि विधायिका ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधीनस्थ विधान बनाने को अधिकृत किया था:

" 4 ..... केवल यह तथ्य कि बनाए गए नियमों को विधायिका के पटल पर रखा जाना था, धारा में व्यापक शक्ति के अभाव में, राज्य सरकार को बनाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

पूर्वव्यापी नियम। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को विधायिका के पटल पर रखने का पूरा उद्देश्य अलग है और नियमों को रखने के तीन वैकल्पिक तरीकों में से किसी एक के प्रभाव को इस न्यायालय द्वारा हुकुम चंद में समझाया गया है।

वी. भारत संघ [(1972) 2 एस. सी. सी. 601,606: (1973) 1 एससीआर 896,902] "।

यह सटीक रूप से वह सिद्धांत है जो यह समझने में लागू होता है कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्ति पूर्वव्यापी है। धारा 7 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधान,

सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ धारा 8ए के तहत शक्ति का प्रयोग करेगी।33 (1980) 4 एससीसी 597 [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ

भारत 3 4, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर सिद्धांत तैयार किए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कहा कि अधीनस्थ कानून बनाने की शक्ति तब तक पूर्वव्यापी नहीं है जब तक कि यह मूल क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अधिकृत नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 26 ..... प्रासंगिक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार (या कोई भी) अन्य प्राधिकरण) पूर्वव्यापी प्रभाव वाला अधीनस्थ कानून नहीं बना सकता है जब तक कि मूल क़ानून, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, इसे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। [हुकुम चंद बनाम।

भारत संघ [हुकुम चंद बनाम। भारत संघ, (1972) 2 एस. सी. सी. 601] और महाबीर सब्जी तेल (पी) लिमिटेड बनाम। हरियाणा राज्य [महाबीर सब्जी तेल (पी) लिमिटेड v. हरियाणा राज्य, (2006) 3

एससीसी 620]।

((ii) प्रत्यायोजित विधान आमतौर पर संभावित प्रकृति का होता है और पहली बार बनाए गए अधिकार या दायित्व को नहीं दिया जा सकता है।

पूर्वव्यापी प्रभाव। (पंची देवी बनाम। राजस्थान राज्य [पंची देवी बनाम। राजस्थान राज्य, (2009) 2 एससीसी 589: (2009) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 408])

(iii) जहां तक किसी राजकोषीय कानून से संबंधित अधीनस्थ कानून का संबंध है, यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में एक प्रत्यायोजित प्राधिकारी कर या शुल्क लगा सकता है। एक नागरिक से अनिवार्य आग्रह के संबंध में कोई गुंजाइश या इरादे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। [अहमदाबाद अर्बन देव। प्राधिकरण v. शरदकुमार जयंतिकुमार पासावाला [अहमदाबाद शहरी देव। प्राधिकरण v. शरदकुमार जयंतिकुमार पासावाला, (1992) 3 एस. सी. सी. 285] और राजस्थान राज्य बनाम। बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड [राजस्थान राज्य बनाम। बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड, (2013) 15 एससीसी 1] "

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का फैसला (जैसा कि वे उस समय कर रहे थे) राजस्थान राज्य बनाम बसंत में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के लिए बोल रहा था।

एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड 3 5 35 इसी स्थिति को अपनाता है।

एन सारांश

66. कर के अधिरोपण में तीन चरण शामिल हैं। इस विषय पर लोकस क्लासिकस लॉर्ड डुनेडिन के कथन में सन्निहित है।

34 (2017) 16 एस. सी. सी 186

35 (2013) 15 एस. सी. सी. 1 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय के निर्णयों में लगातार लागू किया गया। सबसे पहले, दायित्व की घोषणा होती है जो यह निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति के संबंध मेंकौन सी संपत्ति उत्तरदायी है "। दूसरा मूल्यांकन का चरण है। देयता, यह अच्छी तरह से तय किया गया है, मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि पूर्व परिकल्पना, जिसे पहले ही तय किया जा चुका है। मूल्यांकन उस सटीक राशि को निर्दिष्ट करता है जिसे एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा (और अंतिम) वसूली के तरीके हैं यदि कोई व्यक्ति जिस पर कर लगाया जाता है वह स्वेच्छा से भुगतान नहीं करता है। (इस संदर्भ में चट्टूराम बनाम में संघीय न्यायालय के निर्णयों को देखें। सी. आई. टी., बिहार 37 और इस न्यायालय के ए. वी. फर्नांडीस बनाम केरल राज्य 3 8 38 और उप सी. टी. ओ. बनाम शा सुक्राज पीराजी 3 9.

67. वर्तमान मामले में धारा 15 की दोहरी शर्तें 16 फरवरी को अधिसूचना 5/2019 जारी करने से पहले निर्धारित की गई थीं।

धारा 17 के तहत या धारा 47 के तहत घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के समय पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का कथित प्रयोग। शुल्क की दर जो लागू थी, को क्रिस्टलीकृत किया गया थाअधिनियम के विनियम 4 (2) के साथ पठित धारा 15 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने का समय और तिथि

2018 के नियम। धारा 17 (4) के तहत पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्तव्य का गलत आत्म-मूल्यांकन किया गया था। उस तिथि और उस समय लागू कर्तव्य के संदर्भ में स्व-मूल्यांकन के समय कर्तव्य का सही मूल्यांकन किया गया था। 5/2019 वाली अधिसूचना के बाद के प्रकाशन ने पुनर्मूल्यांकन के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं किया। 68. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। अपील खारिज हो जाएगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

69. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

36 (1926) ए. सी. 37 52 पर। 37 (1947) एफ. सी. आर. 116 126 38 1957 एस. सी. आर. 837 पैरा 39 39 (1967) 3 एस. सी. आर. 661 पैरा 5 [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. एम. जोसेफ, जे.

1. क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ए के तहत 16 फरवरी 2019 की देर शाम प्रकाशित आयात शुल्क बढ़ाने की अधिसूचना पिछले दिन की आधी रात की है? क्या एक दिन में उसके अंश शामिल होते हैं? जबकि मैं अपने सम्मानित और विद्वान भाई के विद्वतापूर्ण निर्णय से सहमत हूं कि अपीलों को खारिज कर दिया जाए, इसमें शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, मैंने निम्नलिखित अलग राय लिखी है: 2. आई. डी. 1 पर पुलवामामे भेल आतंकवादी हमलाक बाद, भारत सरकार ने आई. डी. 2 पर एक अधिसूचना प्रकाशित कयल (एकरा एकर बाद 'अधिसूचना' कहल जायत छैक) जकर उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 क धारा 8ए (1) क अधीन शक्तिक प्रयोग करब छल (एकरा एकर बाद संक्षेपमे 'शुल्क अधिनियम' कहल जायत छैक)। उसी समय, शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया गया:

" सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में, धारा 21 में, अध्याय 98 में, शुल्क मद 9805 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शुल्क मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:

अर्थात्:

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

में उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएँ या

" 9806

200 %

_ "

इस्लामी से निर्यात किया गया पाकिस्तान गणराज्य।

00 00

3. यह 20 बजे राजपत्र में प्रकाशित हुआ: 46: 58 घंटे। पर

16.2.2019 .

4. उसी दिन, अर्थात, 16.02.2019 पर, उत्तरदाताओं ने

अपील, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे, ने आयातित वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत प्रवेश पत्र दायर किए।

पाकिस्तान से। वास्तव में, भारत और पाकिस्तान दोनों सार्क देशों के बीच एक समझौता था, जिसके तहत पाकिस्तान से आयात पर रियायती दरों पर शुल्क लगाया जाना था, उन मामलों में जहां आयात किसी भी शुल्क के लिए अनिवार्य था। जो सामान आयात का विषय था, वे भी सीमा शुल्क स्टेशन में आ गए थे और जैसा कि देखा गया है, आई. डी. 1 पर काम के घंटों के दौरान और यहाँ अधिसूचना के समय से बहुत पहले, प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जाने लगे। भारत और ओ. आर. एस. संघ द्वारा कर्तव्य का स्व-मूल्यांकन किया गया।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

उत्तरदाताओं। इसके बाद अधिसूचना के तहत शुल्क में भारी वृद्धि से प्रेरणा लेते हुए रिट याचिकाकर्ताओं का गठन किया गया

पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का सामना करना पड़ा। तदनुसार यह है कि वे

उच्च न्यायालय से संपर्क किया और रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें 2019 की रिट याचिका संख्या 18460 में निम्नलिखित प्रार्थना पर ध्यान दिया जा सकता है:

" क) प्रविष्टि सं. सं. में पारित मूल्यांकन आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र/आदेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में लिखें। 2083178 दिनांक 16.02.2019 (अनुलग्नक P5) अवैध मनमाना होना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के प्रावधानों का उल्लंघन और धारा के प्रावधानों के खिलाफ

128 & 129 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;

इसे रद्द करते हुए सर्टिओरारी/मैंडमस की प्रकृति में लिखें

ख)

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975, निर्देश देते हुए सर्टिओरारी/मैंडमस की प्रकृति में लिखें

(ग)

प्रत्यर्थी सं. 3 निरोध ज्ञापन जारी करेगा

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का विनियम 6 (1) (1) और आगे उत्तरदाता संख्या 4 को बिना सीमा शुल्क के माल जारी करने का निर्देश देता है।

किसी भी जमीन के किराए की मांग करना। संयमित करते हुए सर्टिओरारी/मैंडमस की प्रकृति में लिखें

(घ)

उत्तरदाता नं। 4 माल की नीलामी आयोजित करने के लिए।

5. ये रिट याचिकाएँ हैं जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है

अदालत।

6. उच्च न्यायालय ने पाया है कि सीमा शुल्क की योजना में

शुल्क अधिनियम के साथ पठित अधिनियम, शुल्क की दर दो निश्चित संकेतों के संदर्भ में निर्धारित की जानी है, अर्थात्। , प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तिथि और सीमा पार माल की आवाजाही और सीमा शुल्क स्टेशन के भीतर इसकी उपलब्धता। इन दो पहलुओं को प्रस्तुत करते हुए, कानून आयातक को यह मांग करने में सक्षम बनाता है कि शुल्क का भुगतान प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के संदर्भ में किया जाए। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए रुख के आधार पर अधिसूचना को चुनौती देने पर विचार नहीं किया और अपने तर्क को उपरोक्त पहलू तक सीमित कर दिया जो मैंने संकेत दिया है। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. डी. 1 पर देर शाम प्रकाशित होने वाली अधिसूचना शुल्क की दर के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं के मामलों के भाग्य को नहीं बदल सकी।

7. हमने सुना है कि श्री के. एम. नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए, श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

अपीलार्थियों की सामग्री

8. अपर महान्यायवादी श्री के. एम. नटराज तर्क देंगे कि टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत अधिसूचना जारी की गई हैपुलवामाकेँ घेरबाक असाधारण परिस्थितिक बाद

आतंकवादी हमला, शुल्क की दर अधिसूचना दिनांक 16.02.2019 द्वारा बढ़ाई गई। यह अधिसूचना उन सभी प्रवेश पत्रों के संबंध में प्रभावी होगी जो उस दिन दाखिल/प्रस्तुत किए जाने वाले थे। अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 5 (3) से भी समर्थन प्राप्त करने की मांग की। वह इंगित करेंगे कि अधिसूचना

इसलिए, इसका प्रभाव पिछले दिन की समाप्ति से होगा। अर्थात्, यह उनका तर्क है कि हालांकि यह पिछले दिन से देर शाम 16.02.2019 पर जारी किया जाता है। , 15.02.2019 आधी रात को समाप्त होने के बाद, अधिसूचना को 15.02.2019 की आधी रात से पहले के समय से जन्म और जीवित माना जाना चाहिए। उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की योजना की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। की सहायता से

धारा 12,15,46 और 47 में उन्होंने यह तर्क देना चाहा कि उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं किया कि प्रत्यर्थियों द्वारा प्रवेश के बिलों को प्राथमिकता देना, अधिसूचना के तहत शुल्क की बढ़ी हुई दर की प्रयोज्यता को कम नहीं कर सकता है।

9. भारत संघ का प्रमुख तर्क यह है कि इन मामलों का निर्णय सीमा शुल्क की धारा 15 के प्रावधान के आधार पर किया जाना चाहिए।

एक्ट करें। भारत संघ के तर्क का विस्तार करते हुए श्री के. एम. नटराज, भारत संघ के विद्वान वकील-अपीलार्थी का तर्क होगा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 की वैधता को कोई चुनौती नहीं है। उक्त प्रावधान को जैसा है वैसा ही लिया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। परिणाम तब अपरिहार्य होगा कि विचाराधीन अधिसूचना जो निस्संदेह देर शाम 16.02.2019 पर प्रकाशित की गई थी, ने पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर शुल्क की बढ़ी हुई दर तय कर दी और यह निस्संदेह उस दिन से प्रभावी होने वाला था। दूसरे शब्दों में, चूंकि अधिनियम की धारा 15 में विचार किया गया है कि शुल्क की दर दिन के दौरान लागू दर होगी, और चूंकि अधिसूचना 16.02.2019 पर प्रकाशित की गई थी, इसलिए उस दिन 16.02.2019 को बाहर नहीं किया जाना था। दूसरे शब्दों में, भारत और ओ. आर. एस. का संघ होना था।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

पूरे दिन संचालन, 16.02.2019। यह तर्क दिया जाता है कि वहाँ नहीं हो सकता है

शुल्क की दो दरें हों जो एक ही दिन में एक-दूसरे के साथ टकराव में हों। जिस दिन अधिसूचना वास्तव में प्रकाशित की गई थी, उस दिन का समय इस सवाल का जवाब देने में महत्वहीन हो जाएगा कि क्या उक्त अधिसूचना, जो इस मामले में शामिल है, पूरे दिन के दौरान हावी रहेगी। वह हमसे इस बात पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 दिन के समय का उल्लेख नहीं करती है, बल्कि केवल दिन का उल्लेख करती है। वह आगे तर्क देंगे कि अधिसूचना के आधार पर, 15.02.2019 की आधी रात से धारा 15 के अर्थ के भीतर लागू दर उसी द्वारा शासित माल के संबंध में अधिसूचना के तहत

निर्धारित दर थी। किसी भी अन्य व्याख्या में धारा 15 का पुनर्लेखन और प्रावधान का संशोधन शामिल होगा जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। वह इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकारियों ने उचित रूप से पुनर्मूल्यांकन शुरू किया है अधिनियम यह ध्यान में रखते हुए कि माल का निर्धारण शुल्क के साथ उस दर पर किया गया था जो लागू नहीं थी, अर्थात् वे दरें जो 16.02.2019 पर धारा 8A के तहत जारी अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित की गई थीं। इस संबंध में उन्होंने अधिनियम की धारा 17 (4) के प्रावधानों से प्रेरणा ली। विशेष रूप से, उन्होंने बताया कि "अन्यथा" अभिव्यक्ति इन मामलों के तथ्यों में मौजूद स्थिति को शामिल करने में सक्षम है। वे यह भी इंगित करेंगे कि न्यायालय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि अधिनियम की धारा 47 के तहत घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी की अनुमति देने वाला आदेश पारित नहीं किया गया है। जैसे ही अधिसूचना का तथ्य सामने आया, पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्यवाही का सहारा लिया गया और उच्च न्यायालय के लिए अधिनियम की धारा 15 के अर्थ के भीतर शुल्क की सही दर को लागू करने के उद्देश्य से अधिकारियों की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया गया।

10. इसके विपरीत, श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित रूप में इंगित करके अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियों का विरोध किया:

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत, आयात पर सीमा शुल्क लगता है जैसा कि टैरिफ अधिनियम के तहत तय किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15, हालांकि, उस तारीख को निर्धारित करती है जिसके संदर्भ में शुल्क अधिनियम में प्रदान की गई शुल्क की दर लागू होनी है। इससे भी आगे और महत्वपूर्ण रूप से, इस अभ्यास को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 में प्रदान किए गए प्रवेश पत्रों की प्रस्तुति की तारीख के संदर्भ में पूरा किया जाना है। वास्तव में, वह प्रस्तुत करेंगे कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, धारा 15 और 16 के अवलोकन से पता चलेगा कि चार अलग-अलग स्थितियों पर विचार किया गया है।

धारा 15, जो आयात पर देय शुल्क की दर से संबंधित है,

जहां धारा 46 के तहत घर के उपयोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां शुल्क की दर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के संदर्भ में लागू होती है। उस मामले में जहां धारा 68 के तहत माल को भंडारित करने के लिए मंजूरी दी जाती है, फिर से धारा 68 के तहत घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के संदर्भ में शुल्क का भुगतान किया जाना है। दो अन्य परिस्थितियाँ निर्यात से संबंधित हैं। भारत से निर्यात के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के मामले में, शुल्क की दर उस तारीख के संदर्भ में तय की जाती है जिस दिन उचित अधिकारी धारा 51 के तहत निर्यात के लिए वस्तुओं की निकासी और लोडिंग की

अनुमति देने का आदेश देता है। किसी भी अन्य मामले में, जो चौथी श्रेणी है, शुल्क के भुगतान की तारीख के संदर्भ में शुल्क तय किया जाता है। वह.

यह प्रवेश विनियम, 2018 के बिलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। विशेष रूप से, वह उक्त विनियमों के विनियम 4 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे। वह इंगित करेंगे कि उक्त विनियमों के विनियम 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि एक बार जब प्रवेश पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए जाते हैं और कार्यक्रम होता है, तो

टैरिफ अधिनियम के साथ पढ़ा गया अधिनियम। जिन आयातों पर कानून के अनुसार शुल्क लगाया गया है, उन्हें शुल्क की दरों के साथ लागू करना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा, जो संबंधित समय पर प्रचलित नहीं थी। अधिसूचना में केवल संभावित हो सकता है ऑपरेशन। वास्तव में, श्री कपूर, विद्वान वकील, जो रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उच्च न्यायालय में पेश हुए, ने बताया कि देर शाम अधिसूचना जारी होने के बाद, प्रणाली भारत और ओआरएस का संघ नहीं थी।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रवेश पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा को आगे स्वीकार करें क्योंकि यह विचार किया गया था कि इस तरह के प्रवेश पत्र अधिक आकर्षित करेंगे।

कर्तव्य।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा इंगित करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम स्व-मूल्यांकन पर विचार करता है। उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया

इस संबंध में धारा 17। यह रिट याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला है कि स्व-मूल्यांकन के आधार पर, प्रणाली ने विवरण उत्पन्न किया जो स्व-मूल्यांकन को मंजूरी देता है। अधिनियम के संदर्भ में मामला समाप्त होने के बाद, धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना के बल पर लेनदेन पर फिर से विचार नहीं किया जा सका। यह इंगित किया गया है कि धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना प्रत्यायोजित विधान के समान हो सकती है। यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ना कि यह प्रत्यायोजित कानून है, इसका केवल संभावित संचालन हो सकता है। टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए, जिसके तहत अधिसूचना जारी की गई थी, अधिसूचना के लेखक को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं देती है। न्यायालय द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा

अधिसूचना जो 20 के बजाय 10.00a.m. पर 16.02.2019 पर जारी की गई थी: 46: 58 घंटे। , वास्तव में यह किस समय जारी किया गया था और यदि प्रवेश पत्र सुबह 1 बजे के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो श्री पी. एस. नरसिम्हा ने बताया कि यह अधिसूचना होगी जो सुबह 1 बजे जारी की गई थी।

अधिसूचना लागू होगी, और इसलिए, शुल्क में वृद्धि होगी

देय हो सकता है। श्री पी. एस. नरसिम्हा का यह भी तर्क है कि धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना इस कारण से अवैध है कि धारा 8ए के तहत जो विचार किया गया है वह उन वस्तुओं के संबंध में शुल्क की दर में वृद्धि है जो पहले से ही टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल हैं, जबकि अधिसूचना के अवलोकन से पता चलेगा कि एक नई प्रविष्टि की गई है और शुल्क की दर उसमें प्रदान की गई है। , इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान से निकलने वाले सभी सामानों पर शुल्क की दर बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गई। लेकिन इस तर्क की रेखा

पीछा नहीं किया गया।

12. दोनों पक्षों ने हमें पूरी तरह से केस लॉ के लिए संदर्भित किया।

विश्लेषण

13. सीमा शुल्क अधिनियम एक समेकित अधिनियम है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ तस्करी के खतरे से निपटना है। इसमें विभिन्न प्रतिबंध शामिल हैं। इसमें आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क लगाने का भी प्रावधान है। यह एक ऐसा कानून है जो राज्य को राजस्व प्रदान करता है। यह राष्ट्र के हाथों में अपने आर्थिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है ताकि इसे लोगों के कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त बनाया जा सके। निर्विवाद रूप से चार्जिंग [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 12 धारा है। कर योग्य घटना वस्तुओं का आयात या निर्यात है।

भारत से। आम तौर पर, टैरिफ अधिनियम उन दरों का प्रावधान करता है जिन पर आयात और निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि भारत और पाकिस्तान S.A.A.R.C हैं। वे देश एक समझौते के पक्षकार थे जिसके तहत देशों के बीच व्यापार केवल रियायती दरों पर शुल्क के अधीन था। जबकि, पुलवामाक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक बाद भारत सरकार अपन शक्तिक प्रयोग कऽ रहल अछि।

टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क की दर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अधिसूचना 16.02.2019 पर जारी की गई थी। यह लगभग 20 बजे प्रकाशित हुआ था: 46: 58 घंटे। इस बीच, दिन के दौरान, हमारे सामने रिट याचिकाकर्ता जिन्होंने माल का आयात किया था, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवेश पत्र दाखिल किए थे। सामान सीमा शुल्क स्टेशन में मौजूद था। अधिक सही होने के लिए, विधेयकों को प्रस्तुत किया गया और

आत्म-मूल्यांकन किया गया था। इसके बाद देर शाम को टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत अधिसूचना जारी की गई। इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं:

अधिसूचना की प्रकृति क्या है? यह एक प्रजाति है

1 .

अधीनस्थ विधान?यदि यह अधीनस्थ कानून है, तो यह कब शुरू हुआ? क्या?

2 .

क्या आयात पर शुल्क की दर और मूल्यांकन की शक्ति के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम की योजना है? यह था कि

16.02.2019 पर लागू अधिसूचना ताकि यह प्रवेश पत्रों द्वारा स्वीकार किए गए सभी लेन-देनों को शामिल कर सके जो 16.02.2019 पर कार्यालय के समय के दौरान विधिवत प्रस्तुत किए गए थे?

सीमा शुल्क की धारा 15 के तहत एक दिन क्या होता है

एक्ट?

क्या अधिसूचना धारा 5 (3) के अंतर्गत आती है

3 .

सामान्य खंड अधिनियम?

4. क्या अपीलार्थी पुनः आवेदन करने के लिए न्यायोचित थे

इन मामलों में मूल्यांकन?

टैरिफ़ अधिनियम और साथ ही

अधिसूचना हटाए गए कानून का एक रूप है

14. यह उचित है कि टैरिफ अधिनियम के कामकाज का खुलासा किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क की दरें इसके अनुसार प्रदान की जानी हैं पहली और दूसरी अनुसूची में प्रविष्टियाँ। शुल्क अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार है:

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 2. अनुसूचियों में निर्दिष्ट शुल्क जो लगाए जाने हैं। - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क जिन दरों पर लगाया जाएगा, वे पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं।

15. दूसरे शब्दों में, शुल्क की दर वह होनी चाहिए जो संसद द्वारा प्रदान की जाती है। इसे बढ़ाने के लिए शुल्क अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

प्रक्रियाएँ उसमें दी गई हैं, जिसमें अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति शामिल है। हालांकि, परंतुक यह स्पष्ट करता है कि पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिए धारा 11ए के तहत शक्ति के प्रयोग में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत देय सीमा शुल्क के संबंध में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट दरों में वृद्धि शामिल नहीं होगी या नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, सीमा शुल्क की दर को छोड़कर, पहली अनुसूची की सामग्री को केंद्र सरकार द्वारा धारा के तहत संशोधित किया जा सकता है। 11ए. नतीजतन, धारा 11ए केंद्र सरकार को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क की दर बढ़ाने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, शुल्क की दर आम तौर पर संसद के प्रांत के भीतर आती है, और यह केवल संसद है, जो शुल्क की दर को बढ़ा या घटा सकती है। हालांकि, टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के तहत शुल्क की दर को बदलने के लिए धारा 8ए के तहत एक अपवाद बनाया गया है। यह एक आपातकालीन शक्ति है जो केंद्र सरकार के पास निहित है। केंद्र सरकार के पास निहित आपातकालीन शक्ति आयात शुल्क को बदलना है और परिवर्तन आयात शुल्क की दर में वृद्धि तक सीमित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो आयात शुल्क में वृद्धि के प्रावधान के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक बनाती हैं। धारा 8ए, वास्तव में, पहली अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति पर विचार नहीं करती है। धारा 8ए के तहत शक्ति है -

आयात शुल्क की दर में वृद्धि आम तौर पर संसद द्वारा शुल्क की पहली अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक शक्ति है।एक्ट करें। यह केवल आकस्मिक परिस्थितियों में है जहां विधानमंडल का प्रतिनिधि, अर्थात। केंद्र सरकार, [2020] 14 एस. सी. आर. लेना आवश्यक समझती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तत्काल कार्रवाई जो कि संसद द्वारा अधिनियम या अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करने की प्रक्रिया है, में समय लगेगा, धारा 8ए के तहत कार्रवाई करके इसे समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। निस्संदेह, धारा 7 (3) और 7 (4) के प्रावधान अधिसूचना बनाने में लागू होंगे।

16. प्रावधानों के अवलोकन पर, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना, आयात शुल्क को बढ़ाना, प्रत्यायोजित विधान की प्रजातियाँ। यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 265

भारत के संविधान में घोषणा की गई है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। शुल्क की दर में वृद्धि स्पष्ट रूप से एक कार्यकारी आदेश से प्रभावित नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से शुल्क की दर बढ़ाने का अधिकार

दिया जाता है, तो वह अनुच्छेद 265 की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी और यह मानने में कोई संकोच नहीं हो सकता है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर कानून है और यह प्रत्यायोजित विधान की एक प्रजाति है। [इस संबंध में ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 21 पैरा 11 देखें]

ग्राहक अधिनियम की योजना की दर

आयात पर शुल्क और कर्तव्य का आकलन

17. धारा 12 प्रभार अनुभाग है। वह इस प्रकार है:

" 12. देय वस्तुएँ। — (1) इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, सीमा शुल्क उन दरों पर लगाया जाएगा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत भारत में आयातित या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान सरकार से संबंधित सभी वस्तुओं के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।

सरकार से संबंधित नहीं "।

18. धारा 15 शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि से संबंधित है। वह इस प्रकार है:

बलपूर्वक, (क) 4 धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज किए गए माल के मामले में, उस तारीख को जिस दिन उस धारा के तहत ऐसे माल के संबंध में प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है; भारत का संघ और ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

68 , जिस तारीख को उस धारा के तहत ऐसे सामानों के संबंध में घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है;(ग) किसी अन्य वस्तु के मामले में, शुल्क के भुगतान की तारीख को:

बशर्ते कि यदि पोत के प्रवेश की तारीख या विमान या वाहन जिसके द्वारा माल आयात किया जाता है, के आगमन की तारीख से पहले प्रवेश का बिल प्रस्तुत किया गया है, तो प्रवेश का बिल उस तारीख को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

या आगमन, जैसा भी मामला हो।

(2) इस धारा के प्रावधान सामान पर लागू नहीं होंगे और

डाक द्वारा आयातित माल "।

19. आयात के मामले में, शुल्क की दर, जो विवाद का एकमात्र क्षेत्र है, शुल्क की दर के आधार पर निर्धारित की जानी है जो प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के दिन लागू होती है। यह आगे ध्यान दिया जाएगा कि एक आयातक कर सकता है, जब माल भौतिक रूप से है

विचाराधीन सीमा शुल्क स्टेशन के भीतर मौजूद, घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करें। धारा 46 (1) भंडारित की जा रही वस्तुओं के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर भी विचार करती है। यह आम तौर पर तब होता है जब आयातक को माल पर शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है। जब उसे अभी तक अपने माल के लिए कोई खरीदार नहीं मिला है या माल को साफ करने में कोई अन्य बाधाएं हैं तो वह माल का भंडारण भी कर सकता है। परिवहन के माध्यम से देश से बाहर ले जाने के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं या पारगमन के लिए अभिप्रेत वस्तुओं के मामले शामिल नहीं हैं। धारा 46 (1) द्वारा। उप-धारा (1) के तहत प्रवेश पत्र उस दिन (छुट्टियों को छोड़कर) की समाप्ति से पहले प्रस्तुत किया जाना है जिस दिन माल ले जाने वाला विमान, पोत या वाहन सीमा शुल्क स्टेशन पर पहुंचता है, जिस पर माल को या तो घर के उपभोग या भंडारण के लिए साफ़ किया जाना है [धारा 46 (3) देखें]। धारा 46 (3) के दूसरे प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि प्रवेश पत्र निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं हैं

देरी से, आयातक को देर से प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान करना होता है। आयातक को प्रवेश पत्र की सामग्री की सच्चाई के बारे में एक घोषणा भी करनी है, और उसके समर्थन में, उसे चालान और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं, जो निर्धारित किए जा सकते हैं। [धारा 46 (4) देखें]

20. धारा 46 के तहत किसी भी आयातित माल में प्रवेश करने वाले आयातक के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विचार की गई अगली प्रक्रिया

धारा 85 द्वारा कवर की गई स्थिति को छोड़कर घरेलू खपत आयातक के लिए आत्म-मूल्यांकन करने के लिए है [धारा 17 (1) देखें]।

अधिकारी को धारा 46 के तहत दर्ज किए गए प्रवेश पत्र में प्रविष्टियों और आयातक द्वारा किए गए माल के स्व-मूल्यांकन को सत्यापित करना है। उसे इस तरह के सत्यापन के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी आयातित वस्तु की जांच या परीक्षण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। आयातक को सत्यापन के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना है, जो इसके लिए आवश्यक हो सकता है।

मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया जाता है। धारा 17 (4) "माल का सत्यापन, परीक्षण या परीक्षण" शब्दों के बाद "अन्यथा" अभिव्यक्ति को भी नियोजित करती है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले के तथ्यों में "अन्यथा" शब्द आकर्षित होता है क्योंकि यह पाया जाता है

कि 16.02.2019 पर अधिसूचना जारी करने से सभी प्रवेश पत्रों के संबंध में शुल्क की दर निर्धारित होती है जो दिन के दौरान प्रस्तुत किए गए हो सकते हैं और पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से अनुमत था क्योंकि यह व्यापक आलिंगन के भीतर आता है। "अन्यथा" शब्द का। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का परीक्षण, विचार और उत्तर देने के बाद दिया जाएगा कि अधिसूचना कब जारी की जाएगी।

शुरू किया। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 18 (1) (ए), जो यह प्रावधान करती है कि अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन पूर्वाग्रह के बिना

धारा 46 के अनुसार, अधिकारी अस्थायी मूल्यांकन कर सकता है।

धारा 18 (1) (ए) के तहत इस तरह के अनंतिम मूल्यांकन की अनुमति तब दी जाती है जब आयातक, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 17 (1) के तहत स्व-मूल्यांकन करने में असमर्थ होता है, और इसके अलावा, अनंतिम मूल्यांकन के लिए उचित अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध करता है।

21. खंड में तीन अन्य परिस्थितियाँ गिनाई गई हैं।

(बी), (सी) और (डी) धारा 18 (1) जो अधिकारी को अस्थायी मूल्यांकन का आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ऐसे मामले में, अंतिम मूल्यांकन करने के लिए अधिकारी खुला है। तो भी, यह अधिकारी के लिए खुला है

पुनर्मूल्यांकन करें।

22. आयातक कौन सा समय पर बिल प्रस्तुत करता है?

गृह उपभोग के लिए धारा 46 के तहत प्रविष्टि आयात शुल्क के भुगतान को प्रभावित करने के लिए है, जब वह स्व-मूल्यांकन करता है? इस प्रश्न का उत्तर धारा 47 (2) (ए) में दिया गया है जिसमें प्रावधान है कि आयातक को भुगतान करना है।प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए जाने के दिन ही आयात शुल्क जब आयातक अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत स्व-मूल्यांकन करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

धारा 47 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत।24. धारा 47 (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का भुगतान न करने का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर धारा 47 (2) में ही निहित है क्योंकि कानून यह आदेश देता है कि आयातक उस शुल्क पर ब्याज का भुगतान करेगा जो उसके भुगतान की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 47 घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भुगतान के बिना माल की निकासी का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

25. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 में शुल्कों की वसूली का प्रावधान है

नहीं लगाया गया, भुगतान नहीं किया गया, कम समय के लिए लगाया गया, कम समय के लिए भुगतान किया गया या गलती से वापस कर दिया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में भी इसी तरह के प्रावधान शामिल हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 2 (25) "आयातित माल" शब्द को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है भारत के बाहर से भारत में लाया गया माल, लेकिन इसमें वे सामान शामिल नहीं हैं जिन्हें घर के लिए हटा दिया गया है।

उपभोग।

26. धारा 15 (1) (ए) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं की बात है, तो शुल्क की दर

उस तारीख को लागू शुल्क की दर होनी चाहिए जिस दिन धारा 46 के तहत ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यह वह तारीख नहीं है जिस पर धारा 47 के तहत माल को हटाने का आदेश दिया जाता है। वास्तव में, अधिनियम की योजना, घरेलू उपभोग के लिए दर्ज की गई वस्तुओं के संबंध में, यह है कि आयातक को प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना है, जैसा कि धारा 46 के तहत विचार किया गया है, उसे धारा 17 (1) के तहत स्व-मूल्यांकन करना है, उसे उस दिन शुल्क का भुगतान करना है जिस दिन वह धारा 47 (2) (ए) के तहत प्रवेश पत्र प्रस्तुत करता है। यदि वह स्व-मूल्यांकन के मामले में उसी दिन भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह भुगतान की तारीख तक दिए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि केवल वही तारीख प्रासंगिक है जिस पर वह घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र को निर्धारित रूप और तरीके से प्रस्तुत करता है।

"विहित" शब्द को धारा 2 (32) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में नियम बनाए गए हैं। धारा 46 (1) से पता चलता है कि "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द 2011 के अधिनियम 8 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था। "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्दों के तुरंत बाद, "सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में" शब्द, वित्त अधिनियम, 2018 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2018 द्वारा जोड़े गए हैं। शब्द "ऐसे रूप और तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए आए "वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा निर्धारित प्रपत्र "। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 46 (1) का पहला प्रावधान सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त को किसी अन्य तरीके से प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अधिकार देता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रविष्टि करना संभव नहीं है।

27. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 (1) के तहत घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के प्रपत्र और तरीके के लिए क्षेत्र प्रदान करने वाले विनियमों को प्रवेश पत्र (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत

घोषणा और कागज रहित प्रसंस्करण) विनियम, 2018 कहा जाता है (इसके बाद संक्षेप में '2018 विनियम' के रूप में संदर्भित)। विनियमन 4 (2), जो प्रासंगिक विनियमन है, निम्नानुसार है:

" 4 (2) प्रविष्टि बिल को दाखिल किया गया माना जाएगा और स्व-मूल्यांकन तब पूरा किया जाएगा जब सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा के प्रवेश के बाद या सेवा केंद्र के माध्यम से डेटा प्रविष्टि के माध्यम से, उक्त घोषणा के लिए भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम द्वारा प्रविष्टि संख्या का एक बिल उत्पन्न किया जाता है और प्रविष्टि बिल की स्व-मूल्यांकन प्रति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकृत को प्रेषित किया जा सकता है।

व्यक्ति या सेवा केंद्र पर मुद्रित।

28. उपरोक्त विनियमन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रवेश पत्र की केवल एक मानित प्रस्तुति नहीं है जिसे कानून कहता है

अस्तित्व में, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन आत्म-मूल्यांकन का समापन भी। यह मानित प्रस्तुति और पूर्ण स्व-मूल्यांकन तब होता है जब प्रवेश संख्या का बिल उत्पन्न होता है। एक बार जब प्रवेश पत्र की मानित प्रस्तुति हो जाती है, तो धारा 15 (1) (ए) के तहत, शुल्क की दर, जो प्रस्तुति की ऐसी मानित तिथि पर लागू होती है,

वह दर जो लागू हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आगे की आवश्यकता के अधीन है कि माल सीमा शुल्क स्टेशन में भौतिक रूप से मौजूद है। यही कारण है कि धारा 46 (3) के पहले प्रावधान के तहत, एक आयातक भारत संघ और ओ. आर. एस. के आगमन की प्रत्याशा में प्रवेश पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

माल बशर्ते कि इस तरह के प्रवेश पत्र की प्रस्तुति अपेक्षित आगमन से तीस दिन पहले की अवधि तक सीमित न हो। हालाँकि, यदि धारा 46 (3) के प्रथम प्रावधान के तहत प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो शुल्क की दर प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के कार्य के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी, लेकिन प्रवेश पत्र की ऐसी प्रस्तुति केवल माल के प्रवेश की तारीख से या आगमन की तारीख से की गई एक काल्पनिक कल्पना द्वारा की जाती है, जैसा भी मामला हो।

29. इन मामलों के तथ्यों में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आयातित सामान सीमा शुल्क स्टेशन और बिल ऑफ एंट्री में बहुत अधिक था 16.2.2019 पर धारा 46 (1) के तहत प्रस्तुत किए गए थे। यह स्पष्ट है कि

न्यायालय के समक्ष मामलों के प्रयोजन के लिए शुल्क की दर, प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के संदर्भ में निर्धारित की जानी है। कानून भुगतान के समय को भी ध्यान में नहीं रखता है

शुल्क जो आयातक द्वारा स्व-मूल्यांकन किया जाता है। यह इस कारण से नोट किया जाता है कि आयातक, जो धारा 46 के तहत प्रवेश पत्र प्रस्तुत करता है और जो स्व-मूल्यांकन करता है, उस पर इस तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए कर्तव्य-बाध्य है।एक ही तारीख। विफलता का परिणाम केवल धारा 47 के तहत ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है, इसके अलावा उसे माल की निकासी से अक्षम करना है। यह उस समय को स्थगित नहीं करता है जिस पर शुल्क की दर निर्धारित की जानी है।

30. उन वस्तुओं के संबंध में अधिनियम की योजना पर विचार करना जो भारत में आयात की जाती हैं और जिन्हें एक विधेयक के तहत दर्ज किया गया है

भारत में घरेलू उपभोग के लिए, अब अधिसूचना के प्रभाव का पता लगाने का समय आ गया है जो 16.02.2019 पर देर शाम जारी की गई थी। टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना की प्रकृति के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। यह प्रत्यायोजित विधान की एक प्रजाति है। जहाँ तक संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि, जो अपने अधिकार में संप्रभु निकाय हैं, संविधान के तहत अपनी स्थिति के अधीन, निस्संदेह, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समझाया गया है, कानून क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सहमति दिए जाने के तुरंत बाद लागू होता है। संसद द्वारा बनाया गया कानून कार्यपालिका की ओर से आगे किसी अधिनियम के बिना प्रभावी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस कानून में अन्यथा व्यक्त किए गए इरादे के अधीन है जिसे इस तरह से किसी अन्य तिथि के रूप में बनाया गया है जिससे इसका संचालन होना है। यह एक सशर्त कानून का मामला भी हो सकता है जहां कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाना है।

31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान के बीच अंतर है (इस संबंध में देखें, इस न्यायालय का निर्णय आई. टी. सी. भद्राचलम पेपरबोर्ड और एक अन्य वी.

अधिकारी और अन्य, जहां पहले के मामले के कानून को पूरी तरह से निपटाया गया है)।

32. एक अधिसूचना, जो कार्यपालिका द्वारा बनाई जाती है, वास्तव में जानी जानी चाहिए। आम तौर पर राजपत्र में प्रकाशित करके इसका पता लगाया जाता है। इस संबंध में, यह उल्लेख करना लाभदायक है कि इस न्यायालय ने बी. के. श्रीनिवासन बनाम में रिपोर्ट किए गए निर्णय में क्या निर्धारित किया है। कर्नाटक राज्य 2:

" 15. ..... इसलिए यह आवश्यक है कि अधीनस्थ विधान को प्रभावी होने के लिए कुछ राज्यों में प्रकाशित या प्रख्यापित किया जाना चाहिए।उचित तरीके से, चाहे ऐसा प्रकाशन या उद्घोषणा मूल क़ानून द्वारा निर्धारित की गई हो या नहीं। तब यह प्रभावी होगा।

ऐसे प्रकाशन या उद्घोषणा की तारीख से। जहां मूल क़ानून प्रकाशन या घोषणा के तरीके को निर्धारित करता है, उस तरीके का पालन किया जाना चाहिए। जहां मूल कानून मौन है, लेकिन अधीनस्थ कानून स्वयं प्रकाशन के तरीके को निर्धारित करता है, तो प्रकाशन का ऐसा तरीका पर्याप्त हो सकता है, यदि उचित हो। यदि अधीनस्थ विधान निर्धारित नहीं करता है प्रकाशन का तरीका या यदि अधीनस्थ कानून प्रकाशन का एक स्पष्ट रूप से अनुचित तरीका निर्धारित करता है, तो यह केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त आधिकारिक चैनल, अर्थात् आधिकारिक राजपत्र या प्रकाशन के किसी अन्य उचित तरीके के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। अधीनस्थ कानून हो सकते हैं जो कुछ व्यक्तियों से संबंधित हैं या छोटे स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ऐसे मामलों में अन्य माध्यमों से प्रकाशन या घोषणा पर्याप्त हो सकती है [नारायण रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य, (1969) 1 आंध्र डब्ल्यू. आर. 77]।"

33. सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक मामले में इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया, जो मैसर्स में बताया गया है। पंकज जैन एजेंसियां बनाम। भारत संघ और अन्य। इसलिए, यह केवल 20 पर प्रभावी प्रकाशन के साथ है: 46: 58 घंटे। 16.02.2019 पर, धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना, आयात शुल्क की दर को बढ़ाते हुए, लागू हुई।

34. जबकि कानून में आवश्यक प्रकाशन पर, एक अधिसूचना को प्रभावी बनाने के लिए, इस न्यायालय का निर्णय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बनाम। न्यू टोबैको कंपनी और अन्य पर ध्यान दिया जाता है। जिस प्रश्न पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या

1 (1996) 6 एससीसी 634

2 (1987) 1 एससीसी 658। 3 3 (1994) 5 एससीसी 198

4 (1998) 144 सी. टी. आर. (एस. सी.) 618 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत अधिसूचना उस तारीख से प्रभावी हो गई जिस दिन इसे सरकारी राजपत्र में छापा गया था या जिस तारीख को इसे जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। इस न्यायालय ने एशिया टोबैको कंपनी में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया

सीमित वी। भारत संघ और अन्य। इसमें, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" 8. ..... " प्रासंगिक अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र का केवल मुद्रण और इसे प्रचलन के लिए उपलब्ध कराए बिना और इसे जनता के लिए बिक्री पर रखे बिना आर के अर्थ में अधिसूचना के

बराबर नहीं होगा। 8 (1) नियमों से। यह कहना नियम का मजाक होगा कि अधिसूचना का उद्देश्य पर्याप्त होगा यदि अधिसूचना केवल मुद्रित की जाती है।

आधिकारिक राजपत्र, इसके लिए उपलब्ध कराए बिना

जनता को प्रसारित करना या इसे जनता के लिए बिक्री पर रखना

न तो अधिसूचना की तारीख और न ही मुद्रण की तारीख और न ही

जनता के लिए जारी किए बिना उन्हें जारी करने के बराबर नहीं होगा बिल्कुल भी अधिसूचना "।

35. इसके बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार फैसला सुनाया:

" 11. हमारा मानना है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना को प्रकाशित किया गया कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि जब इसे अन्यथा प्रदान किया जाता है, जब इसे इस तरह से जारी किया जाता है ताकि इसे जनता को ज्ञात किया जा सके। यह एक उचित प्रकाशन होगा यदि इसे इस तरह से प्रकाशित किया जाए कि व्यक्ति, यदि वे इतने रुचि रखते हैं, तो इसकी सामग्री से खुद को परिचित करा सकें। यदि प्रकाशन राजपत्र के माध्यम से होता है तो केवल राजपत्र में उसका मुद्रण किया जाता है।

राजपत्र पर्याप्त नहीं होगा। जब तक अधिसूचना वाला राजपत्र जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक अधिसूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है।

कहा जाए कि इसे विधिवत प्रकाशित किया गया है।

36. यह ध्यान दिया जा सकता है कि तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने न्यू टोबैको कंपनी (उपरोक्त) में निर्णय को रद्द कर दिया।

भारत संघ और अन्य में बताए गए निर्णय में v. गणेश दास भोजराजे। इसमें धारा 25 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी

5 (1985) 155 आई. टी. आर. 568 (मैड)

6 2000 (9) एससीसी 461 [2020] 14 एस. सी. आर.

आई. डी. 1 पर सीमा शुल्क अधिनियम, वर्ष 1976 की एक पूर्व अधिसूचना में संशोधन, जिसके द्वारा छूट दी गई थी और 25 प्रतिशत से अधिक शुल्क की छूट को सीमित किया गया था। बिल ऑफ एंट्री 05.02.1987 पर दाखिल किया गया था। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि सीमा शुल्क

अधिनियम की धारा 25 के तहत, चूंकि अधिसूचना दिनांक 04.02.1987 राजपत्र में प्रकाशित हुई है, इसलिए यह लागू हो गई थी और 05.02.1987 पर प्रचलित दरों का गठन किया था, जब प्रतिवादी ने प्रवेश पत्र दाखिल किया था। वास्तव में, न्यायालय ने धारा 25 में बाद के विकास को देखा सीमा शुल्क अधिनियम जिसके द्वारा उप-धारा (4) और (5) को धारा 25 में जोड़ा गया था, जो निम्नानुसार है:

" 25. शुल्क से छूट देने की शक्ति। —

XXX

XXX

XXX

XXX

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना

(2(क) होगा -

(ए) जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, इसकी तारीख से लागू होता है

आधिकारिक में प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया

राजपत्र;

(ख) इसके जारी होने की तारीख को प्रकाशित और बिक्री के लिए पेश किया जाए।

बोर्ड के प्रचार और जनसंपर्क निदेशालय द्वारा,नई दिल्ली।

(5) उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अधिसूचना उसके जारी होने की तारीख से बाद की तारीख को लागू होती है, उसे प्रकाशित किया जाएगा और उक्त प्रचार और जनसंपर्क निदेशालय द्वारा किसी तारीख को या उससे पहले बिक्री के लिए पेश किया जाएगा।

जिस तारीख को उक्त अधिसूचना लागू होती है।न्यू टोबैको कंपनी (ऊपर) में विचार नहीं माना गया था

अच्छा कानून।

37. यह ध्यान देने योग्य है कि यह जारी की गई अधिसूचना के संबंध में है

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 के तहत उप-धारा (4) और (5) में निहित सिद्धांत उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस दिन इन प्रावधानों को लागू किया गया था। जहाँ तक एक अधिसूचना जारी की गई है धारा 8ए, जिसके साथ इस न्यायालय का संबंध है, यह वह सिद्धांत है जो गणेश दास भोजराज (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, जो लागू होगा।

38. दूसरे शब्दों में, जहां तक टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना का संबंध है, अधिसूचना इस प्रकार होगी -

राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को बल।

सवाल, भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

तथापि, जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, इस मामले में जो उत्पन्न होता है, वह समाकलन है। , क्या उस समय को ध्यान में रखते हुए जब इसे प्रकाशित किया गया था, क्या अधिसूचना 16.02.2019 पर लागू होगी, पूरे दिन को शामिल करके या यह इसके प्रकाशन के समय से काम करेगी, या क्या अधिसूचना को 16.02.2019 को हटाने के बाद ही लागू किया जाना है।

39. यह सवाल स्पष्ट रूप से उठेगा कि क्या इसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा। , 16.02.2019 , जिसका अर्थ है, चूंकि दिन 16.02.2019 का जन्म हुआ था, 15.02.2019 पर आधी रात के तुरंत बाद, क्या एक दिन का अर्थ आधी रात के बाद का पहला क्षण है? यदि इसका प्रभाव होता, तो प्रवेश पत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता।

2018 विनियमों के नियम 4 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 (1) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया गया, जिन्हें पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है। यहीं पर सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

सामान्य आरोप अधिनियम, 1897 की धारा 9

40. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 इस प्रकार है:

इस अधिनियम के प्रारंभ में, यह इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगादिनों की एक श्रृंखला या किसी अन्य अवधि में पहले को बाहर करने के लिए, से शब्द का उपयोग करने के लिए, और दिनों की एक श्रृंखला में या किसी अन्य अवधि में अंतिम को शामिल करने के उद्देश्य से, शब्द का उपयोग करने के लिए

को।

(2) यह धारा जनवरी 1868 के तीसरे दिन के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और उस दिन या उसके बाद बनाए गए सभी विनियमों पर भी लागू होती है।

जनवरी, 1887 का चौदहवाँ दिन।"

41. इस मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 8ए के तहत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। यह 20 बजे प्रकाशित हुआ था: 46: 58 घंटे। पर

16.02.2019 . यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम एक मामले से नहीं निपट रहे हैं, जहां

समय की एक अवधि, जो दो अलग-अलग टर्मिनियों द्वारा सीमित है, मौजूद है। एक क़ानून एक टर्मिनस एक्वो को तय कर सकता है। कानून को यह बताए बिना बनाए रखा जा सकता है कि अवधि कब समाप्त होगी, जो कि अंतिम सीमा है।

42. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 9 इस सिद्धांत को स्पष्ट करती है कि दिनों की एक श्रृंखला या किसी अन्य अवधि में पहले को छोड़कर, "से" शब्द का उपयोग करना पर्याप्त है। इसी तरह, यह दिनों की श्रृंखला या समय की अन्य अवधि में अंतिम को शामिल करने के उद्देश्य से "से" शब्द का उपयोग करने की योजना के लिए भी प्रदान करता है। धारा 9 से यह स्पष्ट है कि यह [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अवधि, या दिनों की एक श्रृंखला पर विचार करता है जो दोनों द्वारा चिह्नित है

टर्मिनस एक्वो और टर्मिनस एड क्वेम। धारा 9 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन पर लागू होना है।43. इस मामले में, हम क़ानून के तहत जारी अधिसूचना से चिंतित हैं, और जो प्रत्यायोजित कानून का एक हिस्सा है, जिसके तहत आयात शुल्क की दर में वृद्धि की गई है। शुल्क की दर में वृद्धि किसी भी अवधि के लिए नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह ऐसा मामला नहीं है जहां पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं के बढ़े हुए आयात शुल्क के संचालन के लिए अंतिम सीमा या समय की अवधि तय की गई हो। दूसरे शब्दों में, अधिसूचना के तहत आयात शुल्क की बढ़ी हुई दर अनिश्चित काल तक चलने वाली है। "अनिश्चित" शब्द का अर्थ यह है कि यह सीमा शुल्क अधिनियम या सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए तब तक जीवन धारण करता है जब तक कि इसे बढ़ाया, कम या पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है।

(इस संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25 और शुल्क अधिनियम की धारा 2 देखें)।

एक दिन; समय का एक अंश; समय का आधार

44. अब कानून की विभिन्न शाखाओं के तहत विभिन्न स्थितियों में न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है।

लेस्टर वी। माला '। उक्त मामले में, 'ए' के पक्ष में अवशिष्ट ब्याज का वसीयत था यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ 'बी' से शादी नहीं करने के लिए प्रतिभूति देती है, छह कैलेंडर महीनों के भीतर, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद।

यदि 'ए' ऐसी सुरक्षा देने से इनकार कर देता है तो इसके ऊपर जाने का प्रावधान था। 12 जनवरी को वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई। सुरक्षा 'ए' द्वारा दी गई थी

12 जुलाई। 12 जनवरी को शाम 8 से 9 बजे के बीच परीक्षक की मृत्यु हो गई। 12 जुलाई की शाम लगभग 9 बजे 'ए' द्वारा सुरक्षा दी गई थी। जिस प्रश्न पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख को छह महीने के भीतर शामिल किया जाना था

जिसे, 'ए' को प्रतिभूति देनी थी, या बाहर रखा जाना था। यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिन को शामिल किया जाता है, तो 'ए' द्वारा दी गई सुरक्षा छह महीने की अवधि से अधिक होगी और वह

वसीयत, जबकि, यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख को बाहर रखा गया था, तो 'ए' वसीयत का हकदार होगा क्योंकि उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति छह महीने की अवधि के भीतर होगी। विद्वान न्यायाधीश द्वारा चर्चा के प्रासंगिक भाग पर ध्यान देना लाभदायक होगा:

7 (1808) 15 वेस।

248 ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

" इस विषय पर कोई सामान्य नियम निर्धारित करना आवश्यक नहीं है: लेकिन तकनीकी तर्क पर मुझे लगता है कि यह बनाए रखना अधिक आसान होगा, कि किसी कार्य के दिन, या कोई घटना हो रही है,

सभी मामलों में इसे बाहर रखा जाना चाहिए, इसके अलावा इसे सभी मामलों में शामिल किया जाना चाहिए। हमारा कानून एक दिन के अंशों को आम तौर पर अस्वीकार करता है

नागरिक कानून करता है। (नोट देखें, 14 वेस। 554, जहाँ इसे दिवालिया घोषित किया जाता है।) प्रभाव यह है कि दिन को एक प्रकार का अविभाज्य बिंदु बनाया जाए; ताकि इसके दायरे में किया गया कोई भी कार्य किसी के लिए, इसके किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में अधिक संदर्भित न हो; बल्कि कार्य और दिन।

वे सह-व्यापक हैं; और इसलिए अधिनियम को ठीक से पारित नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि दिन बीत न जाए। इस तर्क को लॉर्ड रॉसलिन और लॉर्ड थर्लो ने मर्सर बनाम के उल्लेख से पहले मामले में अपनाया था। ओगिल्वी। जिस आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सत्र न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई थी, वह सत्र न्यायालय के निर्णयों के शब्दकोश के चौथे खंड में सही ढंग से कहा गया है। वर्तमान मामले में तकनीकी नियम हमें वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय उसकी मृत्यु के समय पर विचार करने से मना करता है; क्योंकि यह एक दिन का एक अंश होगा। इसलिए मृत्यु का दिन मृत्यु का समय होना चाहिए; और वह समय बीत चुका होना चाहिए, इससे पहले कि छह महीने चलना शुरू हो सकें। वादी की ओर से तर्क दिया गया नियम, घटना को एक दिन में वापस फेंकने का प्रभाव रखता है, जिस पर ऐसा नहीं हुआ; वसीयतकर्ता को 12 जनवरी के बजाय 11 तारीख को मृत मानते हुए; क्योंकि यह कहा जाता है, पूरे 12 तारीख की गणना उसकी मृत्यु के बाद के दिनों में से एक के रूप में की जानी है। ऐसा लगता है कि

वास्तविक क्षण या पूरे दिन को उनकी मृत्यु के समय के रूप में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है; और पिछले दिन से गणना शुरू नहीं करना है।

लेकिन किसी भी सामान्य नियम को निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। इसे जिस भी तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए, ऐसे मामले सामने आएंगे, जिनके कारण के लिए अपवाद किए जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ बात का कारण यह है कि श्रीमती पॉइंटर को दिए गए छह महीने की अवधि से उस दिन को हटा दिया जाए, ताकि वह अपने द्वारा किए जाने वाले चयन पर विचार-विमर्श कर सकें और कुल मिलाकर मेरी राय है कि उन्होंने छह महीने की समाप्ति से पहले सुरक्षा में प्रवेश कर लिया है, इसलिए उस शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय में, जिस पर उनके बच्चों को लेना था।

(जोर दिया गया)

46. रे में। रेलवे स्लीपर्स सप्लाई कंपनी, कंपनी की एक असाधारण आम बैठक ने 25.02.1885 पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया, जिसके लिए

कंपनी की पूँजी में कमी। 11.03.1885 पर, 25.02.1885 पर पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। पूंजी में प्रस्तावित कमी के लिए अदालत की मंजूरी की मांग करने वाली एक याचिका पर, सवाल यह उत्पन्न हुआ कि क्या कंपनी अधिनियम, 1862 की धारा 51 का अनुपालन किया गया था। उक्त प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, बाद की आम सभा की बैठक में प्रस्ताव की पुष्टि की आवश्यकता थी जो कम से कम चौदह दिनों के अंतराल पर आयोजित की गई थी और उस बैठक की तारीख से एक महीने से अधिक नहीं थी जिस पर प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था।

47. चिट्टी जे. ने अपनी राय में लेस्टर बनाम का उल्लेख किया। माला (ऊपर) और आयोजित, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार:

" ..... लॉर्ड मैन्सफील्ड ने पुघ बनाम में अपने प्रसिद्ध निर्णय में। ड्यूक ऑफ लीड्स का कहना है, "तारीख का मतलब घंटा या मिनट नहीं है, बल्कि प्रसव का दिन है, और कानून में दिन का कोई अंश नहीं है।" वसीयतकर्ता की मृत्यु का दिन, जो यहाँ पहली बैठक के दिन के बराबर है, सर विलियम ग्रांट द्वारा नहीं गिना गया था।

लेस्टर बनाम में अपने प्रसिद्ध निर्णय में। माला, जहाँ वसीयतकर्ता की मृत्यु के छह महीने के भीतर एक बंधन दिया जाना था। 51 वें खंड में कहा गया है कि बाद की या दूसरी बैठक "कम से कम चौदह दिनों या उससे अधिक के अंतराल पर" आयोजित की जानी है।

महीना "। "एट" शब्द का अर्थ है अंतराल के बाद, या अंतराल के बाद किसी समय, खंड के दूसरे भाग द्वारा निर्धारित। "एट" शब्द व्याकरणिक रूप से समय के एक बिंदु को संदर्भित करता है।

अवधि।

..... "चौदह दिनों से कम के अंतराल" को विचार-विमर्श के लिए उचित समय देने, और अनुचित जल्दबाजी या आश्चर्य को रोकने के लिए, और उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को वहन करने की अनुमति दी गई थी। पहली बैठक में, और उन लोगों के लिए भी जो उचित नहीं समझते हैं या इसमें भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, चिंतन और विचार के लिए समय, और व्यवस्था करने के लिए कि वे दूसरे में भाग लेने में सक्षम हों।

‘ ..... चौदह दिनों से कम का अंतराल इसके बराबर है -

यह कहते हुए कि चौदह दिन हस्तक्षेप करना चाहिए या बीच में बीत जाना चाहिए

दो तारीखें "।

" ..... इसका मतलब है चौदह स्पष्ट दिन; और जैसा कि लिटलडेल, जे. ने रेग में कहा था। वी. श्रॉपशायर के न्यायाधीशों, मैं उनके बीच कोई अंतर नहीं देखता।

8 (1885) 29 Chdf.d। 204 भारत और ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

" चौदह दिन "और" कम से कम चौदह दिन "। इसलिए मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि संकल्प खराब है। समय की गणना के उचित तरीके के बारे में सवाल की तुलना में शायद किसी भी सवाल ने पूर्व समय में न्यायाधीशों के दिमाग का अधिक प्रयोग नहीं किया है। प्रभु।पुघ बनाम में मैन्सफील्ड का निर्णय। डचूक ऑफ लीड्स एंड लॉर्ड

चैम्बर्स बनाम के मामले में वेन्सलीडेल का निर्णय। स्मिथ, जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, इस बात के उत्कृष्ट उदाहरण हैं कि

मैंने कहा है। ... .

48. 1895 में, एक मामला। , रे में। उत्तर 'का उदय 1890 के दिवालियापन के तहत हुआ था। सवाल यह था कि क्या दिवालियापन का कार्य किया गया थाइस तथ्य के कारण कि एक निष्पादन द्वारा की गई कार्रवाई पर, और ऋणी के माल की जब्ती और बाद में बिक्री के बाद, जैसा कि अदालत द्वारा अनुमति दी गई थी, शेरिफ ने 21 दिनों की माल अवधि रखी थी। लॉर्ड एशर एम. आर., का उल्लेख करने के बाद

आर वी। माला (ऊपर), इस प्रकार है:

पूरे विषय की एक सीखी हुई परीक्षा के बाद, जो मैं एक संपूर्ण दृष्टिकोण मानता हूं वह निर्धारित किया कि कोई सामान्य नियम नहीं है मौजूद है। .....

" ..... वह कानून जिसका हमें इस उद्देश्य के लिए अर्थ निकालना है -

यह तय करना कि इसमें उल्लिखित अवधि की गणना कैसे की जानी है, एक दिवालियापन अधिनियम है, और दिवालियापन का एक नया अधिनियम लागू करता है, जिसका आयोग की गणना द्वारा निर्धारित किया जाना है

समय।

अगर हम एस का अर्थ लगाते हैं। 1 1890 के अधिनियम के शब्दों के सामान्य अंग्रेजी अर्थ के अनुसार, यह कुछ परिणामों को लागू करता है

यदि शेरिफ एक निष्पादन के तहत उसके द्वारा जब्त किए गए सामान को बीस-एक दिन के लिए रखता है: दिवालियापन का एक कार्य किया जाता है यदि वह उन्हें उस समय के लिए रखता है। इन शब्दों का सामान्य अर्थ यह है कि उन्हें 21 दिनों के लिए पकड़ना चाहिए; लेकिन हमें बताया जाता है कि निर्माण के एक तकनीकी नियम के तहत खंड संतुष्ट होता है यदि वह उन्हें 20 दिनों और एक दिन के एक हिस्से के लिए पकड़ता है। कौन सा सही है?

" "

" ..... यहाँ परिणाम एक आदमी को दिवालिया बनाना हो सकता है, जो उसके लिए लाभप्रद नहीं है, और न ही जरूरी है कि उसके पूरे लेनदारों के लिए। दिवालियापन कानून सार्वजनिक सामाजिक नीति का एक कानून है, और इसमें प्रभावित करता है

एक बहुत ही हानिकारक तरीके से उन लोगों की स्थिति जिन्हें इसके संचालन के तहत लाया जाता है; पुराने समय में, वास्तव में, एक आदमी को दिवालिया बनाना उसे अपराधी बनाना था।

99

दिवालियापन कानून का सृजन है, और दिवालियापन कानूनों की एक लंबी श्रृंखला के तहत समय की गणना करने के लिए समान अभ्यास है।

अभ्यास एक पूरी तरह से प्रसिद्ध है, दिवालियापन में नियम पहले दिन या एक दिन के हिस्से को बाहर करना है, और पहले पूरे दिन समय की गणना शुरू करना है। " ..... फिर से, निर्माण का नियम है कि यदि कोई क़ानून, जो किसी व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करता है, प्रभावी रूप से एक दंडात्मक अधिनियम के रूप में, दो निर्माण करने में सक्षम है, तो उस एक को अपनाया जाना चाहिए जो प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। इस नियम को लागू करते हुए, 21 दिनों की गणना करने का तरीका ऋणी के पक्ष में कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसे दिवालिया होने से रोक सके, और हमें इस धारा का अर्थ यह समझना चाहिए कि पहले दिन या दिन के एक हिस्से को गणना से बाहर रखा जाना चाहिए, जो जब्ती की तारीख के बाद के दिन से शुरू होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

49. ए. एल. स्मिथ एल. जे. ने लॉर्ड एशर एम. आर. के साथ सहमति व्यक्त की और आयोजित किया

इस प्रकार है:

“ ..... लेकिन बाद के मामलों से यह पता चला है कि ऐसा नहीं है ऐसा सार्वभौमिक नियम, और प्रत्येक मामले में समय की गणना में

अपनी परिस्थितियों और विषय-वस्तु पर निर्भर होना चाहिए, और

इसके लिए मुझे केवल सर विलियम ग्रांट के फैसले का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

लेस्टर वी। गारलैंड, इसाक बनाम में केली सी. बी. के लिए। शाही।

रेलवे स्लीपर्स सप्लाई में बीमा कंपनी और चिट्टी जे.

को. इसलिए, यह कहना कि कानून का एक नियम हमें यह कहने के लिए मजबूर करता है किबीस दिनों के लिए माल रखें और एक दिन का एक अंश समान है

उन्हें बीस-एक दिन तक रोके रखने का अर्थ है वह कहना जो तथ्य नहीं है।

50. रिग्बी एल. जे. ने भी लॉर्ड एशर एम. आर. के साथ सहमति व्यक्त की और अपने विचार में कहा कि अन्य बातों के साथ-साथ:

भारत और ओ. आर. एस. का निऑन। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस दिन के उस हिस्से की गणना करने के लिए बाध्य था जिस दिन अधिनियम था ऐसा किया मानो यह एक पूरा दिन था, और इसे पहले के रूप में माना जाता है

अवधि का दिन। उस सिद्धांत की गहन जाँच की गई

लेस्टर वी। गारलैंड, सर डब्ल्यू. ग्रांट के हाथों, जिन्होंने विचार किया

और इस निष्कर्ष पर पहुंचे (जो मुझे लगता है कि अपरिहार्य था) कि इस विषय पर कोई सामान्य नियम नहीं था। .....

" ..... मामलों के उनके वर्गीकरण से पता चलता है कि गणना कहाँ की गई है।

एक व्यक्ति के पक्ष में है, निर्माण को अपनाया जाना चाहिए जोउसके लिए अधिक अनुकूल है। उदाहरण के लिए, एक शेरिफ के मामले में, यह

जिस दिन कार्य किया जाता है उस दिन को शामिल करना उसके पक्ष में है।

एक शीर्षक को पूरा करने के लिए, पहले दिन को बाहर रखा जाता है, अन्यथा वहाँ होगा कार्य करने के लिए अनुमत समय में कटौती करें। मुझमें

राय, हालांकि सर डब्ल्यू. ग्रांट ने इस प्रस्ताव को इस तरह नहीं रखाकई शब्दों में, उनका निर्णय हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि

सवाल यह है कि क्या जिस दिन कार्य किया जाता है वह दिन होना है

शामिल या बहिष्कृत करना इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि क्या यह लाभ के लिए है

या मुख्य रूप से रुचि रखने वाले व्यक्ति का नुकसान। लेकिन क्या

या नहीं प्रस्ताव को इतना ऊँचा रखा जाना चाहिए, हमारे पास यहाँ एक क़ानून है

जो यह नहीं कहता कि कब्ज़ा करने के लिए 21 दिन हैं; और यह केवल उन मामलों के लिए है जहां एक टर्मिनस का उल्लेख किया गया है कि ऐसा कोई भी

सामान्य नियम हमेशा लागू करने के लिए आयोजित किया गया था। वर्तमान एक दुर्ग हैमामला; कोई टर्मिनस का उल्लेख नहीं है, और एकमात्र सवाल यह है कि क्या

शेरिफ को बीस-एक दिन तक रखा गया। ..... "

(जोर दिया गया)

51. 05.05.1922 पर, फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट में एक अधिसूचना द्वारा

असाधारण, शुक्रवार को प्रकाशित, परिशिष्ट के तहत शुल्क की तालिका

मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में पुराने नियम थे

क्रमिक संख्या 1 के तहत लगाए गए Rs.30/- के एक निश्चित शुल्क के बजाय,

यह प्रावधान किया गया था कि Rs.150/- उन सभी मुकदमों में लगाया जाना था जहां

विषय वस्तु का संकेत अन्य बातों के साथ-साथ Rs.10,000/- से अधिक नहीं है। द.

अधिसूचना में आगे कहा गया कि संशोधन फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होने वाले थे।

राजपत्र [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

असाधारण 05.05.1922 पर लगभग 05.00 शाम को उच्च न्यायालय पहुंचा। इस विवाद को हल करने के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था कि क्या शुल्क का संशोधित पैमाना 5 मई से लागू होना था या 5 मई को छोड़कर। तीन विद्वान न्यायाधीश, पुनः: अदालत

शुल्क 1010 तीन अलग-अलग निर्णयों के लेखक के लिए आगे बढ़े। बहुमत का विचार मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति वी. एम. कॉट्स ट्रॉटर के फैसलों में निहित है। अपने निर्णयों में, उन्होंने यह विचार रखा कि शुल्क का संशोधित पैमाना, हालांकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, शुल्क के पहले के पैमाने से वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, उन मुकदमों के संबंध में भी लागू होना था जो 05.05.1922 पर अधिसूचना के समय से पहले स्थापित किए गए थे। में विद्वान मुख्य न्यायाधीश के निर्णय पर निम्नलिखित चर्चा की गई है:

कराधान लागू करने वाले सभी कानूनों में, किसी भी वास्तविक अस्पष्टता का निर्णय लिया जाना चाहिए विषय के पक्ष में और वयस्क के खिलाफ। मेरा मानना है कि

जिस दिन राजपत्र वास्तव में प्रकाशित किया गया था वह एक घंटा है

पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण पर ऐसा नहीं होता है

कोई भी फर्क करें। अगर राजपत्र जल्दी प्रकाशित हुआ होता

कुमारस्वामी शास्त्री, जे. के दृष्टिकोण के अनुसार, सुबह,

कर अगले दिन ही लागू होगा। अगर ऐसा होता

कॉट्स-ट्रॉटर के दृष्टिकोण के अनुसार, देर रात प्रकाशित,

जे., कर कार्यालय के समय से ही चालू रहेगा।

खोला गया।

उस दिन पट्टों की प्राप्ति के लिए। मैं सहमत हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं हैजहाँ तक हो सके अंग्रेजी सामान्य कानून के साथ संबंध रखने के लिए

उचित अर्थ के बारे में कुछ मार्गदर्शन दें जिससे जुड़ा जाए

अंग्रेजी भाषा में शब्द।

3. ..... इस मामले में ऊपर बताए गए सामान्य नियमों को लागू करते हुए,

नामित तिथि को तब तक शामिल किया जाना चाहिए जब तक कि कोई वैध कारण न हो

लोगों को जितना वे समझते हैं उससे अधिक भुगतान करने का प्रभाव है जब उन्होंने अपना मुकदमा दायर किया तो उन्हें भुगतान करना पड़ा; लेकिन मुझे ऐसा लगता है

इस कर को लागू करने के तरीके की आलोचना करने के लिए आधार किसी विशेष तरीके से सूचना की व्याख्या करने के लिए आधार; और मैं

सोचिए कि यह तर्क तथ्य द्वारा असंतुलित से अधिक है

कि यह अचानक एक कर का अधिरोपण था जो कई मामलों में

इससे बचा जा सकता था यदि मुकदमों के लिए समय पर इसका नोटिस दिया गया था

प्रकाशन के समय और इसके वास्तव में आने के बीच दायर किया गया

संचालन में। ... ."

(जोर दिया गया)

49 एयर 1924 मद्रास 257 ऑन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

52. वी. एम. कॉट्स ट्रॉटर जे. के निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश निम्नानुसार हैं:

" 6. ..... तय किए गए मामलों से मुझे जो पता चलता है वह यह है: कि सामान्य रूप से कानून एक दिन के अंशों की उपेक्षा करता हैउस पूरे दिन को या तो बाहर करना चाहिए या शामिल करना चाहिए जिसके साथ कोई दिया गया क़ानून या नियम या विनियमन संबंधित है। और बहिष्करण या

जिनसे या जिनसे और जिनके बाद चीजों की नई स्थिति शुरू होती है। ऐसे मामलों में क़ानून या नियम का संबंध केवल कानून की एक नई स्थिति की समाप्ति को तय करने से है, जिसे अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए अधिनियमित किया गया है, दूसरे शब्दों में, जब तक कि विधायिका के एक नए अधिनियम द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, जहां संक्षेप में, आपके पास एक समाप्ति है लेकिन नहीं।

किन परिस्थितियों में...

जहां कोई क़ानून केवल उन चीजों की स्थिति का अंत तय करता है जो अनिश्चित काल तक चलने की परिकल्पना की गई है, सामान्य कानून नियम यह प्राप्त करता है कि आपको एक दिन के अंशों की उपेक्षा करनी चाहिए और क़ानून या विनियमन या आदेश उस दिन के पहले क्षण से प्रभावी होता है जिस दिन इसे अधिनियमित या पारित किया जाता है, यानी उस दिन की आधी रात से, जिस दिन इसे घोषित किया जाता है। जहाँ, दूसरी ओर, एक क़ानून एक टर्मिनस ए क्वो और एक टर्मिनस एड क्वेम दोनों द्वारा चिह्नित अवधि का परिसीमन करता है, वहाँ पहले वाले को बाहर रखा जाना है और बाद वाले को गणना में शामिल किया जाना है। यह

अधिसूचना स्पष्ट रूप से पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसे 5 मई के पहले दिन यानी 4 मई की मध्यरात्रि से लागू माना जाना चाहिए। यह इस प्रकार है कि 5 मई को दायर किए गए आवेदन पत्र द्वारा निर्धारित बढ़े हुए शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं।विनियमन।

7. हमें संबोधित तर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा

5 मई को वाद दायर करने वालों की ओर से इस बात पर आधारित था कि अगर हमारा निर्णय क्राउन के पक्ष में होना चाहिए तो उन्हें जो कठिनाई का सामना करना पड़ा। बढ़े हुए कराधान हमेशा एक

मुझे लगता है कि विषय के लिए एक कठिनाई है, लेकिन मैं इन विशेष वादियों पर कोई विशेष कठिनाई नहीं देख सकता। अगर सूट जो

उनकी राय में वे संस्थान शुल्क की बढ़ी हुई दर से होने वाले खर्च के लायक नहीं हैं, वे निस्संदेह [2020] 14 एस. सी. आर. होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुमति है? उन्हें वापस लें-उस दर पर मूल्यांकन किया गया एक मुकदमा

व्यक्ति जो इसे स्थापित करता है, बहुत ठोस पर आधारित होने की संभावना नहीं हैकार्रवाई का कारण। ..... "

(जोर दिया गया)

53. हालांकि, सी. वी. कुमारस्वामी शास्त्री, जे. ने असहमति जताई। विद्वान।

ई ने लेस्टर वी को भी संदर्भित किया। माला (ऊपर) और रे में। उत्तर (ऊपर)

एल्ड इस प्रकार है:

" 21. पिछले मामलों में निर्धारित कानून को लागू करना वर्तमान मामले के तथ्य, हमें यह देखना होगा कि क्या 5 मई,

1922 , शामिल या बहिष्कृत किया जाना है। हो सकता है इस संबंध में,

यह निर्धारित करना कि प्रकाशन की तारीख को शामिल किया जाना है या नहीं बहिष्कृत। मुझे नहीं लगता कि उच्च न्यायालय कर संग्रह का हिस्सा है

सरकार की मशीनरी या इसके साथ कोई संबंध है

सरकार पर उनके निर्णय के परिणाम नियम का निर्माण। नियम, मैं इसे लेता हूँ, द्वारा पारित किया गया था

सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन्हें न्याय के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए और शुल्क थे

यह इसलिए उठाया गया क्योंकि न्यायाधीशों की राय में यह न्यायसंगत और उचित था

कि वादियों को प्राप्त होने वाले लाभों के लिए अधिक भुगतान करना चाहिए

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर। अधिसूचना

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा,

प्रकाशन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता कोध्यान दें कि शुल्क बढ़ाया जा रहा था ताकि वे जान सकें

न्याय के लिए अदालत। अधिसूचना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, (के रूप में) उप-पंजीयक के एक नोट से प्रकट होता है)

उच्च न्यायालय शाम 5 बजे, कार्यालय शाम 5 बजे बंद हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है

कि वे वादी जिन्होंने उनके या यहां तक कि कार्यालय के समक्ष वाद दायर किए थे

नियम के प्रकाशन का ज्ञान था जो पूरी तरह से किया गया था पुराने नियमों के तहत वैध और उन्होंने रुपये के साथ प्लेन्ट प्रस्तुत किए।

30 उनके दावे के मूल्य की परवाह किए बिना मुहर लगाएँ। एक व्यक्ति जो

एक शिकायत दर्ज करता है जिस पर ठीक से मुहर लगाई गई है और जो क्रम में है

प्रस्तुतिकरण का समय अपनी शिकायत को स्वीकार करने का हकदार है यद्यपि कार्यालय को सुविधा के रूप में प्रस्तुति प्राप्त होती है

प्लेनट्स और उन्हें दिन के अंत में या बाद में स्वीकार करते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

मुझे लगता है कि निर्देशन में बहुत कम न्याय या समानता है।

कि जिन व्यक्तियों ने वह किया है जो पूरी तरह से कानूनी और वैध था

उस समय के कार्य के लिए न्यायालय को एक शुल्क का भुगतान करना चाहिए जो बहुत अधिक है

क्योंकि दिन के अंत में एक अधिसूचना प्राप्त हुई थी

अधिसूचना की तारीख से अधिक शुल्क लिया जाएगा। यह.

यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अगर उन लोगों ने रुपये के बजाय इसे नोटिस किया था। 30

उन्हें कम से कम रा का भुगतान करना पड़ता था। 150 और एक अधिकतम जो सीमा होगी

उनके दावे के मूल्य के अनुसार, उनके पास हो सकता है

दूसरे पक्ष के साथ समझौता किया या अन्य का सहारा लिया हो सकता है उनके दावों के निपटारे के लिए मध्यस्थता जैसी कार्यवाही। मैं ढूँढ सकता हूँ

उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए कुछ भी उचित नहीं है, जिन्होंने उस पर अपनी दलीलें दायर कीं।

जिस दिन अधिसूचना की जानकारी नहीं थी जो केवल तक पहुंची थी

उच्च न्यायालय शाम 5 बजे, पट्टों के संबंध में उच्च शुल्क के साथदिन के दौरान दाखिल किया गया।

22. वर्तमान के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

निर्देश दें कि 5 मई, 1922 को प्राप्त सभी पट्टिकाएंरुपये के साथ मोहर लगी। 30. "

(जोर दिया गया)

कानून के संबंध में स्थिति

निवारक विवरण

54. दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ को यह अवसर मिला था कि

जसबिर सिंह बनाम भारत संघ में बताए गए निर्णय में निम्नलिखित परिस्थितियों में संचालन के समय के प्रश्न पर फिर से विचार करें। बंदी द्वारा आग्रह की गई दलीलों में यह तर्क शामिल था कि हिरासत के आदेश कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) के उल्लंघन के रूप में दूषित किया गया था, हिरासत के

आधार को हिरासत के आदेश के दिन के 6 वें दिन दिया गया था। धारा 3 (3), अन्य बातों के साथ-साथ, किसी व्यक्ति को इन आधारों के बारे में संचार का प्रावधान करती है -

निरोध के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद नहीं और एक असाधारण मामले में और निरोध की तारीख से 15 दिनों के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए। प्रभाग

11 (1995) आई. एल. आर. 2 दिल्ली 399 [2020] 14 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एम. जगन्नाथ राव शामिल थे, ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया।

इन रे: न्यायालय फीस 1212 न्यायालय शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क लेता है और यह विचार रखता है कि "से" शब्द "बाद" शब्द के समान है, और इसलिए, जिस तारीख को निरोध आदेश दिया गया था, उसे बाहर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि विधायिका ने सरकार को कई अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से 5 दिन का समय दिया है।

नजरबंदी के कारण। यह 'जितनी जल्दी हो सके' शब्दों के उपयोग द्वारा निर्देशित होने के अलावा है।

बीमे के अनुबंधों के तहत मामले

55. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राम दयाल और अन्य में बताए गए निर्णय में वाहन का बीमा पहले किया गया था।

ठीक उसी दिन, अर्थात् 28 सितंबर, 1984। बीमाकर्ता ने अपने दायित्व को अस्वीकार कर दिया क्योंकि दुर्घटना के बाद पॉलिसी ली गई थी। हाईकोर्ट ने लिया फैसला यह विचार कि बीमा पॉलिसी बीमा की तिथि के प्रारंभ से, अर्थात् पिछली आधी रात से चालू हो गई। यह न्यायालय उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत था कि एक बार किसी विशेष दिन पर कोई नीति ली जाती है, तो उसकी प्रभावशीलता दिन की शुरुआत से होती है। इसने बीमाकर्ता को उत्तरदायी पाया। केवल पैराग्राफ 5,6 और 7 पर ध्यान देना आवश्यक है:

" 5. जैसा कि स्ट्राउड के न्यायिक शब्दकोश में बताया गया है, 'तिथि' का अर्थ है वह दिन, जब मोटर कार का अस्थायी बीमा प्रदान नहीं करने वाला कवर शुरू होने की तारीख के 15 दिन बाद समाप्त हो जाता है, तो वह उस दिन के बाद पूरे 15 दिनों तक चलता है जिस दिन उसे देना था।

शुरू करें "।

6. इसी तरह स्ट्राउड में कहा गया है कि "एक विनिमय पत्र, या नोट, उसके चेहरे पर व्यक्त की गई तारीख का होता है, न कि उस समय का जब इसे वास्तव में जारी किया जाता है।"

बीमा लिया जाता है, हाल के फैसले से ध्यान दिया जा सकता है, जो न केवल राम दयाल (ऊपर) बल्कि द्वारा दिए गए फैसले को संदर्भित करता है 12 ए. आई. आर. 1924 मद्रास 257 13 (1990) 2 एस. सी. सी. 680 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

तीन-ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट की गई न्यायाधीश पीठ। पोर्सेल्वी और अन्य 1 4 और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट किया गया एक अन्य निर्णय। सुनीता राठी और अन्य "। हाल के फैसले की सूचना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गीता देवी और अन्य में दी गई है, मैं पैराग्राफ 3 और 4 का उल्लेख कर सकता हूं जो राम दयाल (उपरोक्त) को अलग करने वाले इस न्यायालय के फैसलों का विज्ञापन करते हैं। अंत में यह

न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि एक कवर नोट है जिसमें समय का उल्लेख 04 के रूप में किया गया है: 40 पी. एम. और यह दुर्घटना के बाद जारी किया गया था और इसलिए, बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं था:

" 3. यह प्रश्न फिर से राष्ट्रीय पटल पर विचार के लिए आया।

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम जिकुभाई नाथूजी दाभी; (1997) 1 एस. सी. सी. 66। उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा रखा गया था। हालाँकि, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया कि न्यायाधिकरण

एक तथ्य के रूप में दर्ज किया गया था कि नीति 4 बजे लागू हुई थी: 00 जबकि दुर्घटना 11 बजे हुई थी: 40 ए. एम. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विशेष अनुबंध को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना पहले हुई थी, बीमा कवरेज दावेदार को उससे वसूली की मांग करने में सक्षम नहीं बनाएगा। बीमा कंपनी।

4. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में फिर से सवाल उठा। सुनीता राठी; (1998) 1 एस. सी. सी. 365 पर भरोसा किया गया था। इस अदालत ने राम दयाल मामले को अलग किया; (1990) 2 एस. सी. सी. 680 पर भरोसा किया गया था। इस न्यायालय ने पॉलिसी की प्रभावी तिथि और समय को निर्धारित किया कि दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

57. कानून की विभिन्न शाखाओं को शामिल करने वाले कुछ निर्णयों का संदर्भ देने के बाद, जिस प्रश्न का समाधान किया जाना है, वह ध्यान में आता है।

यह स्पष्ट है कि हमारे सामने जो स्थिति प्रस्तुत की गई है, वह उस सिद्धांत के दायरे में नहीं आती है जो सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 9 में अंतर्निहित है। दूसरे शब्दों में, अधिसूचना की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रत्यायोजित कानून का एक रूप है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं के आयात शुल्क की दर में वृद्धि की है, हालांकि अधिसूचना 16.02.2018 पर 20 पर राजपत्रित है: 46: 58 घंटे। , ऐसी कोई अवधि नहीं है जिसके लिए यह पहले से ही देखा गया है, और उस अर्थ में, यह

यह तर्क दिया जा सकता है कि जिस तारीख को इसे जारी किया गया था, उसे हटाने का कोई अवसर नहीं होगा।

सामान्य की धारा 5 (3)

क्या अधिनियम अधिसूचना को लागू करता है?

" 5 (3) जब तक इसके विपरीत व्यक्त नहीं किया जाता है, तब तक एक केंद्रीय अधिनियम या विनियमन को तुरंत लागू होने के रूप में माना जाएगा इसके प्रारंभ से पहले के दिन की समाप्ति।

59. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि धारा 5 (3) के संदर्भ में, सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना पिछले दिन की समाप्ति से प्रभावी होगी। कहने का मतलब है, यह 15.2.2019 की आधी रात से पहले टिक से काम करेगा। इस तर्क को समझने के लिए, हमें सामान्य खंड अधिनियम में 'केंद्रीय अधिनियम' और 'विनियमन' शब्द की परिभाषा पर विचार करना चाहिए। धारा 3 (7) केंद्रीय अधिनियम को परिभाषित करती है। वह इस प्रकार है:

" (7) " केंद्रीय अधिनियम का अर्थ होगा संसद का एक अधिनियम और

शामिल करें(क) डोमिनियन विधायिका या भारतीय विधानमंडल का एक अधिनियम

संविधान के प्रारंभ से पहले पारित किया गया, और

((ख) परिषद के गवर्नर जनरल या विधानमंडल में कार्य करने वाले गवर्नर जनरल द्वारा इस तरह के प्रारंभ से पहले बनाया गया एक अधिनियम।क्षमता; "

60. धारा 3 (50) 'विनियमन' को परिभाषित करती है। वह इस प्रकार है:

" 3 (50) " विनियमन का अर्थ होगा संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियमन और इसमें राष्ट्रपति द्वारा उसके अनुच्छेद 243 के तहत बनाया गया विनियमन और भारत सरकार अधिनियम, 1870 या भारत सरकार अधिनियम, 1915 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया विनियमन शामिल होगा।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 "

ऐसा नहीं जो केंद्रीय विधानमंडल, अर्थात् संसद द्वारा बनाया गया हो। इसलिए यह अधिनियम में परिभाषित केंद्रीय कानून नहीं है। हमारे पास भी 'विनियमन' शब्द की परिभाषा पर ध्यान दिया। अधिसूचना सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित एक विनियमन नहीं है। भारत और ओ. आर. एस. संघ में कोई योग्यता नहीं है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

भारत संघ का तर्क है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 5 (3) के आधार पर, अधिसूचना को फरवरी, 2019 को आधी रात के तुरंत बाद से प्रभावी माना जाना चाहिए।

तीन संभावित दृश्य

62. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 और अधिसूचना के प्रावधानों के संदर्भ में 'दिन' शब्द का अर्थ क्या है, इन प्रश्नों के तीन संभावित उत्तर हैं।

1. "दिन" को देखने का पहला तरीका यह होगा कि इसे दिन के एक अंश के रूप में लिया जाए। , 16.02.2019 , इसकी शुरुआत 20 से होती है: 46: 58

2. इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि यह 16.02.2019 की आधी रात के बाद ही काम करेगा, और 17.02.2019 पर प्रस्तुत प्रविष्टियों के बिलों को प्रभावित करेगा। दूसरे शब्दों में, यह एक होगाव्याख्या जिसमें 16 फरवरी, 2019 को शामिल नहीं किया जाएगा।

3. इसे देखने के लिए तीसरा दिन इस प्रकार होगा-"16.02.2019, का अर्थ होगा 15.02.2019 पर आधी रात के तुरंत बाद शुरू होने वाला दिन, और इसलिए, यह 15.02.2019 की आधी रात से शुरू होने वाले पूरे 24 घंटे होंगे और इसमें उस दिन की अवधि शामिल होगी जिसके दौरान उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया था।

प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया था "।

63. सवाल निश्चित रूप से कठिनाई से मुक्त नहीं है। लेकिन इसका समाधान खोजना होगा। एक ओर, हम एक अधिसूचना के साथ काम कर रहे हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी ने शुल्क की दर को बढ़ाने का इरादा किया है

200 प्रतिशत की भारी मात्रा, पुलवामामे भेल घटनाक बाद। क्या उस माल के आयातक पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पूरे दिन को शामिल करना उचित और उचित होगा, जिसने शुल्क की दर के आधार पर सौदा किया होगा जो अधिसूचना से पहले थी? क्या यह नहीं कहा जा सकता था कि आयात के अनुबंधों के आधार पर, आयातक ने भारत में वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुबंध किए होंगे, जहां आयात के लिए अनुबंध की तारीख पर प्राप्त स्थिति के संदर्भ में कीमत तय की जाएगी।

64. दूसरी ओर, हमें जो निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, वह उस समय का सवाल है जब प्रत्यायोजित कानून प्रभावी होगा। यह है।यह सच है कि कर के बारे में कोई इक्विटी नहीं है। यह तथ्य कि कर की दर में अचानक वृद्धि हुई है, इसे इस आधार पर कमजोर नहीं बना सकता है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। [इस संबंध में, पंकज जैन बनाम यू. ओ. आई. (ऊपर)] में इस न्यायालय का निर्णय देखें।

इस प्रश्न का निर्णय करें कि प्रत्यायोजित विधान को किस समय से संचालित होना चाहिए। 66. एक अन्य पहलू जिस पर अधिक गौर नहीं किया जा सका, वह यह है कि यह सच है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 में, जिसका उल्लेख किया गया है वह है -

उस तारीख को लागू शुल्क की दर, कानून स्वयं आयातक को 2018 के विनियमों के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रविष्टि बिल की उचित प्रस्तुति के बाद, शुल्क के भुगतान पर माल को मंजूरी देने का अधिकार देता है, जिसे स्व-मूल्यांकन कार्यवाही में सही माना जाता है। प्रभार अनुभाग के अधिदेश के साथ संयोजन मेंसीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 और धारा 15 में निहित, जो शुल्क की दर के अनुसार प्रविष्टियों के बिल की प्रस्तुति की तारीख निर्धारित करती है, क्या यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कानून उन लेनदेनों को फिर से खोलने का तिरस्कार करेगा जो कार्यवाही में समाप्त हो गए हैं जो अन्यथा त्रुटिहीन रूप से सही और नियमित हैं। पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से क्या कानून की नजर में निष्कर्ष निकाले गए मामलों को एक अधिसूचना के आधार पर फिर से देखा जा सकता है जो दिन में बहुत बाद में आती है? एक अन्य पहलू भी है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे सामने सवाल अधिसूचना के आधार पर उठता है जो वास्तव में प्रत्यायोजित विधान का एक रूप है

67. हम तुरंत जवाबी तर्क को देख सकते हैं। पूरे दिन के लिए अधिसूचना के लिए पूर्ण खेल सुनिश्चित करके जिस दिन यह था जारी किए गए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दृष्टि में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों का विधिवत सम्मान किया जाता है। यह उनका तर्क है कि किसी भी अन्य दृष्टिकोण में धारा 15 का पुनर्लेखन शामिल होगा, क्योंकि धारा 15 में शुल्क की दर को दिन के लिए शुल्क की दर माना गया है। एक निश्चित समय पर शुल्क की दो दरें नहीं हो सकती हैं। यदि शुल्क की दर, अधिसूचना की उचित व्याख्या पर क्षेत्र को बिल्कुल भी बनाए रखेगी

पूरे 16.02.2019 के दौरान जिस समय उत्तरदाताओं ने शुल्क की प्रचलित दरों के अनुरूप प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए होंगे, जो अन्यथा लागू होते, यह अधिसूचना जैसे साधन के बल पर पुनर्मूल्यांकन करने की प्राधिकरण की शक्ति से विमुख नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो तार्किक और निर्विवाद रूप से होगा, वह यह है कि भारत और ओ. आर. एस. के संघ पर पूरे दिन के दौरान शुल्क की दर लागू होती है।

वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

16.02.2019 केवल शुल्क की बढ़ी हुई दर थी। इसलिए यह शुल्क की सही दर थी जिस पर आयातकों को शुल्क का भुगतान करना था। प्रत्यर्थियों से सही कर्तव्य के पुनर्मूल्यांकन और वसूली को सक्षम करने वाली शक्ति का सहारा लेने में कोई अवैधता शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में, वहाँ

68. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जो सिद्धांत समय के साथ विकसित हुआ प्रतीत होता है, वह यह है कि आम तौर पर, कानून इस पर नाराज़ होता है। इसके अंशों के संदर्भ में एक दिन का निर्धारण करना। निस्संदेह, केंद्रीय अधिनियम या विनियमन के मामले में, यह सिद्धांत धारा 5 (3) में सांविधिक रूप से शामिल किया गया है, कि जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक यह अपने

पिछली आधी रात के आघात से पहले समय से क़ानून पुस्तक में यात्रा। धारा 5 (3) उस अधिसूचना पर लागू नहीं होती है जो प्रत्यायोजित विधान का एक रूप है, जैसा कि यहाँ पहले पाया गया है।

69. यदि भारत संघ के विवाद को स्वीकार किया जाता है, हालांकि

अधिसूचना देर शाम जारी की जाती है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 में संदर्भित 'दिन' 15.02.2019 की आधी रात के पहले क्षण से शुरू होगा। इसके बिल्कुल विपरीत विकल्प यह होगा कि जिस पूरे दिन अधिसूचना जारी की गई थी, उसे हटा दिया जाए और तीसरा विकल्प यह होगा कि जिस दिन अधिसूचना जारी की गई थी, उसके बाद दिन के शेष घंटे 16.02.2019 शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में, तीसरे विकल्प के तहत, अधिसूचना के संचालन का समय 20 था: 46: 58 घंटे। और 16.02.2019 की आधी रात तक जारी रहा। यह वास्तव में एक साधारण दिन का एक अंश या हिस्सा होगा जिसमें चौबीस घंटे होते हैं।

70. यदि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह उस समय से लागू होगा जब

यदि अधिसूचना 10.00 पूर्वाह्न 16.02.2019 पर जारी की गई होती और प्रवेश पत्र 10.00 पूर्वाह्न के बाद प्रस्तुत किए गए होते, तो उनका जवाब होता कि आयातकों को अधिसूचना के तहत शुल्क की उच्च दर का भुगतान करना पड़ता। अत: उनका तर्क यह प्रतीत होता है किअधिसूचना उस दिन के समय के संदर्भ में लागू होनी चाहिए जब अधिसूचना जारी की गई थी।

71. यह सिद्धांत कि दिन के अंशों को विचार से अलग रखा जाता है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जो कोई अपवाद नहीं जानता है।

72. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 48 इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

[2020] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 48. हस्तांतरण द्वारा सृजित अधिकारों की प्राथमिकता। जहाँ एक व्यक्ति

एक ही अचल संपत्ति में या उस पर अलग-अलग समय पर हस्तांतरण द्वारा अधिकार बनाने का तात्पर्य है, और ऐसे सभी अधिकार मौजूद नहीं हो सकते हैं या एक साथ अपनी पूरी सीमा तक प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, बाद में बनाए गए प्रत्येक अधिकार, पहले के हस्तांतरणकर्ताओं को बाध्य करने वाले विशेष अनुबंध या आरक्षण के अभाव में, पहले बनाए गए अधिकारों के अधीन होंगे।

73. एक पूछताछ में, शीर्षक की प्राथमिकता के रूप में, दिन के अंश, निस्संदेह, प्रासंगिकता ग्रहण करेंगे। वास्तव में, सही समय जिस पर ए

दस्तावेज़ पंजीकृत है, प्राथमिकता के प्रश्न का निर्धारण करेगा, और

नतीजतन, संबंधित संपत्ति के लिए स्वयं स्वामित्व और इस संबंध में साक्षय प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों के लिए यह खुला है।

74. पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 47 इस प्रकार है:

" 47. वह समय जब से पंजीकृत दस्तावेज़ संचालित होता है। - ए.पंजीकृत दस्तावेज़ उस समय से काम करेगा जब उसने काम करना शुरू कर दिया होता यदि उसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती या नहीं किया जाता, न कि उसके पंजीकरण के समय से।

यहाँ फिर से, दिन का समय निर्णायक हो सकता है। बीमा अनुबंधों के संबंध में इस न्यायालय के हाल के निर्णय स्वीकार करते प्रतीत होते हैं।

दिन के समय का महत्व। (इस निर्णय का पैरा 56 देखें)।

75. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 5 (1) इस प्रकार है:

" 5. अधिनियमों के संचालन में आना।

(1) जहां कोई केंद्रीय अधिनियम किसी विशेष दिन लागू होने के लिए व्यक्त नहीं किया जाता है, तो यह उस दिन लागू होगा।

जिसे वह स्वीकृति प्राप्त करता है, (क) प्रारंभ से पहले बनाए गए केंद्रीय अधिनियम के मामले में

संविधान के गवर्नर-जनरल, और(ख) संसद के किसी अधिनियम के मामले में, राष्ट्रपति का।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को प्रत्यायोजित कानून से अलग तरीके से माना जाना चाहिए। एक कानून यदि बनाया जाता है

सीमा शुल्क-शुल्क अधिनियम में शुल्क की दर में परिवर्तन सहित संसद में एक ऐसी प्रक्रिया शामिल होगी जिसमें एक निश्चित स्तर पर प्रचार करते हैं। इस संबंध में, जॉनसन बनाम में बेलहाचे, जे. के शब्द। सार्जेंट एंड संस 1 7; 1917 1 के. बी. 101, दिमाग में आए:

17 1917 1 के. बी. 101 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

" हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि नियम यह है कि एक क़ानून उस दिन के शुरुआती क्षण से प्रभावी होता है जिस दिन इसे पारित किया जाता है या जिस दिन इसे लागू होने की घोषणा की जाती है, क़ानूनों के बारे में एक प्रचार है जो उनके लागू होने से पहले ही है जो कई आदेशों के मामले में अनुपस्थित है जैसे कि हम अब जिन आदेशों के साथ काम कर रहे हैं; वास्तव में, यदि कुछ आदेशों को बिल्कुल भी प्रभावी होना है, तो यह आवश्यक है कि उन्हें तब तक नहीं जाना जाना चाहिए जब तक कि वे वास्तव में प्रकाशित नहीं हो जाते।

संसद में एक प्रक्रिया और समय शामिल है जो इसके विपरीत है।

विशेष रूप से इस प्रकार के प्रत्यायोजित कानून के मामले में क्या होता है, जो इन मामलों में प्रस्तावित किया जाता है, अर्थात्, कार्यपालिका द्वारा जारी एक अधिसूचना।

धारा 8ए के तहत। यह इस आधार पर है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जनता के लिए जाना जाता है और केवल राष्ट्रपति की सहमति पर्याप्त होगी और किसी भी प्रत्यायोजित कानून को जनता द्वारा ज्ञात करने की आवश्यकता होगी।

77. उस समय, जब मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया, तो यह देखा जा सकता है कि भारत का संविधान लागू नहीं था। अधीनस्थ विधान की प्रकृति और अधीनस्थ विधान कब लागू होता है, इसके विश्लेषण पर इस मामले से संपर्क नहीं किया गया है। राज्य कार्रवाई की अवधारणा, इसके निष्पक्ष होने की आवश्यकता को पूरा करती है, जैसा कि अनुच्छेद 14 का जनादेश है, ऐसा नहीं हो सका।संभवतः मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा विचार किया गया है। टैरिफ अधिनियम के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, जैसा कि देखा गया है, इस योजना में एक आयातक के लिए, जो घर के उपभोग के लिए सामान दर्ज करना चाहता है, प्रवेश पत्र दाखिल करने, आत्म-मूल्यांकन करने और उसी दिन शुल्क का भुगतान करने का प्रावधान है। यदि सब कुछ ठीक रहा, जिसका अर्थ है कि स्व-निर्धारण

मौजूदा कानून के अनुसार है, और कर की दर की गणना निर्धारित शुल्क की दर के संदर्भ में की जाती है और शुल्क की राशि [2020] 14 एस. सी. आर. है।

भुगतान किया जाता है, और यदि कोई अन्य राशि का भुगतान किया जाना है, तो उसी का भुगतान भी किया जाता है, अधिनियम की धारा 47 अधिकारी को बाध्य करेगी, जब तक कि, निश्चित रूप से, माल निषिद्ध सामान न हो, माल को साफ करने की अनुमति देने वाला आदेश जारी करने के लिए। हालांकि, धारा 47 के तहत इन मामलों में माल की निकासी के लिए कोई आदेश नहीं है, उक्त आदेश माल की निकासी के लिए एक आयातक द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की परिणति है। एक बार जब स्व-मूल्यांकन सही हो जाता है और धारा 47 की अन्य शर्तें आयातक के खिलाफ नहीं होती हैं, तो माल को भौतिक रूप से साफ़ किया जा सकता है, और "आयातित माल" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, उनका आयात करना बंद कर दिया जाता है। सामान।

78. सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में और उस योजना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आयात शुल्क के मामले में, घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करना, स्व-मूल्यांकन और उसी के आधार पर शुल्क का भुगतान करना शामिल है और दर स्पष्ट रूप से उस विशेष समय के संदर्भ में निर्धारित की जा रही है जब प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है और एक मानित प्रस्तुति और यहां तक कि एक मानित मूल्यांकन भी होता है, जो अन्यथा क्रम में होता है, और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि धारा 8ए पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क की दर में वृद्धि के लिए शक्ति प्रदान नहीं करती है, अधिसूचना को इसके प्रकाशन से पहले लागू होने के रूप में माना जाना चाहिए जो 20 पर है। 46: 58 घंटे। 16.02.2019 पर। इसका मतलब यह होगा कि अधिसूचना का उपयोग शुल्क की दर को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके आधार पर, वास्तव में, कई घंटे पहले प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया था, स्व-मूल्यांकन किया गया था और इससे भी अधिक, स्व-मूल्यांकन 2018 विनियमों के विनियमन 4 (2) के तहत पूरा किया गया था। पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। प्रकाशन के समय पर आधारित व्याख्या निहित अधिकारों के सम्मान के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एक ही बिंदु पर दो असामान्य दरें

समय की बात

79. इस संबंध में अपीलकर्ताओं के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है। एक बार जब यह पाया जाता है कि प्रकाशन पर अधिसूचना इसके प्रकाशन के समय से प्रभावी होगी, तो उन प्रविष्टियों के बिलों के संबंध में जो 2018 विनियमों की धारा 4 (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अर्थ के भीतर प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे प्रकाशन से पहले, इसके संबंध में शुल्क की दर केवल शुल्क की दर होगी जो 2018 विनियमों के विनियम 4 (2) के तहत मानित प्रस्तुति के समय प्रचलित थी।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. मेसर्स जी. एस. चठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

खंड में "अन्य" शब्द का प्रभाव

17 (4) ग्राहक अधिनियम, 1962

"अन्यथा" शब्द उन स्थितियों का ध्यान रखने में सक्षम हो सकता है जो पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियों में शामिल नहीं हैं। , माल का सत्यापन, परीक्षण, सत्यापन, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह अधिकारी को शुल्क की दर को बदलने के लिए सशक्त करेगा जो प्रवेश पत्र की उचित प्रस्तुति के बाद स्व-मूल्यांकन के समय प्रचलित है। यदि यह अन्यथा है, तो विनियमन के तहत मूल्यांकन के मानित समापन के आधार पर निष्कर्षित मूल्यांकन के मामलों को फिर से खोलने के लिए विभाग खुला रहेगा।4 (2) बिना किसी कानूनी औचित्य के। यह स्पष्ट रूप से अवैध होने की अनुमति नहीं होगी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां निर्धारण पर किसी अन्य आधार पर हमला किया जाता है, सिवाय शुल्क की दर पर जोर देने के जो लागू होती है।

एक साथ मामले के कानून पर विश्वास किया गया

ऐप्पलेंटस ने विदेशी दृष्टिकोण के खिलाफ विद्रोह किया

अपीलार्थी के पक्ष में प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस न्यायालय को राजी करने में अपीलार्थी की सहायता नहीं करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 में सिद्धांत को दोहराया है और यह प्रश्न वास्तव में अधिनियम की धारा 15 (1) (बी) के तहत निर्णय के लिए आता है क्योंकि यह इसके संशोधन से पहले था। धारा 15 (1) (बी), जैसा कि तब था, धारा 68 के तहत गोदाम से हटाए गए माल के मामले में लागू शुल्क की दर पर विचार किया गया थाउस तारीख की दर जिस पर माल को वास्तव में गोदाम से हटा दिया गया था। इस तथ्य के अलावा कि उक्त प्रावधान में संशोधन किया गया है, हम इस मामले में धारा 15 (1) (ए) से संबंधित हैं और क्या

18 1989 (4) एससीसी 21

19 1991 पूरक।

अधिक महत्वपूर्ण है, वास्तविक प्रश्न अधिसूचना का प्रभाव है

धारा 8ए के तहत जारी किया गया और "तिथि" शब्द का क्या महत्व है। धीरज लाल एच. वोहरा बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय में। भारत संघ 20, जहाज 2.3.1989 पर बंदरगाह पर पहुंचा और उसी दिन अंदर की ओर प्रवेश भी दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि जहाज भारतीय क्षेत्रीय जल में 20.2.1989 पर प्रवेश किया था और माल का निर्वहन करने के लिए तैयार था, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 और 31 के साथ पठित धारा 15 (1) के प्रयोजनों के लिए अप्रासंगिक पाया गया। यह निर्णय न्यायालय को इस प्रश्न पर निर्णय लेने में भी सहायता नहीं करता है किनिर्णय के लिए गिर जाता है। D.C.M.Ltd में इस न्यायालय का निर्णय। और एक अन्य बनाम भारत संघ 2 1 में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 (1) (बी) की वैधता को चुनौती दी गई थी। 24.2.1982 पर "भंडारण के लिए प्रवेश पत्र" दाखिल करने के बाद, आयातित वस्तुओं को भंडारित किया गया था। गोदाम से सामान को 3.3.1982 और 15.4.1982 पर साफ़ किया गया था। धारा 15 (1) (बी) के आधार पर गोदाम से निकासी की तारीखों को ध्यान में रखते हुए शुल्क लगाया गया था। न्यायालय ने नोट किया कि धारा 12, अभियोग धारा अन्य धाराओं के साथ धारा 15 के अधीन थी। आयातक को एक विकल्प दिया गया था कि वह या तो घर के उपभोग के लिए सीधे बिल ऑफ एंट्री दाखिल करे, जिस स्थिति में उसे बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होगा। भंडारण के लिए प्रवेश पत्र के मामले में, माल की निकासी की तारीख धारा 15 (1) (बी) के तहत दर निर्धारित करती है। इस न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सिवाय इसके कि जो दर की तारीख निर्धारित करता है वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 से पाया जाएगा।

82. राज कुमार यादव बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आते हुए। समीर कुमार महासेठ 22, मामले के तथ्य यह थे कि एक चुनाव

नामित न्यायाधीश के शाम 4.15 बजे अपने कक्ष में सेवानिवृत्त होने के बाद 27.8.2003 पर याचिका प्रस्तुत की गई थी। सीमा की अंतिम तिथि 27.8.2003 थी। अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 6. अधिनियम की धारा 81 द्वारा प्रदान की गई सीमा चुनाव की तारीख से 45 वें दिन समाप्त हो जाती है। अधिनियम में "दिन" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे उसका सामान्य अर्थ देना होगा जैसा कि कानून में समझा गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार "दिन" शब्द आधी रात को शुरू होता है और उसके बाद 24 घंटे की अवधि को कवर करता है, इस संदर्भ में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है।

20 1993 पूरक। (3) एस. सी. सी. 453 21 1995 पूरक। (3) एस. सी. सी. 223 22 2005 पूरक।

(3) एस. सी. सी. 601 ऑन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

(रामकिशन ओंकारमल अग्रवाल बनाम देखें। महाराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1994 बम 87: 1994 माह एल. जे. 369], ए. आई. आर. पी. 94 , कुड्डालोर की नगर परिषद बनाम। एस. सुब्रमण्यम अय्यर [16 एमएलजे 101: आई. एल. आर. (1906) 29 मैड 326] और पी. रामनाथ अय्यर, द लॉ लेक्सिकन, पीपी। 470 , 471.) इस प्रकार, चुनाव याचिका को 27-8-2003 और 28-8-2003 के बीच आधी रात तक प्रस्तुत किया जा सकता था।

कि नियमों की उचित रूप से सराहना नहीं की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चुनाव याचिका दायर करने की अवधि सीमित थी।इसलिए उस दिन को किए गए तरीके से समझा गया था। फैसला

प्रस्तावित अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत) में अदालत है

बनाम बीबीजान और अन्य 23 के उपयोग के प्रभाव से निपटा गया

सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 54 में सत्र 'तिथि',

इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 9. पी. रामनाथ के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन के अनुसार

अय्यर, तीसरा संस्करण। , 2005 , "तिथि" शब्द का अर्थ इस प्रकार है:

" तिथि. (एक संज्ञा के रूप में) समय का वह बिंदु जिस पर एक लेन-देन होता है

या घटना होती है; दिया गया या निर्दिष्ट समय; किसी तरह से समय

किसी विलेख में, विलेख या लेखन का वह भाग जो उस महीने और वर्ष के दिन को व्यक्त करता है जिसमें वह किया गया था।

बनाया गया, (2 बी. एल. कॉम. 304 ; टॉमलिन)। बीमेंट और डौघर्टी बनाम। ट्रेंटन लोकोमोटिव, आदि, कं. [32 एन. जे. लॉ 513] (पी. 515) कहा जाता है: ' तिथि शब्द का प्राथमिक अर्थ, अमूर्त में समय नहीं है, न ही पूरी तरह से लिया गया समय है, बल्कि इसकी व्युत्पत्ति के रूप में है।

स्पष्ट रूप से किसी तरह से दिए गए या निर्दिष्ट समय को इंगित करता है

निश्चित और निश्चित; यह वह अर्थ है जिसमें शब्द हैआमतौर पर उपयोग किया जाता है। जब हम किसी विलेख की तारीख की बात करते हैं, तो हमारा मतलब उस समय से नहीं है जब इसे वास्तव में निष्पादित किया गया था, बल्कि इसके निष्पादन का समय है, जैसा कि विलेख में ही दिया या कहा गया है।

' जहाँ किसी विलेख में कोई तिथि या असंभव तिथि नहीं होती है, और

विलेख का संदर्भ "तिथि" के लिए किया जाता है, उस शब्द का अर्थ "वितरण" होना चाहिए; लेकिन यदि विलेख में एक विवेकपूर्ण तिथि है, तो शब्द "तिथि",

9 (5) एससीसी 462 [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विलेख में होने का अर्थ है तारीख का दिन, न कि

डिलीवरी '(एल्फ। 123 , स्टाइल्स वी का हवाला देते हुए। वार्डल [(1825) 4 बी एंड सी 908 107 ईआर 1297];)।

' तिथि ', हालांकि कभी-कभी' के दिन 'के संक्षिप्त रूप के रूप में उपयोग किया जाता है

तारीख ', इसका पर्याय नहीं है; लेकिन इसका अर्थ है वह विशेष समय जिस पर एक उपकरण दिया जाता है, निष्पादित किया जाता है या वितरित किया जाता है (हावर्ड)

मामला [2 साल्केल्ड 625: 91 ईआर 528: 1 एल. डी. रेम 480: 91 ई. आर. 1219]; आर्मिट बनाम। ब्रीम [(1704) 2 एल. डी. रेम 1076: 92 ई. आर. 212] और

प्यूट्रेस वी। अन्नान [(1841) 9 डाउल 828], डाउल पीपी पर। 834-35) ... .

' "तिथि" शब्द आमतौर पर एक दिन का अधिक वर्णनात्मक होता है।

जहाँ मोटर के अस्थायी बीमा के लिए एक कवर नोट प्रदान किया जाता हैकार 'शुरू होने की तारीख के 15 दिन बाद' समाप्त हो जाती है, यह उस दिन के बाद पूरे 15 दिनों तक चलती है जिस दिन इसे शुरू होना था।

(कार्टराइट वी। मैककॉर्मैक [(1963) 1 डब्ल्यूएलआर 18: (1963) 1 सभी ईआर 11 (सीए)])। ”

XXX

XXX

XXX

XXX

11. अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभिव्यक्ति "प्रदर्शन के लिए निर्धारित तिथि" एक स्पष्ट धारणा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दूसरा भाग "जिस समय से अवधि शुरू होती है"

यह एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जहां ऐसी कोई तारीख तय नहीं है। इसे अलग तरीके से कहें तो,

जब तारीख तय की जाती है तो इसका मतलब है कि इसके लिए एक निश्चित तारीख तय की गई है।

एक विशेष कार्य करना। यहां तक कि दूसरे भाग में भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि "जब वादी को पता चलता है कि प्रदर्शन से इनकार कर दिया गया है"। यहाँ

एक बार फिर, एक निश्चित समय होता है, जब वादी नोटिस करता है

इनकार। इस अर्थ में दोनों भाग निश्चित तिथियों का उल्लेख करते हैं। इसलिए, दूसरों से इरादे का पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं है।

परिस्थितियाँ।

12. तारीख तय की गई थी या नहीं, वादी ने नोटिस दिया था कि प्रदर्शन से इनकार कर दिया गया है और इसकी तारीख स्थापित की जानी है।

अभिलेख पर लाई जाने वाली सामग्री और साक्षय के संदर्भ में। भारत और ओ. आर. एस. संघ की अनुसूची के अनुच्छेद 54 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "तिथि"।

वी. मेसर्स जी. एस. चट्ठा राइस मिल्स और ए. एन. आर. [के. एम. जोसेफ, जे.]

अधिनियम निश्चित रूप से कैलेंडर में एक निर्दिष्ट तिथि का संकेत देता है।

हम संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार देते हैं। मामला अब यह होगा कि गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए खंड पीठ के समक्ष रखा गया।

निर्णय अपीलार्थियों की प्रकृति में सहायता नहीं कर सकता है

प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में निर्णय के लिए आता है।

83. इस न्यायालय का निर्णय पशुपति नाथ सिंह के मामले में रिपोर्ट किया गया था

बनाम हरिहर प्रसाद सिंह; 24 अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उत्पन्न हुआ। उसमें याचिकाकर्ता एक था

16.1.1967 पर नामांकन पत्र। उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को जमीन पर चुनौती दी

उनके नामांकन पत्र की अवैध अस्वीकृति। अधिनियम की धारा 36 नामांकन पत्र की जांच का प्रावधान करती है। आपत्ति की गई जिसके परिणामस्वरूप

याचिकाकर्ता का नामांकन खारिज किया जा रहा था कि उसने नहीं किया था

और अपेक्षित शपथ या प्रतिज्ञान को उस रूप में अभिदान किया जो निर्धारित किया गया। धारा 36 'जांच के लिए निर्धारित तिथि' शब्दों का उपयोग करती है यह धारा 36 (2) (ए) में उक्त शब्दों की व्याख्या कर रही है जिसे न्यायालय ने इस रूप में अभिनिर्धारित किया

निम्नलिखित है:

" 13. यह हमें लगता है कि अभिव्यक्ति "के लिए निर्धारित तिथि पर

धारा 36 (2) (ए) में "जांच" का अर्थ है "पूरे दिन

जिसकी नामांकन की जांच होनी है "। दूसरे शब्दों में, योग्यता दिन के शुरुआती क्षण से मौजूद होनी चाहिए

जाँच करें। यह ध्यान दिया जाएगा कि इस तारीख को निर्वाचन अधिकारी

एक की जांच से पहले सभी संभावित आपत्तियों को उठाने की स्थिति विशेष नामांकन पत्र शुरू होता है। एक विशेष मामले में, एक आपत्ति

शपथ के रूप में लिया जा सकता है; शपथ के रूप को संशोधित किया गया हो सकता है या शपथ पहले शपथ नहीं ली गई हो सकती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति। अनुच्छेद 173 के तहत यह आवश्यक नहीं है कि द्वारा अधिकृत व्यक्ति

निर्वाचन आयोग को निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए।

24 ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1064 [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. पेन्टर वी। जेम्स [(1866-67) LR 2 CP348], बोविल, C. J.,

सी. जे., रेगी बनाम में। हम्पेरी [10 एड एंड ई 335], जिसमें निम्नलिखित घटित होता है:

" ..... इसलिए हम इसे उदाहरणों का उल्लेख करने के लिए अनावश्यक मानते हैं।

'ऊपर' शब्द के कानूनी अर्थ का, जिसका, विभिन्न मामलों में, निस्संदेह या तो उस कार्य से पहले अर्थ हो सकता है जिसके लिए वह किया गया था।

किया गया कार्य के साथ या किया गया कार्य के बाद, कारण और सद्बुद्धि के अनुसार, संदर्भ और विषय के संदर्भ में, व्याख्या की आवश्यकता होती है।

अधिनियम "।

15. बोविल, सी. जे. ने कहा कि "यह एक बहुत ही स्पष्ट कथन है

'चालू' या 'ऊपर' शब्द के विभिन्न अर्थ।"

16. इस संबंध में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून, जहां तक संभव हो, दिन के अंशों की अवहेलना करता है। यह नेतृत्व करेगा।

बहुत भ्रम की स्थिति में अगर यह माना जाता कि कोई उम्मीदवार हकदार होगा

तिथि के अंत तक एक सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए

नामांकनों की जांच के लिए तय किया गया। यदि विद्वान वकील

याचिकाकर्ता सही है, उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी से पूछ सकता हैजाँच के लिए निर्धारित तिथि पर 11.55p.m तक प्रतीक्षा करने के लिए

उसे शपथ लेनी है। "

स्पष्ट रूप से क़ानून के संदर्भ और उद्देश्य ने अदालत को यह मानने में निर्देशित किया कि कानून अंशों की अवहेलना करता है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तब भी उक्त मामले में यह निर्धारित किया गया था कि दिन के अंशों को यथासंभव नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

84. विक्रम सिंह उर्फ विक्की पर इस अदालत का फैसला और

एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 25 पर यह तर्क देने का भरोसा है कि

यह धारणा चलती है कि विधायिका अच्छी तरह से जानती है

परिस्थितियों और उन शब्दों का प्रभाव जिनका उपयोग किया गया है

यह। दूसरे शब्दों में, यह तर्क प्रतीत होता है कि चूंकि 'तिथि' शब्द का उपयोग धारा 15 में किया गया है, इसलिए इसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। जहाँ तक

आंध्र प्रदेश सरकार में इस न्यायालय का निर्णय और

एनोथेर वी। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स Ltd.26 का संबंध है, और

जिस उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा किया जाता है, वह निर्णय अनुचित प्रतीत होता है।

तथ्यों में। यह तर्क दिया गया है कि यह विधायिका के लिए सक्षम है

पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाना और जिस दिन धारा 15 निर्धारक है उस दिन लागू दर के रूप में शुल्क की दर निर्धारित की जानी है। यह कहना एक बात है कि विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति हो सकती हैसंविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन पूर्वव्यापी प्रभाव और यह तर्क देने के लिए कि प्रत्यायोजित विधान प्रभावी होगा

प्रतिनिधि पर मूल अधिनियम द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना सीमा शुल्क अधिनियम और शुल्क अधिनियम और इसके विनियमन 4 (2)

2018 विनियम अपीलार्थियों द्वारा मांगे गए तरीके से अधिसूचना को लागू करने की वैधता को खारिज करते हैं।

85. रिलायंस ने वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के फैसलों पर फैसला सुनाया। लिमिटेड और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य; "7, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और एक अन्य v. स्टेटस स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और

दूसरा; इस न्यायालय का 28, यह विचार रखते हुए कि किसी अधिनियम की अनुसूची एक है

अधिनियम का हिस्सा और इसलिए इस तरह की अधिसूचना के आधार पर अनुसूची में संशोधन अधिनियम में ही एक संशोधन है और इसलिए, टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना में भाग लिया गया है -

कानून का स्वरूप स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है, यदि इसका उद्देश्य यह बताना है कि टैरिफ अधिनियम की धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना विधायिका द्वारा ही बनाई गई है। अपनी प्रकृति से, प्रत्यायोजित विधान विधायी है।

चरित्र में लेकिन यदि इसे सामान्य खंड अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर एक केंद्रीय अधिनियम होना है, तो इसे विधायिका द्वारा बनाया जाना चाहिए। प्रत्यायोजित विधान जिसे इंग्लैंड में प्रशासनिक विधान कहा जाता है, कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति का प्रयोग है। इस तथ्य पर और ध्यान दिया जाना चाहिए

कि धारा 8ए के तहत जारी अधिसूचना अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग कर रही है या इसे उसी तरीके से पढ़ना पड़ सकता है जैसे कियह अधिनियम का एक हिस्सा है, न्यायालय को यह पता लगाने से विचलित नहीं करेगा कि विधायी शक्ति के प्रयोग का लेखक कौन है, अर्थात्, क्या

यह विधायिका या उसके प्रतिनिधि द्वारा शक्ति का प्रयोग है। उस पर

26 1975 (2) एससीसी 274 27 1990 (3) एससीसी 87 28 2008 (7) एससीसी 353 [2020]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रश्न के लिए, अर्थात्, कि विधान का लेखक

क्यूटिव, सवाल आवश्यक रूप से उत्पन्न होगा कि क्या

यह। सीमा शुल्क अधिनियम की योजना में, शुल्क निर्धारण, वह समय जिस पर एस के तहत अधिसूचना

ई. डी. की वास्तव में प्रासंगिकता होगी जैसा कि पहले ही पाया जा चुका है।

और वही खारिज हो जाएगा। उजराल

ऐप

*** 2020 का अंत * * *